खण्ड-247, अंक-8
मंगलवार, 27 फाल्गुन, शक संवत् 1885
(17 मार्च, 1964 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 247 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६४

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	१५३–१५६
प्रधान मंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू की कथित हत्या के लिये होने वाले तांत्रिक यज्ञ संबंधी समाचार का खण्डन (जारी)	१५७
प्रश्नोत्तर	१५७–१९९
विशेषाधिकार समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन से संबंधित तीसरे दोष सिद्ध व्यक्ति, श्री केशव सिंह को कारावास का दण्ड दिये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	१९९–२००
प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की कथित हत्या के लिये होने वाले तांत्रिक यज्ञ संबंधी समाचार का खण्डन (जारी)	२००
भाषण के आपत्तिजनक अंश को कार्यवाही में रेकार्ड न किये जाने की श्री अध्यक्ष की आज्ञा के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	२०१–२०२
प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की कथित हत्या के लिये होने वाले तांत्रिक यज्ञ संबंधी समाचार का खण्डन	२०२–२०४
नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं	२०४
२५ फरवरी, १९६४ के तारांकित प्रश्न ४–६ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन	२०४
१९६४–६५ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या १७–शिक्षा (स्वीकृत)	२०४–२४७
नत्थियां	२४८–२६६

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, १७ मार्च, १९६४

विधान सभा की बैठक सभा मन्डप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदन मोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य--३३२

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खाँ, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अलीजहीर, श्री सय्यद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वर शरण, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
कंचईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलाराती मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याण चन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नगुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ बहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपाल सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरप्रसाद पाण्डेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गंगासिंह बिष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)

गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
घनश्यामदास, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली सिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद पण्डेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथराव, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयरामवर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी श्री
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्फ)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाजहसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पूरनलाल, श्री
प्यारेलाल मिश्र, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनारसीदास, श्री

बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बजूराम, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भोखालाल, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूदहसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मदरफी खां, श्री
मुहम्मदहुसैन, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअवार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअवध, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री

रामरती, श्रीमती
रामलखन बघेल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामसनेही, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय 'प्रणव', श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पाण्डेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवनाथ सिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द अजनूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पाण्डेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुखनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखराम दास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल घुसिया, श्री
हमीदखां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त पाण्डवाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट--शिक्षा मंत्री, श्री कैलाशप्रकाश तथा शिक्षा उपमंत्री, श्री रामनारायण पाण्डेय भी उपस्थित थे ।

मंगलवार, १७ मार्च १९६४

प्रधान मन्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू की कथित हत्या के लिये होने वाले तांत्रिक यज्ञ सम्बन्धी समाचार का खण्डन

श्री विश्वनाथ पाण्डेय 'प्रणव' (जिला मिर्जापुर)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। कल सदन में विन्ध्याचल में हवन आदि का जिक्र किया गया था और एक समाचार-पत्र भी सदन में प्रस्तुत किया गया था। मैंने स्वयं जिलाधीश, मिर्जापुर, से जाकर पूछताछ की और वहां जाकर मालूम किया। वहां पर कोई इस प्रकार का हवन नहीं हो रहा है। आपको मालूम होगा कि वहां वैसे १२ महीने हवन होता रहता है।

श्री अध्यक्ष—

कल मैंने इस संबंध में कह दिया था कि अगर ऐसी बात है तो वह दुःखद है और भयंकर है, किन्तु फल चूंकि वह विषय सदन के समक्ष लाया गया, एक समाचार-पत्र का हवाला दिया गया, यद्यपि समाचार-पत्र में छपी किसी घटना पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता, फिर भी मैंने यह कह दिया है कि सरकार उसको देख ले।

अब आप बैठ जाइये।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

यह प्रश्न सदा के लिये तय होना चाहिये।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, १७ मार्च, १९६४

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

गन्ना पेराई

**१—श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर) तथा श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि देवरिया और गोरखपुर जिले की कुछ चीनी मिलें गन्ने के अभाव में बन्द हो रही हैं जब कि कुछ के पास इतना गन्ना है जो वह एक महीना और अधिक चलेगी? यदि नहीं, तो प्रत्येक मिल कब तक गन्ना पूरा करके बन्द हो जायगी?

विद्युत् उप मंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—

प्राप्त सूचनानुसार अभी तक गोरखपुर जिले की आनन्दनगर चीनी मिल तथा देवरिया जिले की भटनी व परतावपुर चीनी मिलें अपने क्षेत्र का समस्त उपलब्ध गन्ना पेरकर बन्द हुई हैं। उक्त जिलों की शेष चीनी मिलों के पेराई करने की अनुमानित अवधि संलग्न तालिका में दी हुई है जिससे विदित होगा कि केवल सरदारनगर व फिपराइच ऐसी मिलें हैं जिनके एक महीने तक चालू रहने की आशा की जाती है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २४८ पर)

**२—श्री कल्पनाथसिंह तथा श्री गेंदासिंह—

सरदारनगर मिल को गन्ना देने वाली यूनियनों ने क्या यह प्रस्ताव किया है कि उनका गन्ना दूसरी मिलों को दे दिया जाय ताकि सरदारनगर के लिये उन्हें बहुत दिनों तक रुकना न पड़े? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

जी हां, हाटा केन यूनियन का ७५,००० मन गन्ना रामकोला (पी) चीनी मिल को तथा २५,००० मन गन्ना देवरिया चीनी मिल को व कसया केन यूनियन के सवया सेंटर से उपलब्ध ५० प्रतिशत गन्ना बैतालपुर (डाइवर्ट कर दिया) चीनी मिल को दे दिया गया है।

**३---श्री कल्पनाथसिंह तथा श्री गेंदासिंह---

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि जो मिलें बन्द हो रही हैं उनके इर्द गिर्द यदि गन्ना मिलना संभव था तो उन्हें चलवाने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही है जिससे प्रदेश का गन्ना अन्यत्र न जा सके ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

गन्ना आयुक्त ने इस क्षेत्र के मिलों की गन्ने की स्थिति का पुनरीक्षण करके जिन चीनी मिलों में गन्ने का कुछ अभाव था उसकी पूर्ति उन मिल क्षेत्रों से कर दी है जहां गन्ना मिलना संभव था और फलस्वरूप रामकोला (पी) देवरिया तथा बैतालपुर चीनी मिल कुछ अधिक समय तक पेराई कर सकेंगी।

श्री कल्पनाथसिंह---

मैं यह जानना चाहता हूं कि यह गन्ना डाइवर्ट किस आधार पर किया गया ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

आधार यह था कि कुछ गन्ना यहां ज्यादा था, वह दूसरी मिलों को जो गन्ना ले सकती थीं, उनको दे दिया गया।

श्री कल्पनाथसिंह---

श्रीमन्, भटनी चीनी मिल बन्द कर दी गयी। तो उसको दूसरे एरिया से गन्ना न देने का क्या कारण है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

साधारणतः मिलों के लिये गन्ना फिक्स रहता है। जितना गन्ना उनको हर साल मिलता था वह उन्होंने पेर कर मिल को बन्द कर दिया।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)---

माननीय मंत्री जी ने मिल बन्द होने की जो तिथियां दी हैं उनमें विषमता है। कोई १५ दिन पहले बन्द हो गयी, कोई महीने भर बाद बन्द हुई। जिन मिलों के क्षेत्र में गन्ना ज्यादा पैदा होता है वह पहले बन्द हो गयीं। तो क्या सरकार बतायेगी कि सरदार नगर मिल को तथा देवरिया की और मिलों को बन्द करके गन्ना न देने का क्या औचित्य है ?

श्री शांति प्रपन्न शर्मा---

सरदार नगर मिल जितना गन्ना पेरती थी वह पेर कर बन्द हो गयी।

श्री कैलाश (जिला देवरिया)---

प्रतापपुर ने जब मांग की थी तो उसको गन्ना न देकर, उसका गन्ना काटकर दूसरी मिलों को क्यों दिया गया ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

मथुरा जिले के चार कैदियों को छोड़ने की प्रार्थना

**४—श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

क्या कारागार मंत्री कृपया बतायेंगे कि मथुरा जिले के ग्राम सुरीर, तहसील माट, थाना सुरीर के चार कैदी (१) मथुरा पुत्र नारायन सिंह, (२) टीकम सिंह पुत्र गनपति सिंह, (३) माधो सिंह पुत्र वीर सिंह, (४) हुकमा पुत्र टीकम सिंह, जिनमें पहले दो आगरा सेन्ट्रल जेल में हैं और शेष के दो मिर्जापुर जेल में हैं, इन वर्ष जेल प्रोबेशन बोर्ड ने इन्हें छोड़ने का निर्णय एक साल बाद लिया था ? यदि हां, तो वे अभी तक क्यों नहीं छूटे ? क्या जेल मंत्री इन कैदियों को तुरन्त छोड़ने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वायत्त शासन मंत्री के सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

जी नहीं। किसी बन्दी को समय से पूर्व छोड़ने का अधिकार केवल गवर्नर को है।

श्री राधेश्याम शर्मा—

क्या जेल मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त कैदी को छोड़ने के बारे में बोर्ड ने जो निर्णय लिया था वह किन तारीखों में लिया था ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

प्रोबेशन बोर्ड ने १७ सितम्बर, १९६२ को डेढ वर्ष के लिये उनके मामले को स्थगित करने का निर्णय लिया था।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इन कैदियों की कितने साल की सजा थी और वे कितने साल की सजा काट चुके हैं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

यह रिपोर्ट तो इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री राधे श्याम शर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी कैदियों के घर की परिस्थिति की जांच करायेंगे कि वे घर में अकेले हैं और उनके लड़के लड़कियों की शादियां रुकी हुई हैं ? इस बात को देखते हुए मंत्री जी उनके मामले को प्रोबेशन बोर्ड के समक्ष रखवाने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

१७ सितम्बर, ६२ को डेढ़ वर्ष के लिये विचार पोस्टपोन किया गया था। निर्धारित अवधि अब व्यतीत हो गयी है। अब शीघ्र ही यह मामला प्रोबेशन बोर्ड के सामने जायगा और जल्दी ही इस विषय में कार्यवाही हो जायगी।

तारांकित प्रश्न

यूसुफपुर—कासिमाबाद बस सर्विस

*१—श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यूसुफपुर से कासिमाबाद के लिये ढाई बजे दिन के पश्चात् कोई राजकीय बस नहीं चलायी जाती है ? यदि हां, तो क्यों ?

रसद मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)—

ढाई बजे दोपहर के बाद दो बसें चलती हैं। एक बस मोहम्मदाबाद से २।। बजे चल कर पौने तीन बजे यूसुफपुर से कासिमाबाद को जाती है, और दूसरी बस उजियारघाट से २ बजे छूट कर यूसुफपुर से ३ बजे कासिमाबाद जाती है।

*२—श्री रघुवीर —

क्या उक्त रोड पर ढाई बजे के पश्चात् भी बस चलाने की मांग नागरिकों द्वारा की गयी है ? यदि हां, तो वह क्यों चलायी नहीं गयी ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

प्रश्न १ के उत्तर के बाद यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री रघुवीर —

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो बस ढाई बजे यूसुफपुर से कासिमाबाद आती है और उजियार घाट से पौने तीन बजे युसुफपुर होती हुई कासिमाबाद को जाती है, ये बसें प्रश्न करने के बाद से चालू की गयी है ? या पहले से ही चालू थीं ?

श्री अध्यक्ष—

इस प्रश्न को करने से आपका क्या लाभ होगा ?

एक बात मैं साफ कर दूं, माननीय रघुबीर ने जो प्रश्न पूछा है ऐसा तो नहीं है कि उनके प्रश्न करने के बाद जो बस सर्विस चालू की गयी है वह बन्द कर दी जाय?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

अगर एक्सपेरीमेंटल बेसिस पर बस चल रही होगी और उसका नतीजा अनुकूल नहीं होगा तो हो सकता है कि वह सर्विस बन्द हो जाय।

श्री अध्यक्ष —

वह बात दूसरी है, लेकिन ऐसे न बन्द होनी चाहिये।

इकौना बस स्टेशन पर श्री निद्धप्रसाद, कण्डक्टर की मृत्यु

*३—श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री निद्धप्रसाद, कन्डक्टर, ग्राम बढ़या, पोस्ट कोपिया, जिला बस्ती निवासी की मृत्यु दिसम्बर, १९६२ में एक बस दुर्घटना में हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या उसका विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

श्री निद्ध प्रसाद नाम का कोई कन्डक्टर इस क्षेत्र में नहीं था। परन्तु श्री निद्धप्रसाद, कन्डक्टर, ग्राम बढ़या, पोस्ट कोपिया, जिला बस्ती की मृत्यु ८ दिसम्बर, १९६२ को बस सं० ३०६० से हुई थी।

दुर्घटना का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २४९ पर)

*४—श्री मंगलदेव—

क्या यह सही है कि उसके घर वालों ने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को एक प्रार्थना-पत्र उचित मुआवजा के लिए दिया था ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

मृतक की पत्नी ने एक प्रार्थना-पत्र, श्रमायुक्त, कानपुर को तथा उसकी प्रतिलिपि प्रधान प्रबन्धक, रोडवेज, गोरखपुर को भेजी थी जिसे जिलाधीश बहराइच को दुर्घटना के पूर्ण विवरण के साथ उनके निर्णय हेतु भेज दिया गया है। जिलाधीश की रिपोर्ट आने पर मुआविजा देने हेतु कार्यवाही की जा सकेगी।

श्री मंगलदेव—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि मृतक की पत्नी ने रोडवेज, गोरखपुर के मैनेजर को कब दरख्वास्त दी और जिलाधीश, बहराइच को वह दरख्वास्त कब भेजी गयी ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

प्रबन्धक को कब भेजी गयी, उसकी कोई प्रतिलिपि मेरे पास नहीं है जिससे उसका कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन प्रधान प्रबन्धक ने १८-४-६३ को इस दुर्घटना का विवरण मंगाने हेतु डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अपने यहां से इनक्वायरी के लिये भेज दिया था।

श्री मंगलदेव—

क्या माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को लेबर कमिश्नर, कानपुर ने १ अप्रैल, १९६३ को उचित कार्यवाही के लिये लिखा और गोरखपुर के रोडवेज मैनेजर ने १९ मार्च, १९६३ को बहराइच के जिलाधीश को सूचना दी कि इस पर फौरन कार्यवाही हो, तो इस सम्बन्ध में अब तक आपके द्वारा क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

अभी जिलाधीश की रिपोर्ट नहीं आयी है। जिलाधीश की रिपोर्ट आने के बाद फौरन ही कार्यवाही हो जायगी।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)—

इसी दुर्घटना के सम्बन्ध में जिसकी मृत्यु हुई है उसका मुआवजा आज तक उसकी पत्नी को न मिलने के कारण को देखते हुए, क्या आप कोई ऐसे व्यवस्था करने जा रहे हैं जिससे उसे शीघ्र मुआवजा मिल जाय और उसकी पत्नी की तकलीफ दूर हो सके ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

उनको जल्दी ही मुआवजा मिल जाय, इसकी हम कोशिश कर रहे हैं और मुझे आशा है कि बड़ी जल्दी उनको मुआवजा मिल जायगा।

श्री बेदराम (जिला एटा)—

मार्च, १९६३ से अब तक रिपोर्ट न आने का क्या कारण है, क्या जिलाधीश से इसकी जानकारी करने की मंत्री जी कोशिश करेंगे ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

हम भी महसूस करते हैं कि इसमें काफी विलम्ब हुआ है, लेकिन जिलाधीश से पूछ कर ही मालूम होगा कि क्यों बिलम्ब हुआ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार के सामने कोई ऐसा प्रश्न विचाराधीन है कि रोडवेज के वे कर्मचारी जो ड्यूटी के वक्त मर जांय उनकी विधवा को पेंशन पूरी जिन्दगी भर दी जाय जैसा कि होम डिपार्टमेंट देने जा रहा है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

वर्क्स पैन कम्पेनसेशन ऐक्ट के मुताबिक जो लोग मुआवजा के अधिकारी होते हैं उनको तो दिया ही जाता है ।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अगर कोई ड्राइवर या कंडक्टर या दोनों किसी रनिंग ड्यूटी में एक्सीडेंट के शिकार हो जायं तो क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करने की कृपा करेगी कि उनके अस्पताल का पूरा खर्च व उनकी देखभाल का पूरा भार वहन करने की कृपा करेगी?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

ऐक्ट के मुताबिक मुआवजे का जो विधान है वह किया जायेगा ।

श्री जगदीश प्रसाद पाण्डेय (जिला बस्ती)---

क्या मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि चूंकि उनके मामले में विभाग में बहुत देरी लग रही है इस लिये उन को फिलहाल कुछ अन्तरिम मुआविजा दे दिया जाय ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

मैं आशा करता हूं कि अब देरी नहीं होगी और अन्तरिम मुआवजा देने की आवश्यकता और स्थिति नहीं पैदा होगी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कन्डक्टर के लाकर में कागज रखने के बाद बिना उसके सीटी बजाये ड्राइवर ने गाड़ी क्यों चलाई और उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

जो विभागीय जांच हुई थी उसमें तो ड्राइवर को इस दुर्घटना का जिम्मेदार बताया गया था लेकिन पुलिस ने इस दुर्घटना को आकस्मिक ही बताया है और ड्राइवर को उसका जिम्मेदार नहीं ठहराया ।

नलकूपों में डीजल इंजन के प्रयोग के लिए सुझाव

*५—श्री कल्पनाथसिंह---

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र उन्हें अप्रैल, मई, १९६३ में सिंचाई की सुविधा बाढ़ क्षेत्रों में बढ़ाने के लिए ट्यूबवेल के डीजल इन्जन के उपयोग के लिए लिखा गया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक की गयी कार्यवाही सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

सन् १९६३ में नहीं बल्कि दिनांक ११-५-६२ को लिखा हुआ माननीय सदस्य का एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था । उस पर जांच एवं विचार किया गया और यह पाया गया कि बाढ़ क्षेत्रों में नलकूप के डीजल इन्जनों को नदियों के किनारे लगा कर सिंचाई करने की योजना, जैसा कि माननीय सदस्य ने अपने पत्र में सुझाव दिया था, व्यवहार्य नहीं है ।

*६—श्री कल्पनाथसिंह---

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है और यह योजना लाग करने में उसे क्या दिक्कत है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

बाढ़ क्षेत्रों में इस प्रकार की योजना कार्यान्वित करना व्यवहार्य नहीं है क्योंकि इसके कार्यान्वित करने में बड़ी दिक्कतें हैं जिनका विवरण संलग्न सूची में दिया है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २५०पर)

*७—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर एस० ई० सर्किल में कुल कितने डीजल इन्जन १९५४ से अब तक खरीदे गये हैं और वे अब कहां रखे गये हैं और उनसे क्या काम लिया जा रहा है ? यदि काम नहीं लिया जा रहा है तो क्यों, और उससे सरकार को कितने रुपये का नुकसान हुआ है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

सन् १९५४ से अब तक गोरखपुर सर्किल में ६३ डीजल इन्जन खरीदे गये हैं जिनमें से दस अब भी नलकूपों पर प्रयोग में लाये जा रहे हैं शेष ५३ इन्जन सिंचाई खन्ड बहराइच के स्टोर में रखे हुये हैं । फिलहाल इनसे कोई काम नहीं लिया जा रहा है । परन्तु इनमें से कुछ का प्रयोग उन नलकूपों पर करने का प्रस्ताव है जो अभी निर्माण होने वाले हैं और जिनको बिजली तत्काल उपलब्ध न हो सकेगी । नलकूपों को चलाने के लिये इन इन्जिनों को खरीदा तथा प्रयोग में लाया गया । बाद में नलकूपों का विद्युतीकरण हो जाने से यह इन्जन spare हो गये । चूंकि जिस उद्देश्य से यह खरीदे गये थे उस काम में आये तथा अब भी प्रयोग में लाये जाने के लिये उपलब्ध हैं इसलिये किसी नुकसान का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री कल्पनार्थसिंह—

बाढ़ क्षेत्रों में अगर सिंचाई का यह सुझाव व्यवहार्य नहीं है तो बाढ़ क्षेत्र में कौन सा व्यवहार्य तरीका सरकार के दृष्टिकोण में है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

जहां तक कि बाढ़ क्षेत्र से ऊपर की बात है वहां तो नहर और तमाम सिंचाई के साधन हैं लेकिन आप का जो नदी के किनारे का सुझाव है जहां कि करीब में पानी है और वहां डीजल इंजिन लगाकर पानी दिया जाय वह व्यावहारिक नहीं है उसके कारण मैंने अभी बता दिये । आप कहें तो मैं उन्हें फिर से दोहरा दूं ।

श्री कल्पनार्थसिंह—

मेरा सुझाव तो व्यवहार्य नहीं है, लेकिन यह साफ नहीं हुआ कि फिर वहां के लिये सिंचाई का कौन सा तरीका हो ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

रिवर बेड में कोई और दूसरा तरीका कामयाब नहीं हो सकता । वहां और कोई उपाय सम्भव नहीं है; जहां सम्भव है वहां किया जा रहा है ।

श्री कल्पनार्थसिंह—

नियोजन अधिकारी गोरखपुर ने इस सुझाव को व्यवहार्य मानकर सरकार और सरकार के अधिकारियों से लिखापढ़ी की कि इन को डीजल इंजिन दे दें ताकि वहां सिंचाई की जा सके और योजना को सफल बनाकर वहां की पैदावार बढ़ सके, इसमें सरकार को क्या आपत्ति हुई ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

ऐसी सूचना हमें नहीं है, ऐसा नियोजन वाले लिख सकते हैं; लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिये बता दूं कि यह डीजेल इंजिन बहुत हैवी है यह पोर्टबिल नहीं है कि जब जहां चाहे हटा ले जांय। जब आप उन को नदी के किनारे रखेंगे तो पानी के लिये पक्की गूल भी बनानी होंगी और वे अस्थायी होंगी जो हर साल बाढ़ में खत्म हो जांयगी। इसी वास्ते यह कहा गया कि यह मुमकिन नहीं है।

श्री कल्पनाथसिंह---

क्या सरकार उसे फिर से एग्जामिन कराके जहां योजना अधिकारी के मुताबिक लग सकते हों वहां लगवाने की कृपा करेगी ?

सिंचाई मंत्री (श्री गिरधारीलाल)---

कल्पनाथसिंह जी ने अपने खत के आखिर में यह कहा था कि अगर आप मौका दें तो पर्सनली इस बात को साफ कर दूं। तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं और पर्सनली डिस्कस करके जो मुनासिब होगा वह किया जायगा।

श्री रामसूरतप्रसाद (जिला गोरखपुर)---

जहां भूमि ऊंची है वहां क्या मंत्रीजी बिजली की लाइन ले जाकर ट्यूबवेल लगवायेंगे जिससे किसान उत्पादन बढ़ावे और उद्योग में भी लाभ उठावे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

अगर कोई ऐसा क्षेत्र है जहां ट्यूबवेल लग सकता है तो उस पर विचार कर लेंगे।

श्री रामायण राय---

सन् ५४ से अब तक निरन्तर आप डीजेल इंजिन खरीदते चले जा रहे हैं, ६३ की खरीद में केवल १० काम में आये और ५३ बहराइच में बेकार पड़े हैं तो अब तक उनकी खरीद क्यों जारी है जब कि ५३ फालतू पड़े हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

जहां बिजली नहीं है वहां इन इंजिनों को काम में लेंगे। स्टाक में कुछ तो होने ही चाहिये।

श्री रामायण राय---

क्या यह सही है कि सिंचाई विभाग के स्टोर्स में केवल डीजेल इंजिन ही नहीं बल्कि और भी बहुत सी मशीनें फालतू हुई हैं १०,१० साल से और उन्हें बिना आवश्यकता के भी खरीद लिया गया था ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

ऐसी सूचना नहीं है लेकिन हमने डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज को सरप्लस इंजिनों की सूचना दे दी है कि किसी और विभाग को जरूरत हो तो ले ले।

जनखत का नाल

*८---श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा), (अनुपस्थित)---

क्या सिंचाई मंत्री प्रश्न संख्या ६२, दिनांक २४ सितम्बर, सन् १९६३ के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्न में बताये गये नाले को सरकार कृषि की उन्नति को दृष्टि में रखते हुए अपने अधिकार में लेकर उसके पुनर्निर्माण कराने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारीलाल --

जी नहीं ।

रुद्रपुर क्षेत्र में निर्माण-कार्य

*९--श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिला के रुद्रपुर विधान सभा क्षेत्र के बाढ़ क्षेत्रों में ग्रामों को ऊंचा करने तथा रास्तों के निर्माण के काम को रोक दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

प्रथम भाग--जी नहीं ।

द्वितीय भाग--प्रश्न नहीं उठता ।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

पिछले ३ महीने से रुद्रपुर इलाके में गांव की कटाई का काम बन्द था ऐसी मेरी सूचना है । तो उसका क्या कारण था ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

यह काम जनता की सहायता से हुआ करता है । कहीं जनशक्ति नहीं मिली होगी तो वहां काम रुक गया होगा ।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

जनता तो १४ साल से इतनी बेकार है कि जो भी काम दीजिये करने को तैयार है और सिंचाई इंजीनियर ने यह कहकर काम बन्द कर दिया था कि स्टाफ की कमी है तो इसे सच मानकर जनता के नुकसान पर कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

इसमें नुकसान तो हुआ नहीं । माननीय सदस्य भी आदरणीय सदस्य हैं अगर वह लिखकर देंगे तो उसे दिखवा लेंगे ।

देवरिया जिले में राप्ती बांध की मरम्मत

*१०--श्री चन्द्रबलीसिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिला के राप्ती के बायें किनारे के तिघराखैरवा से मराछी तक के टूटे बांध की मरम्मत के लिये कोई कदम उसने उठाया है ? यदि हां, तो वह क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

यह बांध टेस्ट वर्क से बना था और जहां तक सरकार को सूचना है अभी तक इसकी मरम्मत का कोई प्राविधान नहीं किया गया है ।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

क्या जिलाधीश और सिंचाई इंजीनियर देवरिया ने कई बार १ लाख रुपया इस बांध की मरम्मत के लिये मांगा है ? यदि हां, तो सरकार ने क्या किया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

इसकी सूचना नहीं है। यह बांध सिंचाई विभाग का है ही नहीं। एक दफा स्केयरसिटी के जमाने में यह बन गया था। अभी तक उसकी मरम्मत का कोई प्राविधान नहीं है। अगर विभाग से मांग जावेगी तो सोच लेंगे।

श्री चन्द्रबलीसिंह---

पिछले १४ वर्ष से सरकार जिलाधीश के द्वारा इस बांध की मरम्मत कराती रही है तो १ लाख रुपया देकर जिलाधीश के द्वारा टैस्ट वर्क से या सिंचाई विभाग के द्वारा सरकार इस बांध की मरम्मत कराने की कृपा करेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

हमने डी० एम० को कल भी टेलीफोन किया था। वह कोई ऐसी सूचना नहीं दे सके और न हमारे पास उनके १ लाख रुपया मांगने की सूचना है।

श्रीमती हुरमुजी बेगम को वाराणसी–जबलपुर बस सर्विस के लिए परमिट

*११---श्री यादवेन्द्रदत्त तथा श्री उमाशंकर तिवारी (जिला वाराणसी)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वाराणसी से जबलपुर तक बस चलाने का परमिट श्रीमती बेगम को कब दिया गया?

श्री हरीदत्त कांडपाल ---

सरकार ने यह निश्चय किया है कि इस मामले में इन्क्वायरी (enquiry) कराई जाय। इसलिये इस समय और कोई सूचना देने को नहीं है।

*१२---श्री यादवेन्द्रदत्त तथा श्री उमाशंकर---

क्या यह सही है कि श्रीमती बेगम एक मंत्री महोदय की सास की बहन हैं ?

श्री हरीदत्त कांडपाल ---

श्रीमती हुरमुजी बेगम परिवहन मंत्री की सास हैं।

*१३---श्री यादवेन्द्रदत्त तथा श्री उमाशंकर तिवारी---

क्या यह सही है कि श्रीमती बेगम की जो बस इस रूट पर चलती है वह यू० यस०एस० ४५४ है और प्रतापगढ़ में रजिस्टर्ड की गयी है जब कि श्रीमती बेगम साहिबा इलाहाबाद की रहने वाली हैं ?

श्री हरीदत्त कांडपाल ---

सरकार ने यह निश्चय किया है कि इस मामले में इन्क्वायरी (enquiry) कराई जाय। इसलिये इस समय और कोई सूचना देने को नहीं है।

श्री गया प्रसाद (जिला वाराणसी)---

अध्यक्ष महोदय, यह कोई जुडिशियल इनक्वायरी तो है नहीं; ऐसी जांच तो अक्सर होती रहती है। हमारे सवालों का जवाब तो दिलवाइये। क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती हुरमुजी बेगम को वाराणसी–जबलपुर रूट पर किस नियम के अन्तर्गत परमिट दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय उपनेता, क्या सदन को सूचित किया जायगा कि माननीय मुख्य मंत्री ने अगर इस सिलसिले में जांच करनी शुरू कर दी है या जांच कर रही हैं तो कोई ऐसा नियम है जो सवालों के यहां उत्तर देने में बाधक हो ?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

यह तो मैं डेफिनिटली नहीं कह सकता हूं कि उन्होंने जांच शुरू करदी है या नहीं।

श्री अध्यक्ष —

हमारे नियम कहते हैं कि अगर कोई न्यायिक या आयोग या ट्रिब्युनल की जांच हो या प्रश्नों के उत्तर उस इनक्वायरी को प्रभावित करें, तब तो प्रश्न नहीं हो सकते; लेकिन अगर मुख्य मंत्री जांच कर रही हैं तो भी क्या उत्तरों के देने में बाधा पड़ सकती है ? इस पर आप कनसल्ट करके हमें बतलावें। कृपा करके इस सम्बन्ध में आप हमें सैटिस्फाइड करें कि इन प्रश्नों के उत्तर के सम्बन्ध में क्या यह कहा जा सकता है कि चूंकि माननीय मुख्य मंत्री द्वारा इसमें अनुसंधान हो रहा है इस वजह से उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं कहा जा सकता और मैं संतुष्ट न होऊं ,तो प्रश्न इस समय स्थगित समझे जाते हैं और केवल उस दशा में हटा दिये जायेंगे जब मैं संतुष्ट हो जाऊंगा कि कोई नियम बाधक हैं ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

सवाल यह है कि जब किसी तरह से बाधा नहीं पड़ सकती और न प्रभाव पड़ सकता है तो प्रश्न केवल इतना रह जाता है कि उनको परमिट दिया गया है या नहीं । इससे किसी प्रकार का प्रभाव अन्वेषण में नहीं पड़ सकता और न बाधा पड़ सकती है।

श्री अध्यक्ष —

हमारे और आपके बीच में कहां डिफरेंस है ? मैं वही कह रहा हूं जो आप कह रहे हैं। सिर्फ यह मौका चाहते हैं वह दिया जा रहा है ताकि इस प्रश्न पर विचार करके बतायें।

सिंचाई विभाग में बरकन्दाज व दफेदार की ड्यूटी

*१४—श्री भगवानदीन (जिला रायबरेली)—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में पहले हर खण्ड (डिवीजन) के अन्तर्गत चार-चार बरकन्दाज एवं एक दफेदार था और उस समय प्रत्येक कर्मचारी को ६ घंटे की ड्यूटी देनी पड़ती थी ? अब जब कि दो व एक कर दिये गये हैं तो उनके कार्य करने के घंटे किस आधार पर रक्खे गये हैं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

जी हां, पहले सिंचाई विभाग के हर खण्ड (डिवीजन) के अन्तर्गत चार बरकन्दाज एवं एक दफेदार था। इनमें से प्रत्येक कर्मचारी के घंटे ड्यूटी देगा इस संबंध में कोई आदेश नहीं थे। संबंधित अधिशासी अधियन्ता कार्य तथा सुविधा के अनुसार उनके ड्यूटी के घंटे नियुक्त करते थे और अब भी जब कि इन कर्मचारियों की संख्या में कमी कर दी गयी है इसी प्रकार इनके ड्यूटी के घंटे नियत किये जाते हैं ।

*१५--श्री भगवानदीन--

क्या सरकारी आदेश संख्या ७१३९/८८-बी आर०(ए० डी०)---१७६ ए-४९, दिनांक ९ मई, १९६२ ई० के अनुसार चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को जो एक सप्ताह में रेस्ट की व्यवस्था की गयी थी उसका रायबरेली खण्ड शारदा कैनाल में पालन क्यों नहीं होता है और उपरोक्त आज्ञा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को क्यों नहीं सूचित की गयी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित आदेश उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद् का है। यह मई ९, १९५२ का है न कि मई ९, १९६२ का और इसकी संख्या ७१३८ है न कि ७१३९। यह सिंचाई विभाग के कर्मचारियों पर लागू नहीं होता। अत : इसके रायबरेली खंड शारदा कैनाल में पालन किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री भगवानदीन--

मंत्री जी बतायेंगे कि जब उनकी ड्यूटी के घंटे नियत किये जाते हैं तो कौन कौन घंटे हैं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

साधारण सवाल है घंटे का नहीं है। पहले ४ बरकंदाज और १ दफेदार काम करते थे। अब इकोनोमी की वजह से उनकी संख्या कम कर दी गई। तो वही उस काम को कर रहे हैं। ड्यूटी बांटने की कोई बात नहीं है।

श्री भगवानदीन--

तो क्या २४ घंटे काम करेंगे अगर ड्यूटी नियत नहीं की जाती है, और कर्मचारी उनको परेशान करते हैं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

एक ही काम हो सकता है, या तो कहें इकोनामी न करें। २४ घंटे का काम है, खजाना है, उसको देखते रहते हैं।

श्री गयाप्रसाद--

अगर आदमी कहीं रखे जाते हैं तो सोच लिया जाता है कि इनसे कितने घंटे काम लिया जायगा। तो मंत्री जी बतायेंगे कि जब ४ बरकन्दाज रखे गये थे तब काम के घंटों की क्या संख्या थी और जब ३ कर दिये गये तब क्या है ?

श्री अध्यक्ष--

अब जवाब यह है कि घंटों का सवाल नहीं है। काम करने के लिये रखते हैं, वह काम करते हैं, कर रहे हैं, करने दीजिये।

प्रतापगढ़ जिले में नहर पतरौलों व अमीनों के विरुद्ध शिकायतें

*१६---कुंवर तेजभानसिंह (जिला प्रतापगढ़)--

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला प्रतापगढ़ के अन्तर्गत सिंचाई विभाग से संबंधित नहर के पतरौल व अमीन के गलत ढंग से खेती की सिंचाई लिखने की बाबत पहली अक्तूबर, सन् १९६३ ई० से १८ जनवरी, सन् १९६४ ई० तक किस ग्रामों से कितने-कितने किसानों के हस्ताक्षर तथा निशानी अंगूठा युक्त प्रार्थना-पत्र शिकायत के आये और उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

पहली अक्तूबर, सन् १९६३ से १८ जनवरी सन् १९६४ तक जिला प्रतापगढ़ के अन्तर्गत सिंचाई विभाग से संबंधित नहर के पतरौल व अमीन के विरुद्ध ७६ ग्रामों से ११९ शिकायती पत्र १,०२१ किसानों के हस्ताक्षर तथा निशानी अंगूठा युक्त प्राप्त हुये हैं। उन ग्रामों, प्रार्थना-पत्रों तथा आर्थीगण की संख्या का क्रमशः विवरण संलग्न तालिका "क" में दिया हुआ है। जांच के उपरान्त ४२ प्रार्थनापत्रों पर कृषकों को ४१५ रु० ५४ न० पै० की छूट दी गयी और ६९ प्रार्थना-पत्र जो गलत साबित हुए खारिज कर दिये गये। केवल ८ प्रार्थना-पत्रों की जांच शेष है जिसके उपरांत ही कोई निर्णय लिया जा सकता है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २५१–२५३ पर)

*१७—कुंवर तेजभानसिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत पहली अक्तूबर से अंतिम दिसम्बर, सन् १९६३ के अर्न्तगत क्षेत्र विकास खण्ड, रामपुर ने अपनी बैठक में कोई प्रस्ताव पास कर के नहर विभाग के पतरौल, अमीन की शिकायत जिला अधिशाशी अभियंता, प्रतापगढ़ के पास भेजा है? यदि हां, तो उस प्रस्ताव में क्या लिखा था और उसके विषय में क्या कार्यवाही की गयी?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

जी नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव जिला अधिशासी अभियन्ता को नहीं प्राप्त हुआ है। अतः उक्त संबंध में किसी प्रकार की कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

*१८—कुंवर तेजभान सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला प्रतापगढ़ में इस वर्ष गलत सिंचाई के लिखने के कारण पतरौल और अमीन व जिलेदार आदि नहर कर्मचारियों के गलत कारनामों के विरोध में दिनांक ७ फरवरी, सन् १९६४ दिन शुक्रवार को जिला केंद्र प्रतापगढ़ में किसानों का एक जबरदस्त प्रदर्शन होने जा रहा है? यदि यह बात सत्य है, तो सरकार इसके विषय में क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

७ फरवरी, १९६४ दिन शुक्रवार को जिला प्रतापगढ़ में पतरौल और अमीन व जिलेदार आदि के विरुद्ध किसी प्रकार के प्रदर्शन किये जाने की या होने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अतः शासन द्वारा इस संबंध में किसी प्रकार की कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

कुंवर तेजभानसिंह—

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो प्रार्थनापत्र जिला प्रतापगढ़ के अन्तर्गत सिंचाई विभाग से संबंधित नहर के पतरौल व अमीन वगैरह के खिलाफ आये उनकी जांच कराने के लिये उन्हीं लोगों को भेजा गया जिनके खिलाफ शिकायतें थीं या दूसरे ऊपरी अफसर द्वारा यह जांच करायी गई?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

ऊपरी अफसर से ही जांच होती है।

कुंवर तेजभानसिंह—

किसके द्वारा जांच हुई?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

किस अफसर ने जांच की, यह सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री लक्ष्मीसिंह---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो प्रार्थना-पत्र सिद्ध हो चुके हैं तो संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जा रही है ?

श्री शांति प्रपन्न शर्मा---

इसको माननीय मंत्री जी और मैंने देखा था। गल्तियां थीं जो थोड़ी बहुत हो जाया करती हैं, जो ह्यूमैन एरर थीं। कोई ज्यादा नहीं देखी गई।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किस अधिकारी ने जांच की और कितने प्रार्थना-पत्रों को सही पाया ?

श्री अध्यक्ष---

यह सूचना उनके पास नहीं है।

श्री छांगुर (जिला आजमगढ़)---

क्या माननीय सिंचाई मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि जब यह जांच हुई तो कुछ किसानों को रुपया वापिस किया गया और क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि जिन कर्मचारियों ने ये गलत इन्द्राज किये उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

इसका जवाब तो मैंने अभी दिया है।

श्री अध्यक्ष---

वे कहते हैं कि गल्तियां उसमें थीं। कोई जान बूझ कर की हों, ऐसा नहीं पाया गया।

कुंवर तेजभानसिंह---

जिन पतरौलों व अमीनों के खिलाफ शिकायत थी उन्हीं के द्वारा जांच करायी गयी। उन्होंने ही अपने कारनामों का समर्थन किया और जो छूट दी गयी वह बहुत कम थी। क्या माननीय मंत्री जी इस पर भी ठीक ढंग से इंक्वायरी कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

हमारे पास एक ईशतल के प्रधान का प्रार्थना-पत्र, श्री रामसिंह जी का, आया था। उन्होंने शिकायत की थी। बाद में उन्होंने कहा कि मुझको अब कोई शिकायत नहीं है क्योंकि जांच के बाद मेरी शिकायत दूर हो गयी है।

कुंवर तेजभानसिंह---

जिले भर में शिकायत थी। वह प्रश्न ७ के बजाय २० को हुआ। लोगों ने इसकी जिलाधीश से शिकायत की। तो क्या माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे ? अगर ध्यान न दिया गया तो जिले में बहुत बुरा असर पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष---

वह तो दूसरी बात हो गयी।

माघ मेला में नियुक्त बस कण्डक्टर्स

*१९—श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय (जिला जौनपुर)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष माघ मेले में काम करने के लिए कितने कन्डक्टर नियुक्त किये गये और उनको क्या वेतन दिया गया ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

२०७ कन्डक्टर नियुक्त हुए, वेतन-क्रम ६०-४-८०-ई० बी०-४-१०० में, जिन्हें अभी तक २६३८ रु० वेतन दिया जा चुका है ।

*२०—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि बस स्टेशन, जौनपुर पर नियुक्त कौन ऐसे आठ कन्डक्टर्स हैं जिन्होंने किसी रूट कर काम नहीं किया और उन्हें पूरा वेतन दिया गया ? यदि हां, तो सरकार को इससे कितने धन की हानि हुई और इसका कौन जिम्मेदार है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

केवल एक ऐसा कण्डक्टर है । सरकार को इससे किसी भी धन की हानि नहीं हुई तथा इसके लिये कोई जिम्मेदार नहीं है ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि २०७ जो नये कंडक्टर्स नियुक्त किये गये मेले के संबंध में, उनमें से कितने कंडक्टर्स जौनपुर बस स्टेशन पर नियुक्त किये गये ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

इसकी सूचना नहीं है कि नये भरती किये गये कंडक्टरों में से कितने जौनपुर बस स्टेशन पर नियुक्त किये गये ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

८ कंडक्टर ऐसे थे जिनको किसी रूट पर नहीं भेजा गया और न किसी प्रकार का काम उनसे लिया गया और उनका कहना था कि वे माननीय मंत्री के निकटतम संबंधी हैं और अधिकारियों पर उन्होंने रोब जमा रखा था, तो क्या माननीय मंत्री जी उसकी जांच करायेंगे कि ८ कंडक्टर ऐसे थे जिन्होंने बैठे बैठे तनख्वाह लीं ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

जो रिपोर्ट मेरे पास है उसके अनुसार एक कंडक्टर से आफिस में काम लिया जाता था और उनको किसी रूट पर नहीं भेजा गया था । बस कंडक्टर तथा जूनियर बुकिंग क्लर्क की तनख्वाह एक सी ही है, इसलिये उसको स्टेशन पर रखने से कोई धन की हानि सरकार को नहीं हुई। बाकी ७ नये बस कंडक्टर्स से कभी कभी स्टेशन पर काम लिया गया, इसलिये उनके बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उनसे रूट पर काम नहीं लिया गया। और २३ फरवरी, १९६४ से वे रूट पर जा रहे हैं ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

मेरा प्रश्न यह था कि जो नये कंडक्टर जौनपुर बस स्टेशन पर नियुक्त किये गये थे उनमें से १ को आफिस में लगा लिया गया और बाकी के बारे में मंत्री महोदय को कोई जानकारी नहीं है, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि क्या वह इस बारे में पुनः जांच करायेंगे कि ८ कंडक्टर ऐसे थे जिनसे किसी प्रकार का काम नहीं लिया गया और उन्होंने बैठे बैठे तनख्वाह ली ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

जो सूचना मेरे पास थी उसके हिसाब से एक को रूट पर नहीं भेजा गया और बाकी जो थे वे रूट पर चले होंगे और उनसे कभी कभी स्टेशन पर भी काम लिया गया ।

श्री अध्यक्ष---

आपकी रिपोर्ट से ऐसा विदित होता है कि ७ ऐसे थे जिनसे कभी कभी काम लिया गया दफ्तर में, तो क्या आप इसकी जांच करायेंगे कि वे किसी रूट पर भेजे गये या नहीं और दफ्तर में क्या क्या काम लिया गया ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

जांच करवा ली जायगी ।

माघ मेला में प्राइवेट बस सर्विस परमिट

*२१---श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि माघ मेले के अवसर पर गोरखपुर, वाराणसी तथा इलाहाबाद रीजन में कितनी प्राइवेट बसों को यात्री ढोने के लिए परमिट दिया गया और उनसे टैक्स के रूप में कितना धन और किस दर से प्राप्त हुआ ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

गत माघ मेले के संबंध में गोरखपुर रीजन तथा इलाहाबाद रीजन (जिसमें वाराणसी भी शामिल है) में कुल १२३ परमिट दिये गये जिनसे ४,९८० रु० ६९ न० पै० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन ऐक्ट के अधीन रोड टैक्स, यात्री कर ऐक्ट के अधीन यात्री कर तथा उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स रूल्स के अधीन परमिट शुल्क के रूप में निर्धारित दरों पर प्राप्त हुआ ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

श्रीमन्, जो १२३ परमिट दिये गये हैं उनका क्या कारण है ? क्या सरकारी बसेज अवेलेबिल नहीं थीं ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

अध्यक्ष महोदय, यह तो मेले के अवसर पर हमेशा ही दिये जाते रहे हैं और बसेज सरकार के पास नहीं होता हैं कि इस भारी भीड़ को कोपविद कर सके ।

श्री अब्दुल बशीर खां (जिला अलीगढ़)---

क्या सरकार की ऐसी पालिसी है कि ऐसे मेले के मौकों पर प्राइवेट आपरेटर्स को ज्यादा परमिट दिये जायं जिससे सहूलियत हो ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

जी हां, जहां सरकार समझती है कि उसके पास पर्याप्त गाड़ियां नहीं हैं, वहां ऐसी व्यवस्था है ।

श्री कल्पनाथसिंह---

श्रीमन्, मैं जानना चाहूंगा कि गोरखपुर रीजन में कितने प्राइवेट बस आपरेटर्स ने आवेदन-पत्र दिये और उनमें जिन लोगों को परमिट दिये गये वह किस अधिकारी के इनीशियेटिव पर दिये गये ?

श्री अध्यक्ष---

कौन अधिकारी है जो परमिट देता है ?

श्री कल्पनाथसिंह---

जो नहीं। मेरा मतलब यह है कि किस अधिकारी ने उन आवेदन-पत्रों पर सिफारिश की कि आर० टी० ओ० गोरखपुर उनको परमिट दें ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

इसकी सूचना नहीं है कि किस अधिकारी ने सिफारिश की।

श्री कल्पनाथसिंह---

क्या मंत्री जी को सूचना है कि जिन लोगों को स्पेशल परमिट दिये गये हैं उनको आर० टी० ओ० द्वारा एक बार इंकार किया जा चुका है कि परमिट नहीं दिये जायेंगे और सरकारी बसें चलेंगी ? लेकिन इसके बावजूद कुछ व्यक्ति विशेष के प्रेशर के कारण परमिट दिये गये हैं ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

जी नहीं, मुझे सूचना नहीं है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)---

क्या मंत्री जी जांच करायेंगे कि जिनको परमिट दिये गये हैं उनको ५००। ५०० रुपये आर० टी० ओ० को देने पड़े हैं ? क्या मंत्री जी उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न अवश्य है। लेकिन मेरा मतलब यह है कि ऐसे प्रश्न सीधे सामने लाने चाहिये। आपने कह दिया कि क्या मंत्री जी बतायेंगे कि माघ मेले के अवसर पर कितनी प्राइवेट बसें चलीं और अब आप पूछना चाहते हैं कि ५००-५०० रुपये आर० टी० ओ० को दिये हैं, तो यह गलत है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

क्या मंत्री जी जांच करायेंगे कि यह जो परमिट दिये गये, उसके बावजूद कि आर०टी० ओ० ने कह दिया था कि यह नेशनेलाइज रोड है और इस पर सरकारी बसें चलेंगी और आवेदन-पत्र भी रिजेक्ट कर दिये थे, फिर भी परमिट देने का क्या आधार है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

इसकी मुझे सूचना नहीं है कि पहले रिजेक्ट कर दिये गये और बाद में परमिट दिये गये। आर० टी० ओ० ने ही परमिट नहीं दिये बल्कि जिलाधीश बस्ती, गोंडा और बहराइच ने भी दिये हैं।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि १२३ परमिट कितने दिन को दिये और उन गाड़ियों की औसत कैपेसिटी क्या थी ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक गाड़ी की कैपेसिटी की सूचना मेरे पास नहीं है। यात्री कर की सूची तो मेरे पास है। आपकी इजाजत हो तो जितनी परमिट जिन साहब ने दिया है और उसके अगेंस्ट जितना वसूल किया है, उसको पढ़कर सुना दूं। शेष सूचना मेरे पास नहीं है।

पूर्वी जिलों में सिंचाई

*२२--श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पूर्वी जिलों के पिछड़ेपन को देखते हुए वहां सिंचाई के क्या-क्या साधन उपलब्ध किये जायेंगे तथा जोनपुर जिले के लिए पटेल आयोग की क्या सिफारिशें प्राप्त हुई हैं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

इस क्षेत्र में सिंचाई सुविधायें पहुंचाने के लिये कुछ योजनायें तृतीय पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई हैं, उन पर २१.१४ करोड़ रु० व्यय करने का प्रस्ताव है और उनसे ७.५३ लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि को सिंचन क्षमता उपलब्ध होने की संभावना है।

पटेल कमीशन की पूरी रिपोर्ट विभाग को अभी प्राप्त नहीं हुई है। उसके प्राप्त होने के पश्चात् ही जौनपुर के लिए उनकी सिफारिशों के संबंध में निश्चित रूप से कहा जा सकता है।

श्री जगन्नाथ राव---

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो यह २१.१४ करोड़ रुपये व्यय करने की योजना है उनमें जौनपुर जिले में भी सिंचाई की योजनाओं पर खर्च किया जायगा ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

यह जो शारदा सागर का दूसरा चरण है उससे जौनपुर, फैजाबाद, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ को लाभ होगा। नानकसागर की भी जो स्कीम है उससे जौनपुर को लाभ होगा। नलकूप की योजनाओं में और जल निकासी की योजनाओं में भी जौनपुर शामिल है।

श्री जगन्नाथ राव---

यह कुछ समझ में नहीं आया कि कौन कौन सी योजनाओं में जौनपुर को शामिल किया गया है जिनसे जौनपुर जिले की भूमि सिंचित की जायगी तथा नलकूप की कौन सी योजनायें हैं जो सिंचाई के लिये हैं।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

अभी विस्तृत पटेल कमीशन की रिपोर्ट तो उपलब्ध नहीं है। लेकिन जो २१ करोड़ वाली स्कीम है उसमें बहुत सी स्कीमें हैं। शारदा सागर का जो दूसरा चरण है उससे जौनपुर जिले को लाभ होने वाला है। नानकसागर की योजना से भी जौनपुर जिले को लाभ होने वाला है। जो राजकीय नलकूप बनेंगे उससे भी जौनपुर जिले को लाभ होगा। पानी निकालने की जो योजना है उससे भी जौनपुर को लाभ होगा।

श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जिलेवार कितना रुपया किस जिले में खर्च करने की इस योजना के अन्तर्गत व्यवस्था है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

यह सूचना तो मांगी नहीं गई थी। इस वजह से मेरे पास नहीं है।

श्री ऊदल--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि शारदा सागर से नहरों के विस्तार की जो योजना है उसकी एक नहर की शाखा को केराकत नाम से एक माइनर है जिसका एक भाग बनारस में है तो क्या उसमें से भी कोई माइनर निकालने की योजना है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

शारदा सागर की इतनी डिटेल मेरे पास नहीं है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

अभी माननीय मुख्य मंत्री दिल्ली गई थीं और इस पटेल जांच आयोग के मुताल्लिक पूर्वी जिलों में क्या क्या विकास के साधन और सिंचाई के साधन किये जायं इसके बारे में वहां पर प्लानिंग कमीशन के मेम्बरों से बात की थी । क्या मंत्री जी इस संबंध में किस किस तरह की योजनाएं पूर्वी जिलों के विकास के संबंध में बनाई गईं, इसका उत्तर देने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

यह कल्ल अज बक्त वावेला है ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी जिलों में जो सिंचाई के साधन उपलब्ध करने का सरकार ने निर्णय किया है उसको देखते हुए तथा जो ट्यूबवैल लगाने की योजना बड़े पैमाने पर चल रही थी पिछले सात आठ सालों में, यह देखते हुए कि वह काफी असफल रही है, बहुत से क्षेत्रों में ट्यूववैल लगे हैं, लाखों रुपया उनपर खर्च हुआ हैऔर वह असफल हो गये हैं, तो उनको देखते हुये सरकार ने यह निर्णय किया है कि मेसीनरी वैल बड़े पैमाने पर लगाये जायं ? अगर हां, तो क्या माननीय मंत्री जी उसका विवरण देने की कृपा करेंगे कि उसमें कितनी लागत लगेगी और किसानों को उसमें कितना रुपया देना पड़ेगा ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

यह चीज तो माइनर इर्रीगेशन के अन्डर में प्लानिंग में वह देख रहे हैं । और यह बात सही नहीं है कि जो ट्यूबवैल्स हैं वह बिलकुल फेल हो गये हैं । लेकिन अगर कहीं ट्यूबवैल काम नहीं करते हैं और वहां मेसीनरी वेल काम कर सकते हैं, तो वह काम करेंगे और ट्यूबवैल काम कर सकते हैं वहां वह करेंगे । कुछ ऐसे एरियाज हैं कि जहां ट्यूबवैल के सिवाय मेसीनरी वैल्स वगैरह कुछ काम नहीं कर सकते । तो अलग अलग स्थिति है । जहां जैसा उचित होगा उस तरह का इंतजाम किया जायगा ।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)---

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि पूर्वी जिलों में सिंचाई की सुविधा प्रदान करने की योजना है, तो मैं जानना चाहता हूं कि पूर्वी जिलों में कौन-कौन से जिले हैं वहां वह सुविधा प्रदान करने जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष---

यह तो उन्होंने पढ़ दिया था, फैजाबाद है उसमें ।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय---

माननीय मुख्य मन्त्री जी दिल्ली गयी थीं और वह वहां से लौट कर आयी हैं । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि पूर्वी जिलों के लिए पटेल आयोग से जो बातचीत हुई इस सिलसिले में कितना रुपया जौनपुर, आजमगढ़, बलिया आदि पूर्वी जिलों के लिए निश्चित किया गया । और वह रुपया कितने समय के अन्दर खर्च कर दिया जायगा ?

मुख्य मन्त्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)---

मैं आप के मारफत माननीय सदस्यगण से यही निवेदन करूंगी कि बहुत जल्दी अगर सवाल इस तरह से पूछने लग जायेंगे तो शायद उससे अपना ही काम बिगड़ जाय। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा मिले। हम लोगों ने अपनी तरफ से अगले दो सालों में यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक इन चार जिलों के लिये ९ करोड़ या १० करोड़ रुपये की मांग की है; उसमें जितना ज्यादा से ज्यादा मिल जाय उतना ही अच्छा है। इस वक्त निगोशियेशन की स्टेज है। बार-बार सवाल पूछने से कोई खास फायदा नहीं है।

(श्री रघुनाथसिंह का नाम पुकारे जाने पर)

एक सदस्य---

इन जिलों में मिर्जापुर का नाम क्यों नहीं है?

श्री अध्यक्ष---

इसलिये कि आप इतने मजबूत आदमी वहां के हैं। आप बैठ जायं। मैंने बावटर रघुनाथ सिंह का नाम पुकारा है।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी जिलों के जिन इलाकों में नहरें निकाली गई हैं उनमें बहुत से गांव उन नहरों के धरातल से ऊंचे होने के कारण वहां नहरों की उपशाखायें नहीं निकाली जा सकतीं और नहरी क्षेत्र में होने के कारण सिंचाई विभाग वहां ट्यूबवैल भी नहीं बना सकता, इस वजह से प्रदेश की बहुत सी उपजाऊ जमीन बिना सिंचाई की व्यवस्था के रह जाती हैं, तो ऐसे स्थानों के लिये सरकार कौन सी व्यवस्था करने जा रही है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

यह तो आपकी नोटिस मानकर देख लेंगे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है।

जौनपुर जिले में नलकूप

*२३---श्री जगन्नाथ राव---

क्या सरकार रामनगर ब्लाक, जिला जौनपुर, के अन्तर्गत आदीपुर, बुद्धिपुर, बशीरपुर, गुलालपुर बटौआ आदि गांवों एवं इटावा, हुसेनपुर, हरसिंहपुर, आदि गांवों में सिंचाई के लिये नलकूप लगाने का विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

प्रथम भाग---ग्राम आदिपुर, बटौआं एवं बसीरपुर की सिंचाई धरमपुर नलकूप से हो जाती है तथा ग्राम गुलालपुर और बुद्धिपुर का कुछ भाग नलकूप बोकरा से सिंचित होता है। उक्त दोनों ग्रामों का शेष भाग तथा अन्य शेष ग्रामों के लिये फिलहाल नलकूप लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

द्वितीय भाग---प्रश्न नहीं उठता।

श्री जगन्नाथ राव---

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि धरमपुर नलकूप से ६२-६३ में आदिपुर गांव सभा को और नौकरा नलकूप से बुद्धिपुर गांव सभा की कितनी सिंचाई हुई है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

बुद्धिपुर में नौकरा से १५ एकड़ और आदिपुर में धर्मापुर नलकूप से ७८ एकड़।

श्री जगन्नाथ राव---

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि धर्मपुर नलकूप और नकुड़ा नलकूप का कमांड एरिया कम होने के कारण आदिपुर, गुलालपुर, आदि गांवों को पानी नहीं मिल रहा है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

इसकी सूचना मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं महसूस करता हूं कि कुछ एरिया वहां ऐसा है जहां एक नलकूप लग सकता है तो आप सर्वे करा लें और अगर फीजिबिल हुआ कि वहां नलकूप लग सके तो उस पर विचार किया जायगा ।

फैजाबाद जिले में पक्की गूल में ली गई जमीन का मुआवजा

*२४---श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर)---

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मौजा सिकन्दरपुर, फैजाबाद में अब से ९-१० साल पहले एक ट्यूबवेल और उसकी सड़क बनाने के लिये किसानो से जो जमीन ली गई थी उसका मुआवजा अब तक सब किसानों को नहीं दिया गया ? यदि हां, तो ऐसे कितने किसान हैं और मुआवजा न देने का क्या कारण है ?

श्री गिरधारीलाल---

ऐसा कोई केस नहीं है जिसमें ट्यूबवैल या ट्यूबवैल की सड़क (Tube well Service Road) के लिये ग्राम सिकन्दरपुर में नौ-दस वर्ष पहले जमीन ली गई है, किन्तु उसका मुआवजा अभी तक न दिया गया हो। केवल पक्की गूल (अकबरपुर ग्रुप के नलकूप संख्या ६३) के लिये ली गई जमीन का मुआवजा अभी नहीं दिया गया है। विज्ञप्ति में ली जाने वाली भूमि के विवरण तथा वास्तव में ली गई भूमि में अन्तर होने के कारण मामला सम्बन्धित अधिकारी अधिशासी अभियन्ता विशेष भूमि प्राप्ति अधिकारी के बीच पत्र व्यवहार में रहा जिसकी वजह से भूमि अधिकरण की कार्यवाही तय (finalise) नहीं हो सकी और किसानों को मुआवजा नहीं दिया जा सका है। जिसको मुआवजा नहीं मिला है उन किसानों का विवरण संलग्न सूची में दिया है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ २५४ पर।)

*२५---श्री अहमद बख्श---

क्या सिंचाई मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इस जमीन के मुआवजा के सम्बन्ध में वहां के किसानों ने जिलाधीश को भी दरख्वास्तें दीं ? यदि हां, तो किसानों ने जिलाधीश को कितनी दरख्वास्तें दीं और कितनी बार दीं और उसका क्या नतीजा हुआ ?

श्री गिरधारीलाल---

प्रथम भाग---जिलाधीश को कोई प्रार्थना-पत्र नहीं मिला ।

द्वितीय भाग---प्रश्न नहीं उठता ।

*२६---श्री अहमद बख्श---

क्या सिंचाई मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि किसानों से जो बदस्तूर पूरी जमीन का लगान वसूल किया जा रहा है उसे अब तक बन्द क्यों नहीं करवाया गया और उसको किसानों को अब वापस कराने की क्या कार्यवाही सरकार कर रही है ?

नोट---तारांकित प्रश्न २३ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री गिरधारीलाल--

किसानों से मालगुजारी की वसूली नहीं रोकी जा सकी क्योंकि सम्बन्धित कागजात के अपूर्ण होने के कारण जो धनराशि मालगुजारी में कम होनी चाहिये थी उसकी सही सूचना जिलाधीश को न मिल सकीं। सम्बन्धित अधिकारियों को मामला तुरन्त फैसला करने तथा किसानों से वसूली की गई मालगुजारी उनको तुरन्त वापस करने के आदेश भेजे जा रहे हैं।

*२७--श्री ब्रह्मदत्त भायर (जिला सहारनपुर)--

[२० मार्च, १९६४ के लिये प्रश्न संख्या २६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*२८--श्री कल्पनाथसिंह तथा श्री कैलाश--

[२४ मार्च, १९६४ के लिये प्रश्न संख्या ५ के अन्तर्गत स्थगित किया गया।]

[१७ मार्च, १९६४ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

बाढ़ निरोधक योजनाएं

*१--श्री कल्पनाथसिंह--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बिगत बाढ़ के बाद केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया है कि बाढ़ रोकने के लिये जो मास्टर प्लान बना है वह पूरा व ठीक नहीं है? यदि हां, तो प्रान्तीय सरकार ने कौन-कौन सी योजनायें केन्द्र को भेजी हैं?

श्री गिरधारीलाल--

प्रथम भाग--उत्तर प्रदेश में जो बाढ़ निरोधक योजनाओं के लिये मास्टर प्लान बना है उस पर केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग ने पिछले वर्षों में कुछ सुझाव दिये हैं और उन सुझावों के आधार पर उक्त मास्टर प्लान को संशोधित किया जा रहा है।

द्वितीय भाग--राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्वीकृत सभी योजनाओं को अभी तक नियोजन आयोग की स्वीकृति के लिये भेजा जाता था, परन्तु अब दस लाख रुपये से कम लागत वाली उन योजनाओं को, जिनका प्रभाव दूसरे विभागों या प्रदेशों में नहीं पड़ता, भेजने की आवश्यकता नहीं है।

*२--श्री कल्पनाथसिंह--

क्या यह सही है कि प्रान्त और केन्द्र की सरकार में जो बातचीत बाढ़ निरोधक योजनाओं को लागू करने के लिये चल रही है उसके फलस्वरूप केन्द्रीय बाढ़ आयोग, योजना आयोग और केन्द्रीय सिंचाई मंत्रालय तथा प्रान्तीय सरकार के प्रतिनिधि कोई बैठक करने जा रहे हैं? यदि हां, तो उसकी रूप-रेखा क्या है?

श्री गिरधारीलाल--

प्रथम भाग--जी नहीं।

द्वितीय भाग--प्रश्न नहीं उठता।

घाघरा नदी का कटाव तथा हाहा नाला बांध

*३--श्री मानपालसिंह (जिला हमीरपुर) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

क्या सिंचाई मंत्री दिनांक ४ फरवरी, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या ४० के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि उक्त ग्रामों के सामने घाघरा नदी का कटाव कितनी-कितनी दूरी पर रह गया है?

श्री गिरधारीलाल---

आवश्यक सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ २५५ पर ।)

*४---श्री मदनपालसिंह तथा श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हाहा नाला बांध की रक्षा हेतु सम्प्रति कौन-कौन उपाय सरकार के विचाराधीन हैं और वे कब तक अमल में लाये जायेंगे ?

श्री गिरधारीलाल---

इस सम्बन्ध में एक योजना की जांच इरीगेशन रिसर्च सर्किल में हो रही है । जांच समाप्त होने पर ही यह मालूम हो सकेगा कि यह योजना किस प्रकार की होगी और कब तक कार्यान्वित हो सकेगी ।

*५---श्री मदनपालसिंह तथा श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हाहा नाला बन्ध के सामने कटाव का निरीक्षण करने कौन-कौन अधिकारी गये थे ?

श्री गिरधारीलाल---

नलकूप खंड, आजमगढ़ के सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता और सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता ।

*६-७---श्री रघुनाथसिंह---

[३१ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किये गये ।]

बस ड्राइवरों व कण्डक्टरों का वेतन

*८---श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस-चालक तथा कन्डक्टरों के वेतन-वृद्धि पर अग्रिम वित्तीय वर्ष में विचार करने की योजना उनके विचाराधीन है ?

परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)---

जी नहीं ।

हरदोई जिले में बस सर्विस

*९---श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हरदोई जिले में किन-किन सड़कों पर सरकारी रोडवेज चलाने के सम्बन्ध में गजट हुआ है और कब-कब तथा उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है और कब तक सरकार उन सड़कों पर सरकारी बसें चलाने जा रही है ?

श्री मुजफ्फर हसन---

(वांछित सूचना संलग्न तालिका में 'क' में दी गई है) ।

जहां तक प्रश्न के शेष भाग का सम्बन्ध है, स्थिति निम्न प्रकार है---

हरदोई, सांडी, दुर्गागंज मार्ग की योजना के खिलाफ प्राप्त आपत्तियों पर विचार करने के पश्चात् जे० एल० आर० महोदय ने उक्त योजना स्वीकार कर ली तथा उसकी अन्तिम विज्ञप्ति जारी की जा रही है । इसके गजट में प्रकाशित होने के बाद लगभग डेढ़ माह में सरकारी गाड़ियां चलने लगेंगी ।

विज्ञप्ति दिनांक ६ जुलाई, १९६० व २७ जुलाई, १९६३ के अन्तर्गत प्रकाशित मार्गों की योजनाओं को जे० एल० आर० महोदय के आदेश क्रमशः २३ मार्च, १९६३ व २३ दिसम्बर, १९६३ के अनुसार संशोधित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। उक्त योजनाओं पर अग्रिम कार्यवाही जे० एल० आर० द्वारा अन्तिम फैसले के पश्चात् संभव हो सकेगी।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ २५६ पर)

*१०--श्री मोहनलाल वर्मा--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ-हरदोई सड़क पर पी० टी० ए० द्वारा कुछ प्राइवेट मोटर वालों के परमिट खारिज होकर दूसरे लोगों को दिये गये थे और उन लोगों ने हाई कोर्ट में रिट फाइल करके स्टे करवाया था ? यदि हां, तो किस सन् में और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ? यदि नहीं, तो देरी का क्या कारण है ?

श्री मुजफ्फरहसन---

पी० टी० ए० द्वारा नहीं बल्कि स्टेट ट्रांसपोर्ट अथारिटी (ट्रिब्यूनल) द्वारा सन् १९५९ में परमिट खारिज हुये थे।

रिट के निर्णय के आधार पर सम्बन्धित प्राधिकारी कार्यवाही करेंगे। अतः शासन द्वारा देरी का प्रश्न नहीं उठता।

*११--श्री मोहनलाल वर्मा--

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि हरदोई-शाहजहांपुर, हरदोई-सीतापुर, हरदोई सन्डीला वाया बेसीगंज, हरदोई-लखनऊ, हरदोई-उन्नाव तथा हरदोई-सांडी प्रत्येक रोड पर कितनी-कितनी प्राइवेट बसें चल रही हैं और उनमें कितने परमिट परमानेन्ट हैं तथा कितने टेम्पोरेरी और कितने खुद चला रहे हैं और कितने परमिट किराये पर चल रहे हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन---

इसकी सूचना कि प्राइवेट बसों को किस प्रकार के परमिट दिये गये हैं, संलग्न तालिका 'ख' में दर्ज है।

शासकीय अभिलेखों के अनुसार परमिट होल्डर्स खुद बस चला रहे हैं। नियमानुसार परमिट किराये पर नहीं चलाये जा सकते।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ २५७ पर)

मालन ड्रेन स्कीम का स्थगन

*१२--श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)--

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिजनौर जिले में मालन ड्रेन स्कीम स्थगित की गयी है ? यदि हां, तो स्थगित करने से पूर्व कितना रुपया इस पर खर्च किया गया है ?

श्री गिरधारीलाल---

जी हां, योजना पर कार्य इस समय रोक दिया गया है। योजना के कार्यों पर १,६३,३५५ रुपये व्यय किया गया है जिसमें मशीनों इत्यादि की कीमत भी शामिल है।

कायमगंज तहसील में बिजली-व्यवस्था

*१३--श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला फर्रुखाबाद की तहसील कायमगंज में हाईडिल डिपार्टमेंट की तरफ से जो बिजली की सप्लाई की जाती है उसका वोल्टेज बहुत कम है जिससे आये दिन बिजली फेल हो जाती है और जिसके विषय में सरकार तथा सम्बन्धित अधिकारियों को बहुत बार सूचित किया जा चुका है ? यदि हां, तो सरकार इसके विषय में क्या करने जा रही है ?

श्री गिरधारीलाल--

जिला फर्रुखाबाद की कायमगंज तहसील में पीक लोड के समय कुछ वोल्टेज कम होने की शिकायत मिली थी परन्तु वोल्टेज बढ़ाने के लिये कायमगंज में कैपिस्टर लगा दिये गये हैं। इस क्षेत्र में अधिक बिजली देने के लिये और अधिक वोल्टेज बढ़ाने के लिये एक ३७.५ के० वी० लाइन निबकरोरी सबस्टेशन से कायमगंज सबस्टेशन तक बनाई जायेगी।

*१४--श्री उग्रसेन--

[हटा दिया गया।]

गोंडा जिले के विकास क्षेत्रों से सम्बन्धित जीपों की मरम्मत

*१५--श्री ईश्वरशरण (जिला गोंडा)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर (टैक्नीकल), श्री माथुर व उनके असिस्टेन्ट इंस्पेक्टर, श्री बाजपेयी व श्रीवास्तव लखनऊ में कितने दिनों से हैं, उक्त अफसरों की योग्यता तथा उनके सिपुर्द काम क्या हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन--

सर्वश्री माथुर, बाजपेयी तथा श्रीवास्तव क्रमशः १ अप्रैल, १९४८, २५ जुलाई, १९५१ व २१ मार्च, १९५९ से लखनऊ में हैं।

इसकी योग्यता तथा इनके सिपुर्द कार्यों के सम्बन्ध में वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ २५८-२५९ पर)।

*१६--श्री ईश्वरशरण--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिला के विकास क्षेत्र इटियाथोक व शिवपूरा की जीप गाड़ियां उक्त अधिकारियों के पास १९६२ में मरम्मत के लिये भेजी गयी थीं ? यदि हां, तो किस फर्म में और कहां उनकी मरम्मत करायी गयी है ?

श्री मुजफ्फर हसन--

१९६२ में केवल विकास क्षेत्र, शिवपूरा की गाड़ी मरम्मत के लिये परिवहन विभाग को भेजी गई थी। उसकी मरम्मत लखनऊ में कैलाश मोटर स्टोर्स से कराई गई थी।

*१७--श्री ईश्वरशरण--

क्या यह सत्य है कि यही गाड़ियां सन् १९६३ में बड़े पैमाने पर मरम्मत के लिये फिर भेजनी पड़ी ? यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त गाड़ियां कितने मील चलने के बाद फिर उनको मेजर रिपेयर की जरूरत पड़ी तथा यह गाड़ियां इस मरतबा मेजर रिपेयर के लिये किस फर्म को दी गयीं ?

श्री मुजफ्फर हसन--

प्रश्न संख्या १६ के उत्तर में उल्लिखित गाड़ी अब तक परिवहन विभाग को मरम्मत के लिये दुबारा नहीं भेजी गयी। शेष प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर क्षेत्र में राप्ती पर बांध

*१८--श्री रामलखन शुक्ल (जिला गोरखपुर) तथा श्री कल्पनाथसिंह--

क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि गोरखपुर डिवीजन में राप्ती नदी के किनारे मलौनी बांध को गायघाट तक बढ़ाकर सुपुष्ट करने की योजना वह बना चुकी है? यदि हां, तो यह कार्य कब से चालू होगा तथा उस पर खर्च का क्या अनुमान है?

श्री गिरधारीलाल---

(१) जी नहीं, अभी इसका सर्वेक्षण हो रहा है।
(२) अभी इसकी कोई निश्चित तिथि नहीं बताई जा सकती।
(३) लगभग ५७ लाख रुपये।

*१९--श्री रामलखन शुक्ल तथा श्री कल्पनाथसिंह---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राप्ती नदी के पश्चिमी किनारे पर गोरखपुर से बड़हलगंज के बीच कोई बांध बांधने की योजना सरकार के विचाराधीन है?

श्री गिरधारीलाल--

जी हां, इस पर सर्वेक्षण शुरू किया जा रहा है।

नहर व नलकूप सर्विस रोड का प्रयोग

*२०--श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास कार्यों तथा कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिये, सिंचाई कार्यों से पूरा करने के लिये नहर व ट्यूबवैल की सर्विस रोड से निर्माण का आवश्यक सामान बैलगाड़ी या मोटर ठेला द्वारा ले जाने की इजाजत किसानों को देने पर क्या सरकार विचार कर रही है?

श्री गिरधारी लाल---

जी नहीं। ऐसा कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

*२१-२२--श्री चन्द्रपाल (जिला बस्ती)--

[३१ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किये गये।]

*२३--श्री केशरीप्रसाद पांडेय तथा श्री रामसुन्दर पांडेय--

[३१ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किया गया।]

रुद्रपुर थाने में बस दुर्घटना

*२४--श्री चन्द्रबलीसिंह--

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिला में रुद्रपुर थाना क्षेत्र के श्री दग्धेश्वर नाथ मंदिर के पास एक जुलाई, १९६३ से ३१ अक्तूबर, १९६३ के बीच किसी तिथि को कोई ट्रक सचौली पटवनियां ग्राम के बाढ़ पीड़ित बलवन्त यादव को कुचलती भाग गयी थी? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में कौन सी कार्यवाही की जा रही है?

श्री मुजफ्फर हसन---

दिनांक ९ अगस्त, १९६३ को लगभग २ बजे रात के श्री बलवन्त यादव को एक ट्रक कुचल कर भाग गई। पुलिस ने मुकदमा कायम किया परन्तु दिनांक ६ दिसम्बर, १९६३ को फाइनल रिपोर्ट द्वारा विवेचना समाप्त की गई।

गोरखपुर क्षेत्र, में रोडवेज कर्मचारियों का बकाया

*२५---श्री कल्पनाथसिंह---

क्या परिवहन मंत्री कृपया ७ अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या २८ के क्रम में बतायेंगे कि कर्मचारियों का बकाया पैसा उन्हें अब तक प्राप्त हो गया है या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों और कितना रुपया अभी कर्मचारियों को देना शेष है?

श्री मुजफ्फर हसन---

अधिकांश कर्मचारियों के बकाये का भुगतान हो चुका है और कुछ को भुगतान होना शेष है। देरी का कारण यह है कि कुछ बिलों को जो १ वर्ष से अधिक पुराने थे प्री आडिट के लिये भेजा गया है। कुछ बिलों में त्रुटियां पायी गयीं और उन्हें दूर करने के लिये सम्बन्धित कार्यालयों से पत्र व्यवहार चल रहा है?

अभी ८,४६७ ० ४८ न० पैसे का भुगतान करना बाकी है।

*२६-२७---श्री राजेन्द्र सिंह यादव (जिला फर्रुखाबाद)---

[३१ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किये गये।]

*२८---श्री राजेन्द्रसिंह यादव---

[६ठें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ७६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

शाहाबाद तहसील में लेखपालों को चुनाव भत्ता

*२९---श्री पूरन लाल (जिला हरदोई)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९६१-६२ में जनरल एलेक्शन में जिला हरदोई की तहसील शाहाबाद में कितना खर्चा उन लेखपालों को दिया गया जिन्होंने पोलिंग स्टेशनों पर पोलिंग बनाने का प्रबन्ध किया?

न्याय मन्त्री (श्री सैयद अली जहीर)---

गत तृतीय सामान्य निर्वाचन में जिला हरदोई की तहसील शाहाबाद में दो हजार सात सौ रुपया उन १०१ लेखपालों को दिया गया जिन्होंने मतदान स्थलों को बनाने आदि का कार्य किया था।

*३०---श्री पूरनलाल---

क्या सरकार यह भी बतानें की कृपा करेगी कि वह पैसा कब और किस अधिकारी द्वारा निकाला गया और कितने लेखपालों को वितरित किया गया?

श्री सैयद अली जहीर---

यह धन जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा १ फरवरी, १९६२ तथा २६ मार्च, १९६२ को तहसीलदार शाहाबाद को भेजा गया जिन्होंने यह धन १०१ लेखपालों में वितरित किया था।

रोडवेज ड्राइवरों को रिवार्ड

*३१—श्री कोतवालसिंह भदौरिया—

क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रोडवेज ड्राइवरों को इन्जन, टायर व बैटरी को ठीक रखने पर इनाम दिये जाते हैं ? यदि हां, तो उन्हें सन् १९६० में न देने का क्या कारण है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी हां, रोडवेज ड्राइवरों को इन्जन, टायर व बैटरी रिवार्ड दिया जाता है और बराबर दिया जा रहा है। केवल कानपुर क्षेत्र में रिवार्ड अभी नहीं दिया जा सकाहै क्योंकि सूचियों मे कुछ त्रुटियां थीं।

*३२—श्री कोतवालसिंह भदौरिया—

क्या मन्त्री महोदय इस सम्बन्ध में शीघ्र ही व्यवस्था करेंगे ?

श्री मुजफ्फर हसन—

कानपुर क्षेत्र में रिवार्ड वितरण की शीघ्र व्यवस्था की जावेगी।

फरेंदा क्षेत्र में नलकूपों को बिजली

*३३—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले की फरेंदा तहसील में जो ट्यूबवैल बन गये हैं उन्हें बिजली देने में देर करने का क्या कारण है ?

श्री गिरधारीलाल—

फरेन्दा ग्रुप के राजकीय नलकूपों के विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है और आशा की जाती है कि यह कार्य चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण हो जायगा।

*३४—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या विद्युत् मन्त्री यह भी बतायेंगे कि गोरखपुर जिले के बृजमनगंज, धानी, लोहड़ा तथा बहदुरी कस्बों को कब तक बिजली मिल जायगी ?

श्री गिरधारीलाल—

फरेन्दा ग्रुप के राजकीय नलकूपों के लिये आवश्यक लाइनों का निर्माण पूर्ण हो जाने पर बृजमनगंज तथा लोहड़ा कस्बों का विद्युत्करण का कार्य किया जायेगा। धानी तथा बहादुरी का विद्युतीकरण सम्भव नहीं है।

*३५—श्री उमाशंकर तिवारी (जिला वाराणसी)—

[हटा दिया गया।]

परिवहन विभाग में कर्मचारियों को छुट्टियां

*३६—श्री सुखलाल (जिला लखनऊ)—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन विभाग के कर्मचारियों के लिए मेडिकल छुट्टी तथा आकस्मिक अवकाश न देने का क्या कारण है ?

श्री मुजफ्फरहसन---

रोडवेज शाखा को टेकनिकल साइड में जूनियर फोरमैन से नीचे के पद पर काम करने वाले कर्मचारियों व आपरेशनल साइड में जूनियर स्टेशन इन्चार्ज से नीचे के पद पर काम करनेवाले कर्मचारियों को, जो अस्थाई हैं या १ नवम्बर, १९६० के बाद स्थाई किये गये हैं मेडिकल व आकस्मिक अवकाश नहीं दिया जाता है। इसका कारण यह है कि इन कर्मचारियों की नौकरी की शर्तें अन्य कर्मचारियों की शर्तों से भिन्न है। इन्हें मेडिकल व अन्य सुविधायें श्रम कानून के अन्तर्गत मिलती हैं। परिवहन विभाग के बाकी कर्मचारियों को मेडिकल व आकस्मिक अवकाश फंडामटल सबसीडियरी रूल्स के अनुसार मिलती हैं।

बरसाना को बिजली

*३७---श्री लखीसिंह---

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिले की छाता तहसील के बरसाना में जो बिजली लगाने की योजना है वह भाखड़ा की बिजली से आयेगी ? यदि हां, तो इस लाइन में तहसील के कौन-कौन गांव पड़ेंगे ?

श्री गिरधारीलाल---

जी नहीं।

मेरठ क्षेत्र में नहरी पानी की कमी

*३८---श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सींगनपुर माइनर, बैरा माइनर हिंगवाड़ा माइनर और लाड़पुर माइनर (गंगा नहर मेरठ डिवीजन) में कई वर्षों से पानी कम क्यों दिया जाता है, जिससे कि कृषकों की फसलें खराब हो जाती हैं। क्या सरकार इन माइनरों को सही प्रकार से चलाने पर शीघ्र ध्यान देंगी ?

श्री गिरधारीलाल---

माइनर सिंगनपुर, बैरा, सठला (सिंगवाड़ा नहीं) तथा लाडपुर, अपर परीक्षतगढ़ रजबहा से मील २४-७-३८५ से निकलती है। चूंकि इस रजबहे की निर्धारित क्षमता कम है अतएव उपरोक्त चारों माइनरों को एक साथ नहीं चलाया जा सकता है। अतः दो माइनरों को एक हफ्ते में और अन्य दो माइनरों को दूसरे सप्ताह में चलाया जाता है। यह माइनरें जब चलती हैं तब उनकी टेल पर १ फुट से अधिक पानी गहरा रहता है। पानी की कमी के कारण फसल को कोई नुकसान नहीं हुआ है।

*३९---श्री मुमताज मुहम्मद खां---

क्या सरकार को ज्ञात है कि इन माइनर्स में बाज दफा इतना कम पानी दिया जाता है कि उनके कुलाबों से पानी भरपूर नहीं निकलता और बाज दफा इन माइनर्स को पूरे हफ्ते चलाने के बजाय केवल तीन या चार दिन चलाया जाता है जिससे कि सिंचाई सही प्रकार से नहीं हो पाती?

श्री गिरधारीलाल---

ये माइनरें जब भी चलायी गईं तो पूरे डिस्चार्ज से चलाई गईं। जब अपर परीक्षतगढ़ ब्रांच के आखोर पर डिस्चार्ज दो माइनरों के डिस्चार्ज से बढ़ जाता है तो बाकी का पानी तीसरी माइनर में छोड़ दिया जाता है। इस तीसरी माइनर का चलना परिक्षतगढ़ के आखोर में पानी उपलब्ध होने पर ही सम्भव हो पाता है।

छाता तहसील में नहरी गूलें

*४०—श्री लखीसिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चकबन्दी होने के कारण मथुरा जिले की तहसील छाता में गूल नक्शे में ऊंची नीची जगह पर छोड़ी गयी जिससे सिंचाई में बाधा है पानी खराब होता है? यदि हां, तो नहर विभाग इन गुलों को कब तक ठीक करायेगा ?

श्री गिरधारीलाल—

किसानों द्वारा ही इस बात का पता चला है कि चकबन्दी में गूलें सीधी छोड़ी गईं जिसके कारण वे ऊंची नीची भूमि से गुजरती हैं। इससे सिंचाई में बाधा भी होती है। किन्तु गूलों को बनाने व ठीक कराने की जिम्मेदारी कृषकों की ही है, सिंचाई विभाग की नहीं।

पूर्वी जिलों में बिजली की दर

*४१—श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी जिलों में जिसमें बलिया भी है वहां बिजली की दर सात आना प्रति यूनिट रखा है जबकि रिहन्द की बिजली बड़े-बड़े उद्योगों और धनपतियों को सस्ते दर पर दी गयी है? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—

पूर्वी जिलों में जिनमें बलिया भी है विद्युत् की रोशनी और पंखे के लिये दर ७ आना प्रति यूनिट है, जिसमें १ आना प्रति यूनिट छूट समय पर भुगतान करने पर है, जब कि रिहन्द विद्युत् क्षेत्र में रोशनी तथा पंखे के लिये दर ३५ न० पै० प्रति यूनिट है।

लार्ज और हैवी पावर के लिये पूर्वी क्षेत्र में दर लगभग वही है जैसा कि रिहन्द विद्युत् क्षेत्र में है इस अन्तर के साथ कि पूर्वी क्षेत्रों की दरों में गोरखपुर पावर हाऊस के बंकरों पर कोयले के मूल्य के आधार पर समायोजना (adjustment) होता है। पूर्वी क्षेत्र में विद्युत् की दर कुछ अधिक है क्यों कि यहां पर वाष्प विद्युत् दी जाती है जिसका उत्पादन मूल्य कुछ अधिक आता है।

नलकूप के लिए बिजली लेने का नियम

*४२—श्री मूलचन्द्र शास्त्री (जिला मेरठ)—

क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जब कभी किसी ट्यूबवेल के लिए बिजली विभाग से बिजली की मांग की जाती है तो बिजली विभाग यह शर्त लगाता है कि बिजली तब मिलेगी जब प्रार्थी सिंचाई विभाग से नो आबजेक्शन सार्टिफिकेट ले लेगा, क्या यह ठीक है? और यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां, अभी तक नो आब्जेक्शन सार्टीफिक्केट लेना होता था तरन्तु अब आदेश जारी किये जा रहे हैं कि सरकारी नलकूपों से चार फरलांग से अधिक फासले पर या किसी मेन कैनाल से ६, फर्लांग से अधिक फासले पर तथा किसी छोटी कैनाल से दो फर्लांग से अधिक फासले पर यदि किसी को अपना निजी नलकुप लगाना है तो उसके लिए विद्युत् शक्ति सैंक्शन करने के लिये नो आब्जेक्शन सार्टिफिकैट की आवश्यकता नहीं होगी।

*४३-४४—श्री उमाशंकर तथा श्री दौलतलाल (जिला आजमगढ़)—

[२० मार्च, १९६४ के लिए प्रश्न संख्या ६१-६२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये]

आजमगढ़ जिले में बाढ़ सहायता धन का दुरुपयोग

*४५—श्री उमाशंकर तथा श्री दौलतलाल—

क्या सरकार का ध्यान विनियोग लेखे १९६०-६१ तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, १९६२ पर लोक लेखा समिति (उत्तर प्रदेश) के प्रतिवेदन में वर्णित आजमगढ़ जिले में बाढ़ आश्रम के

लिए दिये गये २३,१६१ रुपये के दुरुपयोग की ओर गया है ? यदि हां, तो क्या जिम्मेदार अधिकारियों के वेतन से वह धन काट कर वसूलने की कार्यवाही तत्काल हो रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल--

यह मामला अभी सरकार के विचाराधीन है।

रोडवेज क्षेत्र,इलाहाबाद में नियुक्तियां

*४६--श्री गयाप्रसाद--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि १९६० से अब तक परिवहन विभाग,इलाहाबाद रीजन में कुल कितनी नियुक्तियां हुई हैं तथा क्या यह सत्य है कि उनमें अधिकतर किसी जाति विशेष की नियुक्तियां की गयी हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन--

कुल २,३०७ नियुक्तियां की गई हैं इनमें से २,२२७ रोडवेज शाखा तथा ८० नान रोडवेज शाखाओं में की गयी है। नियुक्तियों के अभिलेखों में अनुसूचित जाति। अतिरिक्त और किसी जाति अथवा उप जाति का उल्लेख नहीं होता। अतः नियुक्तियों में अनुसूचित जाति के अलावा और किसी जाति विशेष की संख्या बताना संभव नहीं है।

मासिक बस टिकट

*४७--श्री रामकिशोर वर्मा--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय नगर ट्रांसपोर्ट बसों के शहरी यात्रियों को मासिक टिकट देने की व्यवस्था है ? यदि हां, तो क्या वे ग्रामीण क्षेत्र के यात्रियों व जन साधारण के लिए ऐसी व्यवस्था करेंगे, जिससे ग्रामीण अंचलों में दौड़ने वाली राजकीय बसों में यात्रियों को मासिक टिकट मिल सके ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन--

राजकीय नगर ट्रांसपोर्ट बसों में विद्यार्थियों को छोड़कर अन्य यात्रियों को मासिक टिकट देने की व्यवस्था नहीं है। केवल देहरादून, क्लेमन टाउन तथा देहरादून प्रेमनगर मार्गों पर मासिक टिकट दिया जाता है क्योंकि वहां ऐसी सुविधा प्राइवेट आपरेटर्स दिये हुये थे।

ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाली राजकीय रोडवेज बसों में यात्रियों को मासिक टिकट देने की व्यवस्था है।

फतेहपुर जिले में बस सर्विस बढ़ाने की प्रार्थना

*४८--श्री रामकिशोर वर्मा--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जिले के विधायकों, जिला परिषद् के सदस्यों और जिले के प्रतिष्ठित नागरिकों का कोई आवेदन-पत्र जिसमें यातायात की कठिनाई हल करने तथा यातायात विहीन क्षेत्र में सुविधा प्रदान करने के लिए जहानाबाद-अमौली वाया शहवाजपुर नव निर्मित सड़क पर रोडवेज बस चलाने की प्रार्थना की गयी है। नवम्बर, दिसम्बर सन् १९६३ के आसपास जनरल मैनेजर; रीजन कानपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय हुआ ?

श्री मुजफ्फर हुसन--

कानपुर क्षेत्र के प्रधान प्रबन्धक को केवल बरबा निवासियों का आवेदन-पत्र जिसमें अमौली, चांदपुर, बरबा शहबाजपुर सड़क पर बस चलाने की प्रार्थना की गई है, जनवरी, १९६४ में प्राप्त हुआ है। इस मार्ग का सर्वे किया जा रहा है, जिस के पश्चात् इस मार्ग पर रोडवेज की बसों के चलाये जाने या न चलाये जाने के बारे में निर्णय लिया जायेगा।

मुजफ्फरनगर जिले में वकीलों की हेड ड्रेस

*४९--श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)--

क्या न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाई कोर्ट के नियम ६१५ के मुताबिक वकीलों को पगड़ी पहनकर अदालत में आने का नियम बनाया गया है और कैराना, मुजफ्फरनगर में वहां की दीवानी अदालतें वकीलों को पगड़ी पहनकर अदालत में आने को बाध्य कर रही है? यदि हां, तो क्या सरकार इस नियम में तब्दीली करने की कृपा करेगी? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

श्री सैयद अली जहीर--

जी नहीं। नियम ६१५ के अन्तर्गत न्यायालयों में अधिकारी गणों तथा वकीलों के पहनने के वस्त्रों के विषय में आदेश मौजूद हैं। उनके अनुसार यह अनिवार्य नहीं है कि सिर पर कुछ Head dress पहिना जाय परन्तु अगर अधिकारी या वकीलों में से कोई सिर पर कुछ पहनना चाहता है तो वह केवल पगड़ी पहन सकता है। इसलिए तब्दीली का प्रश्न नहीं उठता।

*५०-५१---श्री चन्द्रबलीसिंह--

[३१ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किये गये।]

रोडवेज अधिकारियों को यात्रा सुविधायें

*५२--श्री सूरजलाल गुप्त वकील (जिला गोंडा)--

क्या यह सच है कि राजकीय रोडवेज बसों पर अधिकारी बगैर किसी पास या टिकट के अपने निजी काम से यात्रा करते हैं और यदि कोई निम्न श्रेणी का कर्मचारी अपने निजी काम से यात्रा करना चाहे तो उसको टिकट लेना पड़ता है? यदि हां, तो क्यों यह विषमता है?

श्री मुजफ्फर हुसन---

जी नहीं। ऐसा कोई नियम नहीं है अतः विषमता का प्रश्न नहीं उठता।

*५३--श्री सूरजलाल गुप्त वकील--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राजकीय रोडवेज के सभी वर्गों के कर्मचारियों को निजी कार्य के यात्रा के लिए रेलवे कर्मचारी की तरह पास देने की कोई योजना है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हुसन--

जी नहीं, क्योंकि रोडवेज की स्थिति रेलवे से भिन्न है।

सहारनपुर जिले में नलकूप

*५४--श्री जयगोपाल (जिला सहारनपुर)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गन्ना विकास खण्ड, सरसावां, जिला सहारनपुर में साल १९६३-६४ में दिसम्बर, १९६३ तक कितने ट्यूब वेल बने हैं और कितनों को बिजली मिल गयी है तथा बाकी को कब मिलेगी?

श्री गिरधारीलाल—

(प्रथम भाग) उक्त क्षेत्र में ३१ दिसम्बर, १९६३ तक कोई नलकूप नहीं बनाया गया।
(द्वितीय भाग) प्रश्न नहीं उठता।

मोंठ निवासी, श्री वृन्दावनलाल टिकरिया की सम्पत्ति

*५५—श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह सत्य है कि जिलाधीश झांसी एवं स्वयं मुख्य मंत्राणी जी को तथा राज्यपाल महोदय को मोंठ, जिला झांसी के किसी व्यक्ति द्वारा दिनांक ५ नवम्बर, १९६३ को इस आशय के प्रार्थना-पत्र दिये गये हैं कि स्व० वृन्दावन लाल टिकरिया, ग्राम मोंठ (झांसी) की लाखों रुपये की सम्पत्ति पर जिस पर सरकारी कब्जा जायदाद लावारिस होने के कारण होना चाहिए था अनधिकृत रूप से श्री कौशल किशोर, निवासी मोंठ द्वारा कब्जा कर लिया गया है? यदि शिकायत सत्य है तो कार्यवाही में बिलम्ब क्यों किया जा रहा है?

श्री सैयद अली जहीर—

केवल जिलाधीश, झांसी को उक्त आशय का एक पत्र प्राप्त हुआ था और उस पर आवश्यक छान-बीन की जा रही है। आवश्यक कार्यवाही उसकी सत्यता प्रमाणित होने के पश्चात् की जा सकती है।

*५६—श्री लखपतराम शर्मा—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि क्या यह भी सत्य है कि श्री शंकरलाल सिंह के द्वारा सरकार को यह भी सूचना दिनांक ५ नवम्बर, १९६३ के पत्र में दी गयी है कि यदि सरकार ने २३ जनवरी, १९६४ के पूर्व कानूनी कदम नहीं उठाया तो सरकार को जब कि उसे लाखों रुपये की सम्पत्ति मिल सकती है तो कानूनी अड़चनें पैदा हो जायेंगी? यदि यह सत्य है तो सरकार द्वारा अविलम्ब कार्यवाही के लिए क्या-क्या कदम उठाये गये हैं? क्या सरकार सदन के समक्ष श्री शंकरलाल का दिनांक ५ नवम्बर, १९६३ का प्रार्थना-पत्र रखेगी?

श्री सैयद अली जहीर—

जी नहीं। केवल जिलाधीश महोदय को ही यह पत्र प्राप्त हुआ था जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है। परन्तु वैधानिक मतानुसार सरकार इस सम्बन्ध में सन् १९८२ तक दावा दायर कर सकती है।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ २६० पर)

*५७—श्री लखपतराम शर्मा—

क्या सरकार की जानकारी में यह भी है कि १९ अगस्त, १९५७ को श्री जी० सी० सजनानी, मुन्सिफ, झांसी के किसी निर्णय की सूचना भी सरकार को दी गयी है जिसके द्वारा श्री कौशल-किशोर को कानूनी तरीके पर श्री बृन्दावन लाल टिकरिया का दत्तक पुत्र नहीं माना है? यदि यह सत्य है तो श्री कौशल किशोर के विरुद्ध सरकार ने अपने पक्ष में सम्पत्ति लेने के लिए क्या कार्यवाही की?

श्री सैयद अली जहीर—

जी नहीं। इन प्रश्नों के सिलसिले म जिलाधीश से प्राप्त टिप्पणी में मुन्सिफ महोदय के निर्णय का केवल वर्णन है परन्तु यह स्पष्ट नहीं किया है कि मुन्सिफ ने क्या फैसला दिया।

अतारांकित प्रश्न

आगरा में बस यात्रियों के लिये विश्रामालय

१--श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर में सिटी बस सर्विस के रास्ते में यात्रियों के लिए जो विश्रामालय बनने वाले थे वह अभी तक क्यों नहीं बने ह ?

श्री मुजफ्फर हसन--

उपयुक्त स्थान अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं।

२--श्री रामभजन (जिला खीरी)--

[३१ मार्च, १६६४ के लिये स्थगित किया गया।]

गाजीपुर जिले में रोडवेज़ कर्मचारियों को भत्ता

३--श्री रघुवीर--

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद राजकीय रोडवेज कर्मचारियों को जून, १६६३ से ३१ जनवरी, १६६४ तक का अतिरिक्त कार्य करने का भत्ता मिल गया या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन--

मिल गया।

४--श्री रघुवीर--

[३१ मार्च, १६६४ के लिये स्थगित किया गया।]

हरदोई जिले में नहर ओवरसियर के खिलाफ शिकायत

५--श्री परमाईलाल (जिला हरदोई)--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम शुक्लापुर, तहसील व जिला हरदोई की जनता की तरफ से भ्रष्टाचार की शिकायत ओवरसियर हरई कोठी, साकिन मानपर, शारदा कैनाल नहर, हरदोई के खिलाफ २४ दिसम्बर, १६६३ से २८ दिसम्बर, १६६३ तक कोई शिकायती पत्र मिला है ?

श्री गिरधारीलाल--

जी हां।

६--श्री परमाईलाल--

यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गिरधारीलाल--

इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, हरदोई डिवीजन द्वारा पूरी छानबीन कराई गई है। छानबीन के समय श्री परमाई लाल, एम० एल० ए० भी उपस्थित थे। छानबीन में कोई आरोप सिद्ध नहीं हुए।

७--श्री उमाशंकर तिवारी--

[३१ मार्च, १६६४ के लिये स्थगित किया गया।]

आजमगढ़ जिले के लिये नलकूप

८---श्री भीमाप्रसाद (जिला आजमगढ़) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के किन-किन स्थानों पर वित्तीय वर्ष, १९६३-६४ और १९६४-६५ में नलकूप लगाये जाने वाले हैं ?

श्री गिरधारीलाल---

वित्तीय वर्ष १९६३-६४ में आजमगढ़ जिले में ४ नलकूप निम्नलिखित स्थानों पर लगाये गये हैं :---

(१) फतेहपुर
(२) पारा
(३) बिड़हर
(४) ट्डवल।

वित्तीय वर्ष १९६४-६५ में नलकूप लगाने हेतु स्थान के चुनाव के लिये सर्वेक्षण किया जा रहा है।

असिस्टेंट ट्रैफिक इन्स्पेक्टर व लखनऊ-इलाहाबाद बस सर्विस

९---श्री मेघनार्थसिंह शिशोदिया (जिला मेरठ)--

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि परिवहन विभाग मेरठ क्षेत्र में सभी बुकिंग लिपिकों के एफिशियेंसी बार दक्षता रोक पर रोक क्यों लगा रखी है ?

श्री मुजफ्फर हसन---

ऐसी कोई रोक नहीं है।

१०---श्री मेघनार्थसिंह शिशोदिया---

क्या परिवहन मंत्री उस समय तक असिस्टेंट ट्रैफिक इन्स्पेक्टर के पद के लिए नये चुनाव कराना बन्द रखेंगे जब तक १९६३ में इसी पद के लिए छांटे गये सभी व्यक्तियों को किसी न किसी क्षेत्र में नियुक्ति न दिला दें ?

श्री मुजफ्फर हसन---

ऐसा सम्भव नहीं है।

११---श्री मेघनार्थसिंह शिशोदिया---

क्या परिवहन मंत्री लखनऊ-इलाहाबाद के बीच नान-स्टाप गाड़ियां चलाने की व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब से ?

श्री मुजफ्फर हसन---

जी नहीं। शेष प्रश्न नहीं उठता।

ड्राइवरों व कण्डक्टरों के ठहरने की व्यवस्था तथा बिसवां बस स्टेशन पर पानी

१२---श्री सुखलाल (लखनऊ)---

क्या परिवहन मंत्री कृपा कर यह बतायेंगे कि बस कन्डक्टर तथा ड्राइवर जो रात्रि में ११, १२ बजे तक छुट्टी पाते हैं उन्हें रात्रि में ठहरने के लिए प्रदेश के किन राजकीय बस स्टेशनों पर व्यवस्था है तथा जहां नहीं है उसका क्या कारण है ?

श्री मुजफ्फर हसन--

जिन स्टेशनों पर ठहरने की स्थायी व्यवस्था है उनकी सूचना संलग्न है। बाकी स्थानों पर जैसे-जैसे साधन उपलब्ध हो रहे हैं यह प्रबन्ध किया जा रहा है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ २६१ पर)

१३--श्री सुखलाल (लखनऊ)--

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिस्वां, जिला सीतापुर रोडवेज के डिपो (स्टेशन) पर यात्रियों तथा विभाग के कर्मचारियों को पानी पीने की कोई व्यवस्था है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन--

जी हां, पानी पिलाने के लिये एक वाटर ब्वाय (water boy) रखा गया है। इसके अलावा यात्रियों की सुविधा के लिये पानी से भरा हुआ एक मटका, एक गिलास तथा एक लोटा हमेशा रखा रहता है।

१४-१६--श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)--

[३१ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किये गये।]

धमहापुर को बिजली

१७--श्री कदल--

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ता० ३० जुलाई, १९६३ को उप-मंत्री जी को धमहापुर, परगना कोल असला, जिला वाराणसी की दरख्वास्त प्रश्नकर्ता ने कुम्हार बाजार से गांव सभा धमहापुर तक खेमा गाड़ कर लाइन ले जाने की दी थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गिरधारीलाल--

जी हां। सर्वेक्षण के पश्चात् धमहापुर को विद्युतीकरण के लिए चुन लिया गया है और इसका विद्युतीकरण १९६४-६५ में किया जायेगा।

गोरखपुर जिले में बिजली

१८--श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या विद्युत मंत्री जांच कराकर एक रपट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे कि प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पंचवर्षीय योजना के माह जनवरी, १९६४ तक गोरखपुर जिले के फरेंदा तथा महराजगंज तहसीलों में अलग-अलग कितने गावों तथा कस्बों में बिजली दी गयी ?

श्री गिरधारीलाल--

प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पंचवर्षीय योजना में जनवरी, १९६४ तक गोरखपुर जिले के फरेंदा तथा महराजगंज तहसीलों में विद्युतीकरण की गई जगहों के नाम संलग्न तालिका सूची में दिये हुए हैं।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ २६२ पर)

नौगढ़ तहसील में बिलारी नदी से कटाव

१९—श्री जगदीशप्रसाद पाण्डेय (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि जिला बस्ती, तहसील नौगढ़ में छितरा पार गांव में बड़ी जोर से नदी का कटाव हो रहा है ? क्या सरकार इससे बचाने के लिए थोड़ी जमीन खोदकर नदी का रुख बदलने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रथम भाग—इस गांव में बिलार नदी द्वारा कटाव हो रहा है।

दूसरा भाग—यह गांव नदी की बाहरी loop और meander belt में स्थित है। अतः साधारण कटाव निरोधक मिट्टी का कार्य उपयोगी न होगा।

२०—श्री जगदीशप्रसाद पाण्डेय—

क्या सरकार बतायेगी कि उपरोक्त तहसील में उस्का बाजार में हो रहे कटाव को रोकने के लिए क्या उपाय सोच रही है और उपरोक्त स्थान में कितने मकान कटाव से उजड़ गये ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रथम भाग—इस कटाव को रोकने के लिये इस समय कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

दूसरा भाग—७ मार्च, १९६४ तक की रिपोर्ट से यह ज्ञात हुआ है कि गत वर्षों में एक पुराने मन्दिर के कुछ भाग के अतिरिक्त कोई मकान ध्वस्त नहीं हुआ।

२१—श्री जगदीशप्रसाद पाण्डेय—

क्या सरकार बस्ती जिले में गांव पटाई की योजना इस वर्ष भी चालू रखेगी जिससे भुखमरी से बचत रहे ? यदि हां, तो कितने गांवों को पटाने का विचार है ?

श्री गिरधारी लाल—

इस वर्ष ६४ गांवों को ऊंचा किया जा रहा है।

मथुरा जिले में बाढ़ निरोधक तथा सिंचाई योजनाएं

२२—श्री लखीसिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नहर आगरा, रजबहा बुखरारी पर वर्तमान रबी की फसल में कितने एकड़ गेहूं, जौ, मटर व मसूर व चना की आबपाशी हुई और कितना रकबा बिना पानी के सूख गया ?

श्री गिरधारीलाल—

उक्त रजबहे से रबी की फसल के सिंचाई के आंकड़े निम्नलिखित हैं:—

				एकड़
गेहूं, जौ	..	..	..	३,१००
चना	..	..	..	९०
मटर	..	..	..	१५
			योग ..	३,२०५

किसी रकबे की बिना पानी के सूखने की शिकायत नहीं है।

२३—श्री लखीसिंह—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त रजबहा में पूरी उक्त फसल में पंसाल पानी नहीं चलाया गया जिससे कुलाबों से पानी नहीं निकला ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—

जी नहीं। रजबहा पूरी पंसाल से चलाया गया। जनवरी माह में रजबहे में सिरवाल और काई हो जाने के कारण पूरी पंसाल चलाने पर भी टेल पर पानी की कमी रही जिससे दुबारा रजबहे की सफाई कराई गई। अब कोई शिकायत नहीं है।

२४—श्री लखीसिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त रजबहे के टेल के किसानों के ५० प्रार्थना-पत्र उक्त फसल में नहर अधिकारियों पर आये हैं ? उन पर विभाग ने क्या कार्यवाही की ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां। फलस्वरूप रजबहे को साफ कराया गया और कृषकों की शिकायत दूर की गई।

२५—श्री लखीसिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिले में गर्की व बाढ़ को रोकने के लिए भविष्य में क्या-क्या योजना तैयार की जा रही है और तहसील छाता में अब तक कितने ऐसे गांव हैं जिनके खेतों में पानी भरा पड़ा है ? इन गांवों को बचाने के कितने छोटे बड़े नाले निकाले जा रहे हैं ?

श्री गिरधारीलाल—

मथुरा जिले में गर्की व बाढ़ को रोकने के लिये कुछ योजनाओं का सर्वेक्षण हो रहा है जिसके समाप्त होने के पश्चात् ही यह मालूम हो सकेगा कि कौन-कौन सी योजनायें कार्यान्वित होने योग्य हैं।

तहसील छाता में ५ ग्राम ऐसे हैं जिनमें पानी भरा पड़ा है। इन ग्रामों को बचाने के लिये गोवर्धन ड्रेन का निर्माण किया जा रहा है और कोसी आर्टीरियल ड्रेन का पुनर्निमाण किया जा रहा है।

२६—श्री लखीसिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रजबहा बुखरारी, तहसील छाता में जो शहजादपुर माइनर है उससे अब की रबी की फसल में कितने एकड़ आबपाशी की गयी और इस माइनर में कितने कुलाबे लगाये गये ?

श्री गिरधारीलाल—

शहजादपुर माइनर केवर पलेवा चैनल है। कोर सिंचाई के लिए इस माइनर को नहीं चलाया जाता। इस वर्ष अधिक वर्षा होने के कारण रबी की फसल को किसी भी जिन्स की पलेवा करके बोने की आवश्यकता नहीं हुई। कोर सिंचाई के लिए माइनर को नहीं चलाया गया परन्तु इस माइनर पर लगभग ३५ एकड़ कोर सिंचाई नाजायज ढंग से माइनर को खोल कर किसानों ने कर ली है। इनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। इस माइनर में पलेवा सिंचाई के लिए २४ कुलाबे लगे हुए हैं। इस वर्ष कोई नया कुलाबा नहीं लगा है।

२७—श्री लखीसिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कोसी कलां नाले को जो बरसाती पानी नहीं निकालता चौड़ा किया जायगा ? यदि हां, तो इसमें सरकार का कितना धन व्यय होगा ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां कोसी कलां नाले (Kosi Arterial Drain) को चौड़ा व गहरा किया जा रहा है। इसमें सरकार का लगभग २८ लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है।

२८—श्री लखीसिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिले की छाता तहसील के खाकी इलाके में जिन माइनरों का सर्वे हो चुका है वह कौन-कौन सी हैं और यह कितने-कितने मील लम्बी हैं ?

श्री गिरधारीलाल—

सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ २६३ पर)

२९—श्री लखीसिंह—

क्या मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि इन माइनरों पर खुदाई का कार्य किस साल से शुरू हो जायेगा और इन पर सरकार का कितना रुपया खर्च होने का अनुमान है ?

श्री गिरधारीलाल—

इन माइनरों का काम आरम्भ करने की कोई तिथि निश्चित नहीं हुई है। अभी इनके ब्योरेवार तखमीने नहीं बनाये गये हैं।

३०—श्री लखीसिंह—

क्या विभाग के पास किसानों के प्रार्थना-पत्र श्रमदान द्वारा खोदने के आये हैं ? यदि हां, तो सरकार उनको क्या-क्या सहयोग प्रदान करेगी और जमीन को हस्तान्तरित करने में कितना समय लगेगा ?

श्री गिरधारीलाल—

जी नहीं। चूंकि इन माइनरों को पानी रामगंगा योजना से मिलना है जिसके पूर्ण होने की सम्भावना सन् १९६९ से पहले नहीं है अतः भूमि प्राप्ति तथा निर्माण के सम्बन्ध में अभी कोई प्रश्न नहीं उठता।

बलिया जिले को रिहन्द से बिजली

३१—श्री जगन्नाथ चौधरी—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या रिहन्द बांध की बिजली बलिया जिले को प्राप्त होगी ? यदि हां, तो कब तक और उसका दर क्या होगा ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां। बलिया को रिहन्द से बिजली रिहन्द से मऊ पावर हाउस को जोड़ दिये जाने पर १९६४ के अन्त तक दिये जाने की आशा है। दरों का मामला विचाराधीन है।

३२—श्री कल्पनार्थसिंह—

[३१ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किया गया।]

नारायन आटोमोबाइल से गाड़ियों की खरीद

३३—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या परिवहन मंत्री कृपया ४ फरवरी, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या ८८ और ८९ के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि नारायन आटोमोबाइल्स ने अब तक किस-किस वर्ष में कितने-कितने रुपये की मोटरें सरकार को बेची हैं और इन वर्षों में सब से अधिक की खरीदारी किस फर्म से की गयी और अन्य फर्मों से कितने-कितने रुपये की खरीदारी की गयी है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

श्री बी० डी० त्रिपाठी, फोरमैन की पत्नी का पेंशन के लिये प्रार्थना-पत्र
व गोंडा जिले में नालियों का निर्माण

३४—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या प्रश्नकर्ता का कोई पत्र सरकार या मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग को इस आशय का मिला है श्री श्री भारद्वाज त्रिपाठी (मृत्त) भूतपूर्व फोरमैन, माताटीला डैम की धर्मपत्नी, श्रीमती राजधारी देवी, ग्राम लखनापार, पो० भाटपार, जिला गोरखपुर के उसके पति की मृत्यु पर मुआविजा दिया जाय ? यदि हां, तो उनका आवेदन-पत्र कब मिला है और कब तक क्या कार्यवाही हुई है और उनको सहायता देने में सरकार को क्या दिक्कत है ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां, इस आशय का पत्र मुख्य अभियन्ता के कार्यालय में ५ फरवरी, १९६४ को प्राप्त हुआ है । उन्होंने स्वर्गीय श्री बी० डी० त्रिपाठी, फोरमैन की पत्नी को असाधारण पेंशन देने के विषय में सरकार को ५ मार्च, १९६४ को लिखा है । इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

३५—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री को गोंडा जिले के कुछ किसानों का कोई आवेदन-पत्र दिनांक २७ दिसम्बर, १९६३ को इस आशय का मिला था कि जो जल निकासी की नाली बनायी जा रही है, वह गलत रास्ते से है और उससे झगड़ा होने की संभावना है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री गिरधारीलाल—

एक २०-१२-६३ तारीख का प्रार्थना-पत्र प्रस्तावित चारू ताल नाले की दाग बेल के कुछ स्थानान्तर के विषय में प्राप्त हुआ था किन्तु जांच के पश्चात् यह पाया गया कि नाले की दाग-बेल ठीक लगी थी ।

३६—श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

[२० मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किया गया ।]

३७—श्री कृष्णानन्द राय—

[२५ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किया गया ।]

†छापी नहीं गई ।

इलाहाबाद—डेरवा बस सर्विस परमिट

३८—श्री यादवेन्द्रदत्त—

क्या यह सही है कि बेगम साहिबा को इलाहाबाद से डेरवा तक के रूट पर प्राइवेट बस चलाने का कोई परमिट दिया गया ? यदि हां, तो कब दिया गया ?

३९—क्या यह सही है कि श्रीमती बेगम साहिबा ने इस बस परमिट को १०० रु० माहवार में किसी दूसरे के हाथ बेच दिया है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

सरकार ने यह निश्चय किया है कि इस मामले में इनक्वायरी (enquiry) कराई जाय इसलिये इस समय और कोई सूचना देने को नहीं है। असलियत का पता इनक्वायरी (enquiry) के बाद ही चल सकेगा।

बांस गांव तहसील में जल निकासी

४०—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम अस्थौला, तहसील बांसगांव, जिला गोरखपुर के श्री रामधन ओझा, ग्राम उप प्रधान तथा अन्य लोगों ने मुख्य अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता गोरखपुर को एक आवेदन-पत्र, दिसम्बर, नवम्बर या दिसम्बर, १९६३ में इस आशय का दिया था कि अवस्थी ताल से एक नहर निकाल दी जाय जिससे फसल का नुकसान बच सके ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां। छानबीन के पश्चात् यह पाया गया कि लगभग ८५ एकड़ भूमि का पानी १५ एकड़ के झाबर के क्षेत्र में बहता है : यदि लगभग ३ फर्लांग लम्बी नाली बना दी जावे तो यह समस्या हल हो सकती है। चूंकि झाबर का पानी सिंचाई के प्रयोग में लिया जाता है और उपरोक्त नाली अच्छी भूमि में से निकलेगी अतः संबंधित कृषक नाली बनाने के पक्ष में नहीं हैं अतः गांव वालों के आपसी विरोध के कारण कुछ कार्यवाही नहीं की जा सकती।

४१—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या सरकार को यह मालूम है कि उक्त नहर निकालने से लगभग १ हजार एकड़ की फसल बचायी जा सकती है ? यदि हां, तो सरकार को इस ओर ध्यान देने में क्या दिक्कत है ?

श्री गिरधारीलाल—

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि गांव वालों के आपसी विरोध के कारण यह नहीं हो सकता।

४२—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री को इस बात की सूचना है कि ग्राम जमीन लौहरपुर, तहसील बांसगांव, जिला गोरखपुर के प्रधान ने एक आवेदन पत्र ट्यूबवेल की नाली से फसल डूबकर नुकसान होने के बारे में अधिशासी अभियन्ता, गोरखपुर को सितम्बर या अक्टूबर १९६३ में दिया था और मांग की थी कि पानी निकालने की व्यवस्था की जाय ? यदि हां, तो उस पर कौन-सी कार्यवाही की गयी ?

श्री गिरधारीलाल—

ग्रामवासियों के दो प्रार्थना-पत्र सितम्बर, १९६३ में प्राप्त हुये थे जिनमें यह लोग नलकूप सं० १३ बांसगांव ग्रुप पर खेत नम्बर ३२७ में नलकूप की गूल को नीचे साईफन बनवाना चाहते थे ताकि पानी दाहिनी तरफ से बाईं तरफ बह सके। मामले की जांच की गई और यह विदित हुआ कि पानी का प्राकृतिक बहाव गूल-गूल से दूर दक्षिण की तरफ है अतएव साईफन के बनाने से मतलब हल नहीं हो सकता था। ग्राम वासियों को अधिशासी अभियन्ता नलकूप खण्ड, गोरखपुर, ने ३१-१२-६३ को यथानुसार सूचित कर दिया था।

हाहा नाला बांध तथा बाढ़ शिविर

४३—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हाहा नाला बन्ध योजना (आजमगढ़) को घाघरा नदी के भीषण कटाव से बचाने के लिये बन्डाल डालने की कोई योजना बना कर अधिशासी अभियन्ता आजमगढ़ ने अभी हाल ही में मुख्य अभियन्ता पूर्वी रेंज, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, को भेजी है? यदि हां, तो वह योजना क्या है और कब तक कार्यान्वित हो जायेगी?

श्री गिरधारीलाल—

जी नहीं, परन्तु ऐसी एक योजना की जांच इर्रीगेशन रिसर्च सर्किल में हो रही है। जांच समाप्त होने पर ही यह मालूम हो सकेगा कि उस की रूप रेखा क्या है और वह कब तक कार्यान्वित होगी।

४४—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाढ़ नियन्त्रण योजना के अन्तर्गत प्रदेश के किन-किन जिलों में कितने कितने ग्राम ऊंचे किये जा रहे हैं और कितने-कितने तथा कहां-कहां गोदाम एवं बाढ़ शिविर बनाने की योजना चालू वर्ष में है?

श्री गिरधारीलाल—

सन् १९६३-६४ में जिन-जिन जिलों में जितने ग्राम ऊंचे किये जा रहे हैं और जिन-जिन स्थानों पर बाढ़ शिविर बनाने की योजना है उसका ब्योरा संलग्न सूची में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ २६४ पर)

दुद्धी क्षेत्र में सिंचाई

४५—श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दुद्धी क्षेत्र के विकास खंडों, बभनी, म्योरपुर, दुद्धी, चोपन में अलग-अलग सिंचाई की कौन-कौन सी सुविधायें हैं और उनसे अलग-अलग विकास खंडों में कितनी एकड़ सिंचाई होती है?

श्री गिरधारीलाल—

सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ण' आगे पृष्ठ २६५ पर)

४६—श्री रामप्यारे—

क्या मंत्री जी इस क्षेत्र के आर्थिक पिछड़ेपन को देखते हुये कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे इन विकास खंडों में सिंचाई सुविधायें बढ़ सकें और यह देखते हुये कि यहां की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी नहीं है कि नहरों द्वारा सिंचाई हो सके, क्या सरकार सिंचाई के कुयें इन विकास खंडों में निर्माण कराने की व्यवस्था करेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री गिरधारीलाल—

उपरोक्त विकास खंडों में यथा संभव सिंचाई के साधन भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार प्रदान किये गये हैं तथा कुछ अन्य छोटी सिंचाई योजनाओं का सर्वेक्षण भी किया जा रहा है। इस क्षेत्र में कूप निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है। जो कृषक सिंचाई के लिये अपना कुआं बनाने के इच्छुक होते हैं उन्हें ऋण नियोजन विभाग द्वारा दिया जाता है।

बिसौली-बदायूं बस सर्विस चार्जेज

४७—कुंवररुकुमसिंह राठौर (जिला बदायूं)—

क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि क्या बिसौली से बदायूं २३ मील मेटल्ड रोड पर ले जाने का सरकारी रोडवेज एक रुपया तीस पैसे चार्ज करती है जबकि बदायूं से सहिसवान २६ मील कंकड़ रोड का जो बहुत खराब है केवल ८५ पैसे चार्ज करती है? यदि हां, तो यह फर्क क्या है?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी हां, इस फर्क का कारण इस प्रकार है:

बिसौली-बदायूं मार्ग पर, जो ४१ किलोमीटर लम्बा है, रोडवेज का किराया नियत दर २.६५ न० पैसे प्रति यात्री प्रति किलोमीटर के हिसाब से १ रु० ६ न० पैसे प्रति यात्री होता है। इसमें ११ नये पैसे प्रति यात्री पैसेन्जर टैक्स और १० नये पैसे यात्री टोल टैक्स जोड़ने पर कुल किराया १ रु० ३० न० पैसे पड़ता है।

बदायूं सहिसवान मार्ग पर जो ४४ किलोमीटर लम्बा है, रोडवेज का किराया ऐड हाक दर १.७५ न० पैसे प्रति यात्री प्रति किलोमीटर के हिसाब से ७७ न० पैसे होता है। इसमें ८ न० पैसे प्रति यात्री पैसेन्जर टैक्स जोड़ने पर कुल किराया ८५ न० पैसे पड़ता है। इस मार्ग पर प्राइवेट बसें भी चलती हैं, उनके मुकाबिले रोडवेज को यही किराया चार्ज करना पड़ता है।

विशेषाधिकार समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन से सम्बन्धित तीसरे दोष सिद्ध व्यक्ति, श्री केशव सिंह को कारावास का दंड दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, श्रीमन्। प्रश्न यह है कि श्री केशवसिंह के मामले में उनको ७ दिन की सजा देकर.....

श्री अध्यक्ष—

(आप रेजोल्यूशन न पढ़िये)

जो आपत्तियां इस संबंध में आपको हों उनको आप लिख कर दीजिये, तब उन पर विचार किया जायगा। इस समय कोई सवाल नहीं उठता। इस संबंध में सदन का एक निर्णय हो चुका है। अगर उसके बारे में आपको कुछ कहना है तो लिख कर दें। आपने जितनी बातें यहां कहीं हैं वे आउट आफ आर्डर हैं और वे रेकार्ड पर नहीं आयेंगी।

श्री काशीनाथ मिश्र---

आपने अभी आज्ञा दी बोलने की, और उस पर आप उसे आउट आफ आर्डर बता रहें हैं और लिख कर भी मांग रहें हैं।

श्री अध्यक्ष---

मैं नहीं जानता कि आप क्या बोलने वाले हैं। आपकी बात सुनकर ही मैंने अपनी व्यवस्था उस पर दी। जो बातें आपने कहीं, वे गलत तरीके से कहीं। आपको जो कहना है उसे लिख कर दीजिये।

प्रधान मन्त्री, पंडित जवाहर लाल नेहरू की कथित हत्या के लिये होने वाले तांत्रिक यज्ञ सम्बन्धी समाचार का खण्डन---(क्रमागत)

श्री विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव' (जिला मिर्जापुर)---

श्रीमन्, विंध्याचल वाला मामला मेरे पास का है और इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह सब बात गलत है।

श्री अध्यक्ष---

एक बात आप मेरी सुन लीजिये। आपने प्रारम्भ में यह कहा था कि जो आरोप ब्लिट्ज द्वारा लगाये गये हैं वे निराधार हैं। मैंने कल यह कहा था कि जो बात छपी है अगर वह सही है तो एक दुख की बात है। लेकिन समाचार-पत्र पर कितना विश्वास हम कर सकते हैं, यह भी एक प्रश्न हो सकता है। अगर यह बात सरकार की नोटिस में आ चुकी है तो मैं समझता हूं कि वह उचित कार्यवाही करेगी। इसी प्रकार आपने कहा कि आपने डिप्टी कमिश्नर द्वारा पूछा इस बात के बारे में और यह मालूम हुआ कि यह बात निराधार है।

यह भी सदन के सामने आ गया। अब उसका विवरण देने का मतलब यह होगा कि यहां बहस छिड़ जायगी। आप कहेंगे कि ऐसा हो रहा है, कोई कहेगा कि नहीं, और कुछ हो रहा है। तो इस विषय पर विवाद नहीं हो सकता।

श्री विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव' (जिला मिर्जापुर)---

मैं दूसरी बात कह रहा हूं। थोड़े दिन पहले नेहरू जी के स्वास्थ्य और दीर्घ जीवन की कामना से वहां यज्ञ हुआ और भगवती नाम है विंध्यावासिनी का, उसको ब्लिट्ज में संहार की देवी लिखा गया है। वहां लाखों आदमी जाते हैं और उसे पालनकर्त्ता देवी की हैसियत से मानकर पूजा करते हैं।

श्री अध्यक्ष---

मैंने स्वयं कहा है कि अगर ऐसी बात नहीं है जैसी कि "ब्लिट्ज" में छपी है तो वह सदन के समक्ष आ गयी। लेकिन अब इसके ऊपर आप जोर देंगे तो बहस होने लगेगी। कोई कहेगा कि ऐसी बात नहीं हो रही है, तो आप क्या कहेंगे? आप बैठ जाइये। मैं कहता हूं आप बैठ जाइये।

श्री विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव'---

मैं वहां की भय की भावना की बात कह रहा हूं.....

श्री अध्यक्ष---

आप जो कह रहे हैं वह रेकार्ड नहीं होगा। अगर आप नहीं बैठते हैं, तो मैं कहूंगा कि आप बाहर जाइये।

(श्री विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव' ने अपना स्थान ग्रहण किया।)

भाषण के आपत्तिजनक अंश को कार्यवाही में रेकार्ड न किये जाने की श्री अध्यक्ष की आज्ञा के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

एक दूसरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

काशीनाथ मिश्र जी ने जो पहले कहा था वह आपकी आज्ञा से कहा था। उन्होंने एक व्यवस्था उठायी थी। उसके बाद आपने उस संबंध में यह सुझाव दिया कि लिखित भेजें। फिर आपने वहां तक जो कार्यवाही थी उस सब को निकाल देने के आर्डर्स दे दिये। यह अनुचित है। हम रोज ही आपसे कहते हैं, चेम्बर में आपको सुझाव भी देते हैं। अनर्गल बात करें तो ठीक है, लेकिन उतनी बात तो रहनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

दिक्कत यह होती है कि कुछ बातें ऐसे शब्दों में कही जाती हैं जिनसे इस सदन की कार्यवाही के ऊपर रिफ्लेक्शन होता है, वह शब्द नहीं होने चाहियें। अगर वह कहते हैं कि चूंकि इस किस्म का विवाद हो सकता है तो प्रार्थना करते हैं कि इस पर विचार कीजिये तो बात दूसरी थी। उन्होंने शुरू किया कि सदन ने अपने जुरिस्डिक्शन से कोर्ट की अथारिटी को यूजर्प किया। इस किस्म की बात नहीं होनी चाहिये।

श्री काशीनाथ मिश्र—

हमारा कोई रिफ्लेक्शन नहीं था, न आपके ऊपर न विधान सभा के ऊपर।

श्री अध्यक्ष—

एक बात देखिये कि सदन के विनिश्चय की आलोचना नहीं की जायगी।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मेरा कतई मंशा नहीं था.....

श्री अध्यक्ष—

आप लिखकर दे दीजियेगा।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि कौन-कौन सा आधार होना चाहिये कि किसी माननीय सदस्य की बात को आप कह दें कि यह आउट आफ रिकार्ड है, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

वे सब बातें जो अनुचित रूप से यहां कही जा रही हैं वह रेकार्ड से निकाल दी जायेंगीं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

यह बात तो हो नहीं सकती। उसके लिये रूल्स हैं हमारे.....

श्री अध्यक्ष—

आप बहस कर रहे हैं। आप बैठ जाइये।

श्री काशीनाथ मिश्र---

कायदा बता दें ?

श्री अध्यक्ष---

कायदा यह है कि इस सदन में एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा—अगर १९५२ से १९६२ तक के अध्यक्ष पद से दिये गये निर्णयों के संकलन देखें, तो उसमें आपको मिलेगा कि अगर कोई माननीय सदस्य खड़ा हो और कोई प्रश्न उठाये तो या तो जब तक वह बोलते रहें और मैं उनका उस बात को मान लूं कि ठीक बोल रहे हैं तो वह कार्यवाही के अनुसार होगा। अगर मैं इस परिणाम पर पहुंचू कि यह गलत तरीके से बात कर रहे है तो मैं आदेश दे सकता हूं कि यह कार्यवाही का अंश न हो।

अब इस संबंध में जो कुछ कहना हो वह लिख कर दीजियेगा।

श्री काशीनाथ मिश्र---

यह डेमोक्रेसी का हनन हो रहा है। फ्रीडम आफ स्पीच का अधिकार जो हमें लेजिस्लेचर में संविधान में मिला है वह समाप्त करने जा रहे हैं। "आप जिसको समझें" —तो आपकी समझ से यहां कार्य नहीं चलता है। जिसको आप अनपार्लियामेंटरी समझें या रिफ्लेक्शन समझें तो उसे आप आउट आफ रेकार्ड्स कह सकते हैं। आपको समझ से नहीं होगा यह। इसलिये मैं अदब से प्रार्थना करूंगा कि आप ये अंश निकलवा दें कि जिसको कि मैं उचित समझूंगा उसको आउट आफ रेकार्ड कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष—

अब हो गया, आप बैठिये।

प्रधान मन्त्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की कथित हत्या के लिये होने वाले तांत्रिक यज्ञ सम्बन्धी समाचार का खण्डन—(क्रमागत)

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, माननीया मुख्य मंत्री जी भी यहां उपस्थित हैं, कल माननीय नेकराम जी ने पंडित नेहरू विरोधी तांत्रिक यज्ञ का प्रश्न उठाया था, उसके राष्ट्रीय महत्व को देखते हुये, सरकार की तरफ से कोई अधिकृत वक्तव्य आना चाहिये था। सारा सदन उस विषय में जानने के लिये उत्सुक है।

श्री बद्रीप्रसाद सोनवानी (जिला इटावा)—

अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न जब समाप्त हो चुका है, उस पर आपकी व्यवस्था हो चुकी है, उसके बाद भी बार-बार उस प्रश्न पर किस विधान के अन्तर्गत कहा जा रहा है ?

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

किसी भी धार्मिक कार्य के पीछे समाज के बहुत बड़े हिस्से की भावना सम्मिलित होती है। यहां कुछ ऐसे माननीय सदस्य हैं जो यहां की गुटबन्दी के कारण ऐसे प्रश्न यहां उपस्थित कर देते हैं। आज आपने प्रश्नों से पहले ही उसको एलाउ कर दिया। जिस समाचार पत्र में यह समाचार छपा है वह माननीय डाक्टर जेड० ए० अहमद साहब के लिये अच्छा अखबार हो सकता है, लेकिन वह तो इस सदन की प्रीविलेज पर इस उत्तर प्रदेश से भाग कर चला गया। तो मेरा निवेदन यह है कि तत्काल आप इस पर अपनी सफाई दे दें कि यह चीज हो रही है या नहीं, क्योंकि हजारों लोगों ने उसमें धन संग्रह किया होगा, उन लोगों की भावनायें उसमें निहित होंगी, उनको ठेस पहुंची होगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

किस नियम के अन्तर्गत आप मुझसे यह जानना चाहते हैं ? (व्यवधान)

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

जिन नियमों के अन्तर्गत आपने आज प्रश्नों से पहले ही यह प्रश्न ले लिया ।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठ जायं । मैंने कल यह आदेश दिया था कि "जो बात कही गयी है, वह महत्वपूर्ण है, उसमें कोई शंका नहीं है और मैं समझता हूं कि सरकार अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक है। (व्यवधान) मैं जब बोल रहा हूं तो आप बीच में बोलने का प्रयास कर रहे हैं, आप कृपा कर बैठें । मैं यह कह रहा था कि यह बहुत ही दुखद समाचार है और मुझे विश्वास है कि सरकार जागरूक होगी । लेकिन यह कि केवल समाचारपत्र के आधार पर हम किसी बात को सत्य मान लें, यह जरा मुश्किल होता है (व्यवधान) लेकिन अब एक बात सदन में सरकार के नोटिस में लायी जा चुकी है, मैं समझता हूं कि वह अपने कर्तव्य का पालन करेगी।" यह कल मैं कह चुका हूं, और आज भी मैंने उस पर अपनी व्यवस्था दे दी है ।

(व्यवधान)

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

आप इस प्रश्न को सुन लीजिये । अगर अखबारों में छपी हुई बात का यहां नोटिस लिया जाने लगा तो हर दिन रोज बहुत सी जो बातें अखबारों में छपती हैं उन पर यहां चर्चा हुआ करेगी । आपकी व्यवस्था होनी चाहिये कि ऐसे अखबारों में छपी बातों को यहां न उठाया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

(श्री नेकराम शर्मा के खड़े होने पर) जो व्यवस्था मैंने दी है क्या उसके विरुद्ध आपको कुछ कहना है ? वह तो अब खत्म हो गया । उस पर मैं व्यवस्था दे चुका ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्री टम्बेश्वरप्रसाद जी ने यह कहा कि कुछ गुटबन्दी के कारण ऐसे प्रश्न उठाये जाते हैं । कल मैंने यह कहा था कि हमारे प्रदेश के बारे में एक अखबार में कुछ निकला है, उससे प्रदेश बदनाम हो रहा है और उसके विशेष संवाददाता श्री बिशन कपूर उन जिलों का दौरा करके आये हैं । आज प्रणव जी ने कहा कि यह चीज गलत है । हवन अवश्य हुआ, यह बात प्रणव जी ने मानी है । अब इसको तो सी० आई० डी० के द्वारा माननीया मुख्य मंत्री जी पता लगायेंगी और सदन में वक्तव्य देंगी । श्रीमन्, यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि उससे प्रदेश की बदनामी सारे देश में और अन्तराष्ट्रीय जगत में हो रही है ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

(श्रीमती सुचेता कृपालानी का नाम पुकारे जाने पर) श्रीमन्, आप उनको क्यों बुला रहे हैं ? मैं इसका विरोध करता हूं । माननीया मुख्य मंत्री का बयान ऐसे उलझे हुये प्रश्न पर आप क्यों दिलाना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

आप इस बात को तय करने वाले नहीं हैं । इसको तो मैं तय करूंगा ।

श्री काशीनाथ मिश्र---

इसके विरोध में मैं ५ मिनट के लिये वाक आउट करता हूं ।

(इसके उपरान्त श्री काशीनाथ मिश्र सदन त्याग कर चले गये ।)

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)---

बिल्ट्ज में जो संवाद छपा है, वह कल मेरी निगाह में आया । प्रिलिमिनरी जांच इसके बारे में करायी गयी, उससे पता चला कि यह समाचार पूर्णतया असत्य है । बिल्ट्ज में बराबर ऐसी असत्य खबरें निकल आया करती हैं जिससे लोग परेशान होते हैं । जरुर ही इसमें कोई न कोई मिश्चिवस मोटिव छिपा हुआ होगा ।

नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष---

नियम ५२ के अन्तर्गत जो सूचनायें मेरे पास आयीं थी उनको मैंने स्वीकार नहीं किया है ।

२५ फरवरी, १९६४ के तारांकित प्रश्न ४-६ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

वित्त उप मंत्री---(श्री जयराम वर्मा)

अध्यक्ष महोदय,---

दिनांक २५ फरवरी, १९६४ को चौधरी रतीपाल द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४,५ और ६ के सम्बन्ध में श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी ने पूछा था कि "जो नीलाम होता है उसका १/४ उसी वक्त जमा कर लिया जाता है और बाद में अगर पूरा रुपया जमा नहीं होता है तो उसे फारफीट कर लिया जाता है । तो इस नीलाम में वह रुपया फारफीट हुआ या नहीं ?"

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि "तहकीकात से पता यही चला है कि २,६०० रुपये जमा हुआ था । बकिया जमा करना चाहिये था लेकिन कुछ ऐसा अन्दाज होता है कि यह फाइल दबा दी गई अधिकारियों की वजह से । इसी वजह से मजीद कार्यवाही नहीं हुई । जब यह सवाल दरियाफ्त किया गया तो मुश्किल से फाइल निकली है और उस पर कार्यवाही जो मुनासिब होगी की जायगी ।"

उक्त उत्तर ठीक नहीं था, जिसका बाद में पता चला । सही उत्तर इस प्रकार है "तहकीकात से पता यही चला है कि २,६०० रुपये जमा हुआ था । बकिया जमा करना चाहिये था लेकिन कुछ ऐसा अन्दाज होता है कि यह फाइल दबा दी गई अधिकारियों की वजह से । इसी वजह से मजीद कार्यवाही नहीं हुई । जब यह सवाल दरियाफ्त किया गया तो मुश्किल से इस केस के वाकयात का पता चला । फाइल अब भी नहीं मिली है । तलाश हो रही है । जो मुनासिब कार्यवाही होगी की जायगी ।"

(मूल प्रश्न तथा उसके उत्तर के लिये देखिये नत्थी 'त' आगे पृष्ठ २६६ पर ।)

१९६४-६५ के आय व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या १७---शिक्षा

शिक्षा मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १७---शिक्षा के अन्तर्गत ३३,७१,३९,४०० रुपये की मांग वित्तीय

वर्ष, १९६४-६५ के लिये स्वीकार की जाय।

श्रीमन्, तृतीय पंचवर्षीय योजना का, जिस वर्ष का बजट मैं उपस्थित कर रहा हूं, यह चौथा वर्ष है। प्रदेश की प्रगति के सम्बन्ध में योजना बनायी गयी और उसी योजना के अन्तर्गत शिक्षा के विषय में भी योजना बनी। उसमें जो लक्ष्य निर्धारित किये गये उन लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। संक्षेप में मैं जो इस साल का बजट है उसके विषय में निवेदन कर देना चाहता हूं। पिछले वर्ष जो बजट उपस्थित किया गया था वह २७,९२,६१,१०० रु० का था जो पूरे राजस्व लेखे का १३·५ प्रतिशत था। इस वर्ष की जो मांग मैंने सदन के समक्ष उपस्थित की है वह ३३,७१,३९,४०० रु० की है और यह समस्त राजस्व लेखे का १४.३ प्रतिशत बैठता है। माननीय सदस्य इस बात से परिचित नहीं हैं कि हमारे प्रदेश में शिक्षा का कार्य अन्य विभागों के द्वारा भी चलता है। शिक्षा विभाग सामान्य शिक्षा को देखता है और केवल सामान्य शिक्षा का ही व्यय इस अनुदान में सम्मिलित है। चिकित्सा विभाग मेडिकल कालेजों की शिक्षा को देखता है और कृषि विभाग कृषि कालेजों की शिक्षा को देखता है, विद्युत् विभाग इंजीनियरिंग कालेजों की शिक्षा को देखता है और उद्योग विभाग टेक्निकल कालेजों की शिक्षा के देखता है। इसके निवेदन करने का मेरा आशय यही है कि मैंने जो ये आंकड़े दिये कि राजस्व लेखे का शिक्षा को ऊपर खर्च १४.५ प्रतिशत है। यदि समस्त शिक्षा योजनाओं को जो कि प्रदेश में चल रही हैं, उनको लिया जाय तो प्रतिशत इससे कहीं अधिक बैठेगा।

श्रीमन्, इस बार के बजट में करीब-करीब ६ करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी हुई है। यदि उसका बटवारा किया जाय तो वह इस रूप में आकर बैठता है। प्राइमरी एजूकेशन पर करीब २ करोड़ ११ लाख रुपये की बढ़ोत्तरी हुई है और सेकेन्डरी एजूकेशन पर ८४ लाख रु० की बढ़ोत्तरी हुई है। इसी तरह से यूनिवर्सिटी एजूकेशन और प्रशिक्षण कालेजों पर १६ लाख रु० की बढ़ोत्तरी हुई है। जो भत्ता इत्यादि दिया गया है उसकी वजह से २५.८० लाख रु० की बढ़ोत्तरी हुई है। यह प्लान का खर्चा है। इसके अतिरिक्त नानप्लान का भी खर्चा है जो सेकेन्डरी एजूकेशन पर ४० लाख, यूनिवर्सिटीज पर १३ लाख, डी० ए० आदि में ९० लाख और शेष में २४ लाख है।

यदि विभिन्न वर्गों में इस बढ़ोत्तरी को देखा जाय तो वह इस रूप में बैठता है। उच्चतर एजूकेशन के लिये ३० लाख, माध्यमिक शिक्षा में १ करोड़ २४ लाख रु० की बढ़ोत्तरी हुई है, प्राथमिक शिक्षा में २ करोड़ ११ लाख की बढ़ोत्तरी हुई है, संस्कृत पाठशालाओं में १०,४१,००० रु० की बढ़ोत्तरी हुई है। इसी तरीके से छात्रवृत्तियां देने में १८ लाख रु० की बढ़ोत्तरी हुई है और डी० ए० आदि में भी १ करोड़ १६ लाख की बढ़ोत्तरी हुई है। यह मैंने मुख्य-मुख्य वर्गों की बढ़ोत्तरी बताई। इस रूप में इस बजट की बढ़ोत्तरी हुई है। शिक्षा का वर्गीकरण ४ भागों में हो सकता है : प्राथमिक शिक्षा दर्जा १ से ५ तक, पूर्व माध्यमिक शिक्षा दर्जा ६ से ८ तक माध्यमिक शिक्षा दर्जा ९ से १२ तक और उसके बाद उच्चतर शिक्षा जिसमें स्नातक, डिग्री पोस्टग्रेजुएट शिक्षा सम्मिलित है।

वैसे तो माननीय सदस्यों को एक साइक्लोस्टाइल्ड रिपोर्ट भी इस सम्बन्ध में दी गई है, इसलिये मैं बहुत कुछ समय इस बात के विषय में माननीय सदस्यों का नहीं लूंगा और केवल संक्षेप में ही उस विषय में कुछ थोड़ा सा निवेदन करूंगा। हमारे लिये यह दुर्भाग्य की बात है कि प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में हमारा सूबा काफी पीछे है बल्कि दूसरे सूबों की तुलना में सबसे पीछे है। हमारा प्रयत्न है कि इस दिशा में हम प्रगति करें और तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो लक्ष्य योजना की समाप्ति तक निर्धारित किये हुये हैं जो ६३ प्रतिशत के हैं जिसमें ८२ प्रतिशत बालक और ४३ प्रतिशत बालिकायें हैं। ६३-६४ का जो चालू वर्ष है उसमें हम ५५ प्रतिशत तक पहुंच गये हैं। अगले साल में जिसका कि बजट में आज उपस्थित कर रहा हूं, हम ५९ प्रतिशत तक जाना चाहते हैं और आशा है कि हम वहां तक पहुंच जायेंगे। इसमें ८१ प्रतिशत बालक और ३५ प्रतिशत बालिकायें होंगी। यदि यह पूछा जाय कि हम इतने पिछड़े हुये क्यों

[श्री कैलाशप्रकाश]

हैं तो उसका एक ही कारण बताया जा सकता है कि जितने धन की आवश्यकता समस्त बच्चों, बालकों और बालिकाओं क. विद्यालयों में लाने के लिये है उतने स्कूल धनाभाव के कारण हमारे यहां नहीं खोले जा सके हैं। हम हर साल इस बात की कोशिश करते हैं कि नये स्कूल खुलें और तृतीय योजना में जितनी निर्धारित संख्या हम खोलना चाहते हैं उतने स्कूल खुलें, इसका हमारा प्रयत्न है और हम स्कीम के अनुसार खोलते चले जाते हैं। इस साल विशेष रूप से केन्द्रीय सरकार की सहायता से अभी पिछली दिसम्बर में सवा ११ हजार शिक्षक अतिरिक्त हमने नियुक्त किये हैं और जिनकी नियुक्ति से यह सुविधा हो गई है कि हमारी टीचर्स की रेशो काफी अच्छी जगह आ गई है। प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में एक प्रयास यह भी किया गया है कि २ पारी प्रारम्भ की गई हैं, अब वही अध्यापक आधे समय में पहले दर्जे के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं और बाकी आधे समय में वह दूसरे दर्जे के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। इस प्रयास से अधिक बच्चे उन्हीं टीचर्स के द्वारा उतने ही समय में पढ़ाये जा सकेंगे और इससे प्रतिशत बढ़ेगा। जहां हम सामान्यतः प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में पीछे हैं वहां बालिकाओं की शिक्षा में और भी अधिक पीछे हैं।

इसका एक कारण तो यह है कि अभी ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं को पढ़ाने का इतना चाव नहीं है जितना लड़कों को। इस विचार को शिक्षा प्रसार सप्ताह मनाकर बराबर बदलने का प्रयास किया जाता है और सफलता भी मिली है। दूसरा कारण यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिये अध्यापिकाओं की कमी है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो इतनी पढ़ी-लिखी महिलायें नहीं हैं जो वहीं रह कर पढ़ा सकें। नागरिक क्षेत्र से महिलायें जाकर पढ़ाना पसन्द नहीं करतीं। हमारा प्रयास है इसको बढ़ायें और इस बात का प्रयास है कि बालिकाओं के लिये विशेष सुविधायें दी जायं जिससे उनका प्रतिशत बढ़ सके। सारांश में इस विषय में हमने कदम उठाया है कि आठवीं क्लास तक ग्रामीण क्षेत्र में जहां की जनसंख्या १५ हजार से कम है वहां निःशुल्क शिक्षा बालिकाओं को दी जाती है। जो अध्यापिकायें ग्रामीण क्षेत्रों में जा कर काम करती हैं उन्हें अपने वेतन दर के अतिरिक्त जो प्रशिक्षित हैं १५ रु० मासिक और अप्रशिक्षित हैं उनको १० रु० मासिक ग्रामीण भत्ता दिया जाता है। उनके लिये ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल के पास उनके निवास स्थान बनाने का प्रयास किया जा रहा है और प्रति वर्ष आवास बनाये जाते हैं। जो महिलायें ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन्स में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं उनकी छात्रवृत्ति अब ३० रु० मासिक बढ़ा दी गई है। जो महिला अध्यापिकायें काम कर रही हैं, लेकिन प्रशिक्षित नहीं हैं उनको इन सर्विस ट्रेनिंग में प्रशिक्षण के लिये भेजा जाता है और जितना उनका वेतन होता है वही प्रशिक्षण के समय भी प्राप्त करती रहती हैं। यह भी प्रयास किया है कि पांचवीं कक्षा के बाद कंटीयू यशन क्लासेज के नाम से बालिकाओं के लिये क्लासेज चलायी जायं जिसमें वह प्राइवेटली छठी से आठवीं की शिक्षा प्राप्त करके आठवीं की परीक्षा दे सकें। इस कदम में कुछ सफलता मिली है और इस साल ७३५ कंटीन्युयेशन क्लासेज खोलना चाहते हैं।

शिक्षा प्रसार सप्ताह जो मनाया गया उसमें एक चीज आशाजनक दिखायी दी कि जहां तक पहली से पांचवीं कक्षा का सम्बन्ध है, ग्रामीण क्षेत्र में बालकों और बालिकाओं को पढ़ने में एक साथ कोई संकोच नहीं होता है। इसलिये यह प्रयास किया गया कि अध्यापिकाओं की कमी के कारण बालिकाओं के स्कूल नहीं खोले जा सकते तो ऐसे प्राथमिक स्कूल खोले जहां दोनों पढ़ें। अब एक संकोच बालिकाओं को हो सकता है पुरुष अध्यापक होने से, उसके लिये एक तरीका यह किया कि स्कूल माता के नाम से कुछ महिलाओं को नियुक्त किया है। यह महिलायें चाहे पढ़ा न सकें फिर भी जो उत्साही महिलायें गांव में मिल जाती हैं वह बालिकाओं को घरों से जा कर बुलाकर लाती हैं और विद्यालय में इस तरह का वातावरण रखती हैं जिससे बालिकाओं को यह महसूस न हो कि वहां उनके साथ कोई बुजुर्ग महिला नहीं है। यह भी चीज काफी सफल हुई। इस रूप में बालिकाओं का प्रतिशत बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।

प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में एक विशेष बात यह भी है कि जिस प्रगति के साथ हम बढ़ते हुए चले जाते हैं उस गति के साथ प्रशिक्षित अध्यापक नहीं मिलते हैं। परिणाम स्वरूप यह हुआ

है कि काफ. संख्या में प्राथमिक पाठशालाओं में ऐसे अध्यापक हैं जो प्रशिक्षित नहीं हैं। इस बारे में जो सरकार ने किया है उसको संक्षेप में बता दूं। स्थिति यह है कि १९६०–६१ में ट्रेन्ड प्रशिक्षित अध्यापक प्राइमरी जूनियर बेसिक स्कूल में ८७,८६४ थे और अनट्रेन्ड ११,१९० थे, जिसका मतलब यह हुआ कि ११ फी.सदी अध्यापक अप्रशिक्षित थे। १९६३–६४ में काफी अध्यापक नियुक्त किये गये जिससे कुछ स्थिति बदल गयी और १,००,९७४ प्रशिक्षत अध्यापक हैं और ३८,७८५ अप्रशिक्षित अध्यापक हैं, जिसका मतलब यह है कि लगभग २८ फीसदी अध्यापक अप्रशिक्षित हैं। इसी तरह से सीनियर बेसिक स्कूल में १९६०–६१ में १० प्रतिशत अनट्रेन्ड थे, १९६३–६४ में १३ फी.सदी अनट्रेन्ड हो गये। इस संख्या को ट्रेनिंग देने के लिये और इस प्रयास में कि प्राथमिक पाठशालाओं में प्रशिक्षित अध्यापक नियुक्त हो सकें कुछ कदम उठाये गये हैं, जिनमें से विशेष यह हैं कि एक तो इन सर्विस ट्रेनिंग चालू की गई है, पहले रिफ्रेशर कोर्स होता था जिसमें प्रशिक्षित टीचर्स को ही बुलाकर रिफ्रेशर कोर्स दिया जाता था, अब यह किया है कि इन सर्विस ट्रेनिंग चालू की है जिसका अर्थ यह है कि जो शिक्षक ३३ वर्ष से कम हो और ५ वर्ष से अधिक उन्हें तजुर्बा हो पढ़ाने का उनको इन सर्विस ट्रेनिंग का लाभ दिया जाता है। साढ़े तीन महीने के लिये पहले साल और साढ़े तीन महीने के लिये दूसरे साल में ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं और इस रूप में हम करीब-करीब ३ हजार शिक्षकों को जो अभी तक प्रशिक्षित नहीं हैं उनको प्रशिक्षण दे सकेंगे। इस बात का भी खयाल है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में जिसमें हमें सार्वभौमिक लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास है उसमें शिक्षकों की संख्या और प्रगति काफी गति के साथ हो उसके लिये २ एडवांस एक्शन के नाम से भी हमने कुछ कदम उठाये हैं। उनमें से सारांश में ये हैं जो हाई स्कूल्स वगैरह हैं उनमें भी कुछ ट्रेनिंग कालेज जारी की जायं और योजना यह है कि ३२ ऐसे स्कूलों में ऐसी इकाइयां खोल दी जायं जिसके द्वारा करीब करीब ९६० अध्यापक हमको प्रशिक्षित मिल जायं। जो मौजूदा राजकीय नार्मल ट्रेनिंग कालिज और जे० टी० सी० ट्रेनिंग संस्थायें हैं उनमें अब १०० विद्यार्थी लिये जाते हैं। कुछ भवन निर्माण करने के बाद प्रयास यह है कि एक सौ विद्यार्थियों के स्थान पर १६० लिये जायं। इस रूप में भी हम अधिक अध्यापकों को प्रशिक्षित कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त दो और नार्मल स्कूल, यानी इस के अतिरिक्त जो कि हमने योजना में सम्मिलित कर रखा था जिसमें ५० विद्यार्थी प्रति वर्ष भरती किये जायं। इसके अतिरिक्त इस बात को ध्यान रखते हुए कि या तो इस तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में या चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में कुछ और नार्मल स्कूल खोलें। उस चीज को ध्यान में रखते हुए इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि २० ऐसे स्कूलों के लिये भूमि अर्जित कर ली जाय जिससे उस वक्त से पहले भवनों का निर्माण हो सके और चौथी पंच वर्षीय योजना में प्रशिक्षित अध्यापक मिल सकें। ये कुछ कदम उठाये हैं जिनसे हमारी वह कमी कि ट्रेन्ड टीचर्स नहीं मिलते हैं, उसको हम पूरा कर सकें।

प्राइमरी शिक्षा में तीसरी कक्षा से स्वेच्छापूर्वक अंग्रेजी हमने चालू कर रखी है किन्तु इस विषय में बहुत मतभेद है। कुछ माननीय सदस्यों का और भाषा प्रेमियों का यह कहना है कि अंग्रेजी पढ़ाना नहीं चाहिये। इसमें भी दो भेद हैं। एक वे लोग हैं जो कहते हैं कि अंग्रेजी पढ़ाने के लिये कोई आवश्यकता नहीं और दूसरे वे लोग हैं जो कहते हैं कि तीसरी कक्षा से पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। जहां वे लोग हैं जो यह कहते हैं कि अंग्रेजी पढ़ानी ही नहीं चाहिये उनसे तो मेरा निवेदन केवल इतना ही है कि अब हम कूप मंडूक नहीं रह सकते। विज्ञान इतना बढ़ गया है कि संसार से अपना सम्पर्क होगा। उससे पूरा लाभ उठाना है तो अंग्रेजी की भाषा ही ऐसी भाषा है कि जिसके द्वारा उनसे संसार में जो हो रहा है, वह भी सीखा जा सकता है। इससे मेरा आशय यह नहीं है कि हम अपनी राष्ट्र भाषा की प्रगति न करें, उन्नति न करें। हमारी राष्ट्र भाषा में वे सारी चीजें उपलब्ध नहीं हो सकी हैं कि दूसरी भाषा को हम पढ़ें ही नहीं। तो यह जो बीच का पीरियड आता है, इसमें अच्छा नहीं होगा, हितकर नहीं होगा प्रदेश के लिए और उन नवयुवकों के लिये जिनको आगे चल कर हमें यहां के नागरिक बनाना है। अतः हम उनको अपनी भावनाओं से परिचित करा दें। इस चीज को दृष्टि में रखते हुए अंग्रेजी पढ़ना उचित ही है। यह कहा जाता

[श्री कैलाश प्रकाश]

है कि ३ भाषायें किसी बच्चे के लिये बोझ हो जाता है, तो दूसरे देशों में भी ३ भाषायें पढ़ाई जाती हैं। फिर हमारे देश की विशेष परिस्थिति है और प्रदेश अपनी भाषा रखते हैं। वे अपने बच्चों को अंग्रेजी, अपने प्रदेश की भाषा और राष्ट्रभाषा हिन्दी पढ़ायें और हिन्दी भाषा भाषी प्रदेश केवल हिन्दी और अंग्रेजी दो भाषायें पढ़ाये क्योंकि वहां की राष्ट्र भाषा तथा प्रदेशीय भाषा हिन्दी ही है, तो यह बात समानता में बाधा डालती है।

अब एक दृष्टिकोण यह है कि अंग्रेजी रखी जाय लेकिन तीसरी कक्षा से न रखी जाय। इसमें भी शिक्षा शास्त्रियों का यह मत है कि किसी भी जबान को सीखने के लिये जितनी जल्दी की जायगी उतना ही अच्छा होता है और माननीय सदस्यों को जानकारी होगी कि पहले भी अंग्रेजी भाषा तीसरी कक्षा से पढ़ाई जाती थी और दसवीं तक उनको अंग्रेजी का कुछ ज्ञान हो जाता था। ६ ठे दर्जे से प्रारम्भ करने में इस बात की शंका रहती है कि ५ साल में १० वीं कक्षा तक पहुंचने में उनको अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान नहीं हो पाता। फिर यह अनिवार्य नहीं है। चाहे तो पढ़े या न पढ़े। फिर अंग्रेजी को परीक्षा पास करके ही कक्षा में चढ़ना अनिवार्य नहीं है। इस रूप में यह हितकर ही है कि तीसरी कक्षा से यह पढ़ाई शुरू की जाय।

एक और हम प्राथमिक शिक्षा में हम बड़ी प्रगति कर रहे हैं और काफी संख्या में हम स्कूल खोल रहे हैं लेकिन पूर्व माध्यमिक स्तर में तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सरकार की ओर से विद्यालय खोलने की कोई बड़ी आयोजना नहीं है। जिस तरह से माध्यमिक विद्यालय प्राइवेट एफर्ट से खोले जाते हैं उसी तरह से पूर्व माध्यमिक विद्यालय भी खोले जा सकते हैं और जिस तरह से माध्यमिक विद्यालयों को अनुपालन अनुदान दिया जाता है उसी तरह से पूर्व माध्यमिक विद्यालयों को भी अनुपालन अनुदान दिया जायगा और उनकी सहायता दी जायगी जिससे वे अपनी स्थिति अच्छी बना सकें विशेषकर पुस्तकालय में, विज्ञान में, सज्जा में, उपकरण में और इस चीज के लिये विशेष रूप से इस साल पूर्व माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान दिया गया है और अगले वर्ष भी दिया जायगा। यह एक बड़ी प्रसन्नता की बात है कि केन्द्र में देश के शिक्षाविदों ने इस बात का फैसला किया किया कि हमारी माध्यमिक शिक्षा का भी कोर्स ३ वर्ष का होना चाहिये और डिग्री का भी ३ वर्ष का होना चाहिये। यह केन्द्र का शिक्षा मंत्रालय भी पसन्द करता था और परामर्शदात्री समिति भी पसन्द करती थी और इसको कई प्रदेशों ने अपना भी लिया है, जो हायर सेकन्डरी के नाम से चलता था। लेकिन हम आरम्भ से ही इस बात को स्वीकार करते नहीं आये हैं और हमारा यह विचार है कि माध्यमिक शिक्षा का कोर्स भी ४ वर्ष का होना चाहिये तथा ३ वर्ष का रखने में कुछ हित नहीं होगा। ऐसा हमारा विचार रहा है। यद्यपि केन्द्र की ओर से इस बात के विषय में कई बार कहा भी गया लेकिन हमने अपनी प्रणाली को ही मुनासिब समझते हुये इसी पर अपनी योजना बनाते आये। जब पिछली दफा देहली शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था तो उसमें यह प्रश्न उपस्थित हुआ था और देश में शिक्षाविदों की यह सम्मति होती जा रही है या मैं यह निवेदन कर दूं कि हो गई है कि हमारा माध्यमिक शिक्षा का कोर्स ४ वर्ष का होना चाहिये और यह केन्द्र करीब-करीब स्वीकार कर चुका है। इसके लिये हमें बड़ी प्रसन्नता है कि हम अपनी-अपनी चीज को, जिसे मुनासिब समझते थे, करते चले आये और जो हमारी आकांक्षा, जो हमारी योजना थी उसे सबको स्वीकार करने की आवश्यकता महसूस हुई है।

श्रीमन्, माध्यमिक शिक्षा, जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है, अधिकांश में प्राइवेट संस्थाओं द्वारा चलती हैं। १९६०-६१ में १७७१ माध्यमिक शिक्षा संस्थायें थीं, ६३-६४ में २०१४ थीं जो ६४-६५ में २०६४ हो गई। इनमें से अधिकांश प्राइवेट हैं। विद्यार्थियों की संख्या ६०-६१ में ५,१०,००० थी जो अब चालू वर्ष में ६,५४,००० है। परसेन्टेज के हिसाब से यदि हम देखें तो प्रगति इतनी तेज नहीं है जितनी कि होनी चाहिये। ६०-६१ में ९.८३ थी जो ६३-६४ में १०.७ हो गई। तीसरी योजना का हमारा लक्ष्य १२.९ का है और हम आशा करते हैं कि इस क्षेत्र में भी हम अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे। इस सिलसिले में विशेष

कर चर्चा इस सदन में भी कई बार हुई है और अध्यापक और मैनेजमेंट का मामला अक्सर इस सदन के सामने आया है। इस विषय में मुझे थोड़ी सी निराशा है और वह इस रूप में है कि हमारे जो माध्यमिक विद्यालय हैं उनके जो प्राइवेट मैनेजमेंट्स हैं उनकी स्थिति प्रति वर्ष कुछ गिरती जाती है और इस रूप में गिरती जाती है, मेरा आशय इस बात से यह है, कि उनके आपस के झगड़े कुछ बढ़ते जाते हैं। तो पहले तो मुख्य रूप से समस्या एक थी कि अध्यापक को सुरक्षा प्राप्त नहीं थी और अध्यापक को सुरक्षा दिलाने के लिये इस सदन ने अधिनियम पास करके कुछ अधिकार शासन को दे दिये थे और उससे अध्यापकों की नियुक्ति और उसका पृथक्कीकरण कुछ नियंत्रण के साथ होता था। यद्यपि सन्तोष उससे भी काफी नहीं हुआ फिर भी इस बीच में यह एक झगड़ा और शुरू हो गया कि मैनेजमेंट में आपसी मनमुटाव पैदा होने लगे और जब किसी मैनेजमेंट में आपसी झगड़ा कोई हो जाता है कि कोई एक चुनाव हुआ, चुनाव वह स्वतः करते हैं और उस चुनाव के पश्चात् एक वर्ग कहता है कि हम चुने गये और दूसरा कहता है कि हम चुने गये, यह जब एक परेशानी खड़ी हो जाती है तो विभाग को भी कठिनाई हो जाती है और विभाग के अधिकारियों को भी कठिनाई हो जाती है। फिर यह मामले अदालत में भी चले जाते हैं। अब जब अदालत में यह मामले जाते हैं तो विभाग के अधिकारियों को भी एक संकोच होता है कोई फैसला करने में, क्योंकि वह न्यायालय में चीज जायगी और कोई इस तरह का फैसला होता है तो उसको भी न्यायालय के सामने एक मुकदमा लड़ना पड़ता है। यह एक परेशानी इन विद्यालयों के संबंध में आ जाती है।

साथ ही दूसरी परेशानी यह पैदा होती है कि यदि किसी मैनेजमेंट में आपस में झगड़ा हो गया और इस बात का कुछ निर्णय न हो पाया कि असल मैनेजमेंट कौन है, सही चुनाव किसका हुआ है, तो वहां अध्यापकों में भी गड़बड़ हो जाती है और फिर अनुपालन अनुदान जो दिया है उसमें एक दिक्कत पैदा होती है और अनुपालन अनुदान न दिया जाय तो अध्यापकों का वेतन नहीं मिल पाता है। तो कुछ परेशानी तो प्रबन्धक समिति में होती है और अगर उसके ऊपर यह कदम उठाया जाता है कि उसको अनुपालन अनुदान न दिया जाय तो उसको भुगतना पड़ता है अध्यापकों को या अन्ततोगत्वा विद्यार्थियों को। इसी तरीके से अध्यापकों को भी कुछ शिकायतें पैदा होती रहती हैं कि उनको उचित तरीके से सुरक्षा नहीं है और इस किस्म के भी कुछ मसले सामने आये हैं जिसमें काफी समय उनको इसमें लग जाता है कि वह अपनी सुरक्षा प्राप्त कर सकें, जो आदेश होते हैं उनका पालन करा सकें। इस चीज को पारस्परिक रूप से तय करने के लिये हमने पिछले दिनों इस बात का प्रयास किया कि दोनों के प्रतिनिधियों को बुलाया जाय और विभाग वाले भी बैठें और इन उलझनों को हल करने का कोई तरीका निकालें क्योंकि विद्यालय कोई आर्थिक क्षेत्र की संस्था नहीं है जहां कोई कान्फ्लिक्ट आफ इन्टरेस्ट लोगों का हो। अगर प्रबन्धक एक विद्यालय चलाना चाहता है तो वह भी शिक्षा देना चाहता है, अध्यापक उस विद्यालय में है तो वह भी शिक्षा देना चाहते हैं और विद्यार्थी जो हैं वह भी शिक्षा लेना चाहते हैं और विभाग उस शिक्षा में सहायता देना चाहता है। लक्ष्य सबका एक ही है। तो जब लक्ष्य एक ही है तो किसी भ्रम के कारण कोई फटाव हो जाता है, कोई मनमुटाव हो जाता है। बातचीत करने से, पारस्परिक परामर्श से वह मनमुटाव कम हो सकता है। इस बात के प्रयास से यहां एक सम्मेलन किया गया और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि व्यवस्थापकों के प्रतिनिधियों ने और शिक्षकों के प्रतिनिधियों ने भी उसी वातावरण में बातचीत की जिसकी कि आशा थी और उससे यह आशा प्रतीत होती है कि यह रोज बरोज जो खाई बढ़ रही है अध्यापकों और व्यवस्थापकों के बीच उसको हम किसी न किसी हद तक कम कर सकेंगे।

(इस समय १२ बजकर ३१ मिनट पर श्री धिष्ठाता, श्रीमती सुशीला रोहतगी, पीठासीन हुयीं।)

[श्री कैलाशप्रकाश]

श्रीमन्, विज्ञान क्षेत्र के विषय में मुझे और कोई विशेष निवेदन नहीं करना है। केवल इतना ही निवेदन करना है कि विज्ञान की शिक्षा इस समय बहुत आवश्यक है। जैसा मैंने माध्यमिक विद्यालयों के विषय में बतलाया, इन विद्यालयों को, हम इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि विज्ञान के लिये, विशेषकर सज्जा के लिये, फरनीचर के लिये, भवन निर्माण के लिये और पुस्तकालय के लिये अनुदान दिया जाय और जो लक्ष्य तीसरी पंचवर्षीय योजना में हमने निर्धारित किया था उस लक्ष्य से आगे बढ़कर ऐसे विद्यालयों को सहायता और अनुदान हम दे रहे हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि सन् १९५८ में हमने एक अधिनियम पास किया था जिसकी एक धारा यह थी कि प्रशासनिक योजना भी लागू की जाय। अभी यह पता चला है कि बहुत से विद्यालयों ने अपने यहां प्रशासनिक योजना को स्वीकार नहीं किया है और कुछ ने उसके सिद्धान्त को ही स्वीकार नहीं किया है। अब हमने अनावर्त्तक अनुदान देने में इस बात को रखा है कि जिन विद्यालयों ने प्रशासनिक योजना को स्वीकार नहीं किया है उनको कोई इस तरीके का अनावर्त्तक अनुदान न दिया जाय। जिन विद्यालयों में सामूहिक रूप से नकल हुई है उन विद्यालयों को अनावर्त्तक अनुदान देने में शामिल नहीं किया गया है जब तक कि उन विद्यालयों के व्यवस्थापक इस बात का प्रबन्ध नहीं कर देते कि जो इस बात के उत्तरदायी हैं, सामूहिक नकल कराने के उत्तरदायी हैं, उनको अपनी तरफ से सजा नहीं देते। जब बोर्ड को यह पता चलता है कि फलां विद्यालय में सामूहिक रूप से नकल हुई तो बोर्ड इस बात की जांच पड़ताल के लिये यत्न करता है। माननीय सदस्यों के सामने भी यह समस्या आचुकी है परीक्षाफल घोषित करने में लगाते हैं। उसमें यह पता लगाया जाता कि किस अध्यापक और इन्वेजिलेटर का दोष है। बोर्ड अपनी तरफ से यह करता है कि जो कोई अध्यापक या इन्वेजिलेटर काम करता है उसको उससे वंचित कर देता है। इससे अधिक वह नहीं कर पाते हैं। फिर भी उत्तरदायित्व प्रबन्धकों का है कि वह ऐसे व्यक्ति विशेष की तरफ कोई कार्यवाही करें क्योंकि यदि ऐसी बातों की कार्यवाही नहीं होती है तो शिक्षा का जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है उसकी तरफ कम पहुंचते हैं और नैतिकता तो बिलकुल शैशवकाल में ही मारी जाती है जबकि बच्चे परीक्षा भवन में ही बैठकर सामूहिक नकल करने के आदी हो जाते हैं। इस चीज का विचार रखते हुये यह विचार किया गया और विचार ही नहीं किया गया बल्कि इस बात पर कार्य किया गया कि जिनका इस तरीके का दोष है उनको कोई अनुदान न दिया जाय।

यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बारे में मुझे कोई विशेष बात नहीं करनी है। जो आंकड़े हैं वह माननीय सदस्यों को मिल गये हैं। पहले १४७ डिग्री कालेज थे। १७४ डिग्री कालेज सन् १९६३-६४ में हो गये।

बहुत संक्षेप में मैं यह और निवेदन करना चाहता हूं कि शारीरिक एवं सैनिक प्रशिक्षण में भी हम काफी प्रयास कर रहे हैं और इसमें कई योजनायें चल रही हैं। एक एन० सी० सी० सीनियर, दूसरी एन० सी० सी० जूनियर, तीसरे एन० सी० सी० रायफल्स, इसके अलावा नेशनल डिसिप्लिन स्कीम है, ए० सी० सी० है। यह केन्द्र की अपनी योजनायें हैं। इस प्रदेश की विशेष योजना है पी० एस० डी०, जो ११, १२ क्लास में चलती है। इसके अतिरिक्त एक केन्द्रीय योजना और है जो कि फिजिकल एफीशियेन्सी बढ़ाने में और उसे टेस्ट करने की योजना है। वह भी इस प्रदेश में चालू हो गयी है। इन योजनाओं के अतिरिक्त स्काउटिंग जैसी संस्थायें हैं जो अपना कार्य नवयुवकों में करती रहती हैं। एन० सी० सी० की जो दूसरी किस्में हैं उनमें थोड़ा यह खयाल पैदा हो गया है विद्यार्थियों में कि एन० सी० सी० रायफल्स छोटे दर्जे की ट्रेनिंग है और एन० सी० सी० बड़े दर्जे की ट्रेनिंग है। इससे उनमें कुछ असंतोष है और इसलिये यह प्रश्न विचाराधीन है कि एन० सी० सी० रायफल्स और एन० सी० सी० को एक में मिला दिया जाय। यह ठीक है कि इनमें कुछ योजनायें सीमित दायरे में काम करती हैं लेकिन फिर भी उनके लिये नवयुवकों में चाह है।

इसके अतिरिक्त गरीब और प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी निर्धनता के कारण शिक्षा से वंचित न रह सकें, इसके लिये कई योजनायें हैं। मैं उनके ब्योरे में जा कर माननीय सादस्यों का

अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैंने इस बारे में एक पुस्तिका छपवा दी है जो, आशा है, हर माननीय सदस्य को मिल गयी होगी। उसमें दिया है कि उन विद्यार्थियों को क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध हो सकती हैं और इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि किसी प्रकार भी उन गरीब प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को गरीबी के कारण शिक्षा से वंचित न होना पड़े।

अध्यापकों के विषय में भी निवेदन करना चाहता हूं कि प्रारम्भिक शिक्षा के अध्यापकों का इस बजट में ५ रुपये मंहगाई भत्ता बढ़ाया गया है। जूनियर और प्रारम्भिक शिक्षा के अध्यापकों को यह मिलेगा। इसमें संदेह नहीं कि उनके वेतन और डी० ए० से हम संतुष्ट नहीं है, लेकिन हमें साधनों के अनुसार ही काम करना पड़ता है। प्रारम्भिक शिक्षा तो लोकल बाडीज द्वारा ही चलती है। बजट में करीब करीब १ करोड़ से अधिक का प्राविधान है भत्ता देने के लिये। पहले अवकाश प्राप्ति की आयु इन शिक्षकों की ५८ वर्ष की थी जो कि लोकल बाडीज में काम करते थे। माध्यमिक शिक्षकों की भी ५८ वर्ष की थी। पिछले दिसम्बर में यह प्रश्न अध्यापक मंडल की ओर से प्रस्तुत किया गया कि उनकी अवकाश आयु बढ़ा दी जाय, तो वह ६० वर्ष कर दी गयी। अब जितने भी अध्यापक लोकल बाडीज के अन्तर्गत कार्य करते हैं उनकी अवकाश प्राप्ति की आयु ६० वर्ष है और दो वर्ष तक उसको बढ़ाया जा सकता है बशर्ते कि काम करने के योग्य हों। जहां तक माध्यमिक शिक्षकों का संबंध है, जुलाई, ६३ में आदेश कर दिया गया था कि उनका भत्ता बढ़ा कर २० रुपया कर दिया जाय।

अनुशासन के विषय में दो शब्द और कहूंगा। शिक्षा का बड़ा भारी संबंध अनुशासन से है। शिक्षा ऐसी चीज है जो भावनाओं से संबंधित है, कोई दूसरी बात नहीं है और भावना का आदान और प्रदान एक शान्त वातावरण में ही हो सकता है। यदि वातावरण अशान्त हो तो उसमें शिक्षा का कार्य सुचारुरूप से नहीं चल सकता है और जहां अनुशांसनहीनता होगी वहां वातावरण अशान्त होगा, शान्त नहीं रह सकता है जिसमें ठीक तरीके से शिक्षा दी जा सके। यह समस्या पिछले वर्षों में यदा-कदा उपस्थित हुई। उस वर्ष भी विश्वविद्यालयों में उपस्थित हुई—विशेषकर प्रयाग विश्वविद्यालय से चली और अन्य में भी हुई। इस बात का संतोष और प्रसन्नता है कि इस अनुशासनहीनता के रोकने में करीब-करीब सभी का सहयोग रहा है। मैं विद्यार्थियों को भी इसमें सम्मिलित करता हूं क्योंकि अधिकांश में हमारे विद्यार्थी और नवयुवक अनुशासनहीनता को पसन्द नहीं करते, यह मेरा अनुभव है। होता यह है कि कुछ थोड़े से होते हैं जो इन संस्थाओं में अपना प्रवेश पा लेते हैं। कुछ शिक्षा से उनका बहुत लगाव नहीं होता। जिस तरीके से आप लोग और हम लोग राजनीति के क्षेत्र में नेतृत्व करते हैं और चुनाव लड़ते हैं वह संबंधित विश्वविद्यालयों में वहां का नेतृत्व प्राप्त करना चाहते हैं। नवयुवक जोशीले और उत्साही होते हैं, सारी बातें बहुत दूर तक जांच नहीं सकते हैं, वह ऐसी बातों में आ जाते हैं और ऐसी विषम परिस्थिति पैदा हो जाती है। उसको शिक्षा के हित में और विद्यार्थियों के हित में रोकना आवश्यक है और, जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया, अध्यापक वर्ग की ओर से इस बार काफी सहयोग प्राप्त हुआ, नवयुवकों की ओर से भी हुआ है और यह चीज नियंत्रण में रही। यद्यपि अब भी किसी बड़े विश्वविद्यालय या कालिज या माध्यमिक विद्यालय से इस तरह की चर्चाएं आती हैं, लेकिन मेरा सभी माननीय सदस्यों से आपके द्वारा निवेदन है कि इस रोग को फैलने नहीं देना चाहिये। इससे हमारे भविष्य पर बहुत कुप्रभाव पड़ता है और उन नवयुवकों पर जो आगे भार संभालने वाले हैं। उनका समय बरबाद होता है, उनकी स्थिति अच्छी नहीं होती। विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने इस ओर कुछ कड़ाई के साथ कदम उठाया और सरकार का भी उनको सहयोग रहा, उसका फल भी कुछ अच्छा ही रहा। हमारी इच्छा है और आशा है कि सभी माननीय विरोधी दलों का सहयोग शिक्षा संस्थाओं में अनुशासन बनाये रखने के लिये प्राप्त होगा और जो व्यय हम इस पर कर रहे हैं उसका सदुपयोग होगा। वैसे ही हमारा प्रदेश पिछड़ा हुआ है और यदि शिक्षा संस्थाओं में भी वातावरण अच्छा न हुआ तो उससे प्रदेश का बड़ा अहित होगा।

[श्री कैलाशप्रकाश]

इसलिये मेरा सबसे नम्र निवेदन है कि आप सब इस चीज को राष्ट्रीय चीज समझ कर नवयुवकों का हित समझकर, हमको अपना सहयोग दें और राजनीति आदि का प्रश्न शिक्षा संस्थाओं से बिलकुल अलग रखें, केवल नवयुवकों का हित दृष्टि में रख कर इस क्षेत्र में कार्य करें। मैंने आपका बहुत समय ले लिया, सभी माननीय सदस्यों ने मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुना, इसके लिये मैं उनका अनुगृहीत हूं। जो भी उनके सुझाव होंगे, उन पर मैं विचार करने का प्रयास करूंगा और उससे लाभ उठाऊंगा। अगर हमारे आपके प्रयास से शिक्षा क्षेत्र में कुछ सुधार हो सके तो उससे सबसे ज्यादा संतोष की बात मेरे लिये होगी।

श्री जे० पी० मिश्रा (जिला हरदोई)---

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। इस प्रदेश में ४ हजार नरसरी ट्रेन्ड टीचर्स की जरूरत है। इस सम्बन्ध में आचार्य जुगल किशोर ने अपनी एक रिपोर्ट दी है। तो क्या माननीय मंत्री जी उस पर भी कुछ प्रकाश डालेंगे ?

श्री अधिष्ठाता---

माननीय मंत्री जी ने इसको नोट कर लिया होगा, जब वे अपना उत्तर देंगे तब उस विषय पर भी बता देंगे।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)---

आप शिक्षा क्षेत्र में कोई रिसर्च का काम भी कर रहे हैं ? या उसके लिये कोई योजना है ?

श्री अधिष्ठाता---

माननीय सदस्य अपनी-अपनी बातों को कृपया नोट करलें और जब उन्हें बोलने का अवसर मिले तब उनको कहें।

*श्री मेघनार्थसिंह शिशोदिया (जिला मेरठ)---

माननीया, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १७---शिक्षा के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कभी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

माननीया, बहुत दिनों से सारे प्रदेश में इस बात की बहुत खुशी थी कि इस समय शिक्षा के मंत्री एक अध्यापक नियुक्त हुये हैं और आज यह हमारे टीचर मिनिस्टर का बजट है जिसमें न तो अध्यापकों की ओर, और न शिक्षा की ही ओर पूरा पूरा ध्यान दिया गया है। यह बजट केवल काम चलाऊ बजट है। पारसाल सम्पूर्ण बजट का साढ़े १३ परसेंट शिक्षा पर व्यय किया गया था और इस वर्ष १४.३ परसेंट है, केवल ०.८ परसेंट की ही वृद्धि हुई है। इस बजट को प्रस्तुत करते समय माननीय शिक्षा मंत्री जी ने यूनिवर्सिटी शिक्षा पर भी प्रकाश डाला है। उन्होंने सैकिन्डरी एजूकेशन पर भी अपने आंकड़े बताये और प्रारम्भिक शिक्षा पर भी बहुत जोर दिया, लेकिन मैं यह नहीं समझ पाया कि शिक्षा की गाड़ी को केवल तीन पहियों से कैसे चलावेंगे जबकि चौथे पहिये में पंक्चर लगा हुआ है। चौथा पहिया है शिशु शिक्षा का और जब तक हमारे देश में शिशु शिक्षा की ओर ध्यान नहीं होगा और शिक्षाभवन की नींव ही ठीक नहीं होगी उस समय तक यूनिवर्सिटी, सैकिन्डरी और प्राथमिक शिक्षा की तीनों मंजिल ढह जावेंगी। शिक्षा में उन्होंने दो मदें बतलाईं। एक तो प्लान बजट और दूसरा नान-प्लान बजट। नान-प्लान बजट में उन्होंने यह भी कहा कि ५ करोड़ ७८ लाख ७८ हजार रुपयों की वृद्धि पिछले

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बजट से दी हैं। यह हाउस पर उन्होंने बम सा फैंक दिया, लेकिन वह नहीं समझा पाये कि जब सारे बजट में ही ३० प्रतिशत की वृद्धि हुई है तो इतनी वृद्धि तो शिक्षा में अपने आप ही हो जाती। गणित का हिसाब सीधा है। नान-प्लान के अन्दर कोई नवीन बात उन्होंने नहीं की। जैसे खर्चेसारी और मदों पर आये हैं वैसे ही हैं। केवल एक मद नयी रखी है, टीचर्स ग्रेचुइटी फंड, जिसमें २२ लाख रुपया रखा है। इतना और जरूर कर दिया है कि पहले इंग्लैन्ड में ५ लाख रुपया रखा था उसे ८ लाख कर दिया है।

अब आता है प्लान बजट। उसमें बहुत सी मदें हैं, लेकिन केवल ३ ऐसी हैं जिनका सामान्य मनुष्य स्वागत करेगा। एक तो नरसरी ट्रेनिंग कालेज फार वीमैन के लिये १ लाख १८।। हजार रुपया रखा है, दूसरे कैंडेट्स के लिये १४ लाख १५ हजार रुपया है और तीसरे टीचर्स ट्रेनिंग फैसीलिटी हैं जिसमें रैंकरिग में ८ लाख १५ हजार और नान रैंकरिग में ११ लाख ९८ हजार रुपया खर्च करने जा रहे हैं। ये मदें नवीन सी हैं और उनसे कुछ सुविधा जरूर होती है, लेकिन कुछ मदें ऐसी हैं जिन्हें सामान्य आदमी भी वेस्ट कहेगा। साइकालोजीकल ब्यूरो पर १९६०० का १ लाख ३० हजार कर दिया है। दो नये साइकालोजीकल सेंटर्स खोले हैं, जिन पर बाद में प्रकाश डालूंगा कि ये क्या काम कर रहे हैं। एक उन्होंने स्टेट करीकुलम रिसर्च संस्था कायम की है जिसमें ६३, ६०० रुपया खर्च कर रहे हैं। यह मेरे विचार से वेस्ट कर रहे हैं। जिस चीज को खत्ते में डालना होता है उस पर रिचर्स संस्था कायम कर दी जाती है। वह २-३ साल में रिपोर्ट देती है। फिर कोई न कोई ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है कि उसके ऊपर कुछ हो नहीं पाता है। शिक्षा विभाग ने उसके लिये एक बहुत हैवी विभाग भी खोल दिया है, जिसके लिये एक असिस्टेंट डाइरेक्टर और बहुत लम्बा-चौड़ा स्टाफ भी नियुक्त हुआ है। एक रूरल इंस्टीट्यूट खोला है जिसके लिये ६ लाख रुपया हमारी गवर्नमेंट ने दिया है और गवर्नमेंट आफ इंडिया ने भी काफी रकम दी है, लेकिन जब उसका विश्लेषण करते हैं तो एग्रीकल्चर साइंस, सिविल और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग तथा सैनीटरी इंस्पेक्टर्स कोर्स इसमें होंग। टक्नीकल एजूकशन विद्युत् विभाग हल करता हैं, मैडिकल एजूकेशन मैडिकल विभाग हल करता है, तो सैनीटरी इंस्पेक्टर्स का कोर्स हैल्थ विभाग क्यों नहीं हल करता? एजूकेशन में से इसमें रुपया क्यों जाय? एग्रीकल्चरल साइंस वगैरह के लिये ६ लाख रुपया जो रखा है वह किसी और मद में काम आ सकता था।

महोदया, अब मैं अपने प्रदेश की शिक्षा की भारत के और प्रदेशों से तुलना करता हूं। मंत्रीजी ने कहा कि साक्षरता में हमारा प्रदेश पिछड़ा है, उनके इन शब्दों का मैं स्वागत करता हूं, यद्यपि इससे काम नहीं चल सकता है। काम तो चलेगा कि कोई उचित प्लान बनाया जाय। उसके लिये उन्होंने कुछ नहीं कहा। हार स्वीकार कर लेना ही काफी नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि यह कांग्रेस का बजट है। अभी भुवनेश्वर में उन्होंने सोशलिस्टिक पैटर्न की सोसाइटी की कल्पना की है और बहुत तेजी से कहा है। मैं नहीं समझ पाया कि इस शिक्षा के बजट में कौनसी सोशलिस्टिक कल्पना उन्होंने की है, जबकि हमारा सूबा हर दिशा में पिछड़ा है? आवश्यकता तो इस बात की थी कि शिक्षा को वार फुटिंग पर लड़ाई के जमाने की चीज समझ कर चलाया जाय। जैसे गवर्नमेंट आफ इंडिया डिफैंस में एमर्जेंसी स्थापित करती है वैसे ही और सूबों के बेनेंज को स्वीकार करके जो फैसलिटी वह १० साल में देने जा रहे हैं वे वार फुटिंग पर चल कर एक या दो साल में कर सकते थे। इसमें बहुत सी मदें ऐसी हैं जिनमें हमारी सरकार को एक पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं थी। वह यह कह सकते हैं कि मुख्य मंत्री या वित्त मंत्री हमें अधिक पैसा नहीं देते हैं। अभी पार्लियामेंट में श्री छागला ने कहा था कि हम यह चाहते हैं कि स्टेट्स एजूकेशन को कानकरेंट लिस्ट में शामिल करदें, जिससे सेंटर को इसके ऊपर उतना ही अधिकार हो। मैं समझता हूं कि अगर ऐसा हो गया तो सेंटर हमें बहुत काफी मदद दे सकता है। भारत में लिटरेसी २४ परसेंट है। हमारे सूबे में १७.६ है, जबकि सिवाय राजस्थान के और सभी

[श्री मेघनाथसिंह शिशोदिया]

सूबे हमसे आगे हैं। आन्ध्र में २१, आसाम में २७.५, बिहार में १८।।, गुजरात में ३०, केरल में ४७, मदरास में ३१।।, महाराष्ट्र में ३०, मैसूर में २५ परसेंट हैं। यदि इस साक्षरता में हम आगे नहीं बढ़े तो मालूम नहीं प्रदेश की क्या हालत होगी। सारे भारत की राजनीति को हमारा सूबा गाइड करता है, सारे उपद्रव यहीं से शुरू होते हैं और शिक्षा के मामले में हमारा प्रदेश इतना पिछड़ा रहा तो और फिर यह स्वीकार करना कि हम पिछड़े हुए हैं, इससे काम चलने वाला नहीं है। अब समय आ गया है कि हमें बड़ी तेजी से आगे बढ़ना है। जब हम यह देखते हैं कि दूसरी स्टेट्स के शिक्षा के बजट और सामान्य बजट में क्या अनुपात है, तो हमें और भी अधिक निराशा होती है।

श्री अधिष्ठाता---

क्या आप अभी ५ मिनट से ज्यादा समय लेंगे? ५ मिनट आप चाहते हैं तो अभी दिये जा सकते हैं।

श्री मेघनाथसिंह शिशोदिया---

मैं तो पूरा समय लूंगा।

श्री अधिष्ठाता---

तो अब हम उठते हैं और २ बजे फिर बैठेंगे।

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बजकर ५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री मेघनाथसिंह शिशोदिया---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि जहां तक शिक्षा का संबंध है हमारा प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही पिछड़ा हुआ है। यदि हम सामान्य बजट से शिक्षा के बजट की तुलना करें तो भी हम देखते हैं कि सामान्य बजट का केवल १४.३ प्रतिशत ही शिक्षा के लिये दिया गया है। यदि हम हिन्दुस्तान के सारे सूबों से इसकी तुलना करें तो केवल जम्मू व काश्मीर तथा उड़ीसा को छोड़ कर सारे सूबे हमसे आगे हैं इसी तरह से यदि हम देखें कि पर हेड शिक्षा पर हम कितना खर्च करते हैं तो पायेंगे कि केवल बिहार प्रान्त ही ऐसा है जो हमसे कुछ नीचे है, वरना और सभी सूबे आगे हैं। बाज-बाज सूबे तो ऐसे हैं, जैसे मैंने केरल का उदाहरण दिया है कि वह अपने कुल बजट का ३२ प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करता है जबकि हम अपने यहां शिक्षा पर १४.३ प्रतिशत ही खर्च करने जा रहे हैं। यही नहीं, जहां वह एक मनुष्य की शिक्षा पर १४ रुपये खर्च करता है वहां हम केवल साढ़े ४ रुपये ही खर्च करते हैं। तो हमारे इतने बड़े प्रदेश के लिये यह कोई शोभा की बात नहीं है। और सब सूबे ऐसे हैं जो सामान्य बजट का साढ़े १८ प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करते हैं जब कि हम केवल १४.३ प्रतिशत ही खर्च करते हैं।

प्राइमरी स्कूलों में प्रत्येक बच्चे पर हम साढ़े २३ रुपये खर्च करते हैं, सेकेंडरी एजूकेशन के लिये प्रत्येक बच्चे पर हम १०७ रुपये खर्च करते हैं और यूनिवर्सिटी एजूकेशन के लिये प्रत्येक बच्चे पर २२२ रुपये खर्च करते हैं। लेकिन आपको सुन कर आश्चर्य होगा कि शिशु शिक्षा के संबंध में प्रत्येक शिशु पर हम ३ नये पैसे खर्च करते हैं। यह हमारे लिये कोई शोभनीय बात नहीं है।

यदि हम यूनिवर्सिटी एजूकेशन को देखें तो हमारे प्रदेश में आज ९ यूनिवर्सिटीज हैं। कुल भारतवर्ष में ५४ यूनिवर्सिटीज हैं, और इस दृष्टिकोण से हमको सारे भारत का छठा भाग मिला हुआ है लेकिन हमारे प्रदेश का बदकिस्मती यह है, कि यूनिवर्सिटी की गणना तो हमने ९ कर ली, लेकिन इनमें दो यूनिवर्सिटीज—अलीगढ़ व बनारस की ऐसी हैं जो भारतीय स्तर की

यूनिवर्सिटीज हैं। उनका हमारे सूबे से कोई संबंध नहीं है। इसके अतिरिक्त ३ यूनिवर्सिटीज, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, रुद्रपुर, रुड़की यूनिवर्सिटी व वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, ये ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनका यहां से कोई संबंध नहीं है। एक टेक्निकल एजूकेशन का है जिसका संबंध सारे भारत से है। जो अमरीकन टाइप की कृषि की यूनिवर्सिटी है और एक संस्कृत यूनिवर्सिटी है जिस का संबंध भी सारे भारत से है। तो इन ५ को निकालकर केवल ४ यूनिवर्सिटी रह जाती हैं और उन में से भी २ ऐसी हैं जिनका सारा खर्च गवर्नमेंट करती है और दो यूनिवर्सिटी केवल एगजामिनिंग यूनिवर्सिटी हैं। कहने के लिये तो आगरा यूनिवर्सिटी सब से बड़ी यूनिवर्सिटी है और जो १२० कालेजेज का संचालन करती है, लेकिन कलकत्ता और बम्बई की तुलना में आगरा यूनिवर्सिटी से संबंध छात्रों के मुकाबले में वह यूनिवर्सिटियां तिगुने छात्रों को चलाती हैं और वे १५० कालेजों को सम्बद्ध किये हुये हैं। इस तरह से अपने बजट के हिसाब से तो आप यूनिवर्सिटी शिक्षा पर काफी खर्च करते हैं, लेकिन दूसरे प्रदेशों की तुलना में आप बहुत कम खर्च करते हैं।

सेकेन्डरी एजूकेशन में हम देखते हैं कि अभी बजट में लोकल बाडीज के जो टीचर्स और कर्मचारी हैं उन के लिये ५ रुपया डी० ए० में बढ़ोत्तरी देने का शिक्षा मंत्री जी ने एलान किया है, लेकिन सेकेन्डरी एजूकेशन की ९५ प्रतिशत जनसाधारण की प्राइवेट संस्थाएं चलाती हैं जिन के टीचर्स और कर्मचारियों के लिये कोई आश्वासन नहीं दिया गया है कि उन के भी महंगाई भत्ते में वृद्धि होगी या नहीं। कहा गया है कि उन को पिछली जुलाई में ही २० रुपया दिये गये हैं, यह सही है, लेकिन उन को भी ५ रुपया मिलना चाहिये परन्तु इस प्रकार का कोई आश्वासन इसमें नहीं है। २ साल पहले आश्वासन दिया गया था कि उन को मेडिकल एड दी जायगी, लेकिन इस बजट में वह खाना खाली है और कोई ऐसी मद नहीं रखी गई है।

सेकेन्डरी एजूकेशन में खास तौर पर हमारा इंटर और हाईस्कूल बोर्ड आता है और वह शिक्षा का संचालन करता है। हमारे इन्टर बोर्ड के ३ फंक्शन हैं, परीक्षा लेना, कोर्स निर्धारित करना और प्राइवेट संस्थाओं को मान्यता देना। जहां तक कोर्स निर्धारित करने का प्रश्न है हम देखते हैं कि आज टेक्स्ट बुक्स १०–१५ प्रकार की रखी हुई हैं, मैं चाहता हूं कि वह सब जगहों के लिये एक ही प्रकार की रखी जांय और उन का नेशनेलाइजेशन होना चाहिये, वह गवर्नमेंट पब्लिकेशन होने चाहिये और उन का प्राइवेट पब्लिकेशन रोका जाना चाहिये, क्योंकि उस से बोर्ड में भ्रष्टाचार फैलता है। जहां तक मान्यता और परीक्षा का प्रश्न है हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हमारे यहां ४ लाख लड़के लड़कियां परीक्षा दे रहे हैं, करीब डेढ़ लाख इन्टर में और करीब ढाई लाख के हाई स्कूल में। हमारा बोर्ड सारी दुनिया में सबसे बड़ा बोर्ड है, लेकिन यह कोई गर्व की बात नहीं है। हम उस के द्वारा परीक्षाओं का संचालन करते हैं, लेकिन यह परीक्षायें सेन्ट्रेलाइज न होकर अगर डिसेन्ट्रेलाइज हो जांय तो अच्छा है। आपने देखा कि पिछले साल एक जगह पेपर आउट हो गये और सारी मेशीनरी उसमें हिल गई और लाखों रुपया खर्च हुआ।

मेरा सुझाव है कि हाई स्कूल की परीक्षा बोर्ड के द्वारा न हो और उसका डिसेन्ट्रेलाइजेशन किया जाय। डिप्टी डायरेक्टर आफ एजूकेशन को उसका सेक्रेटरी बनाया जाय और उनका संचालन रीजनल बेसिस पर किया जाय। उनके आफिस में काम नहीं है और यह काम उनको दिया जाय तो मुनासिब होगा। इन्टर परीक्षा बोर्ड के लेविल पर हो। मेरा सुझाव है कि हाई स्कूल की मान्यता रीजनल बेसिस पर होनी चाहिए और वह डिप्टी डायरेक्टर आफ एजूकेशन के यहां से होनी चाहिये और रीजनल बेसिस पर ही उसका निर्णय होना चाहिये। इंटरमीडियेट की मान्यता केन्द्र पर बोर्ड की रिकग्नीशन कमेटी करे। इससे काम हल्का हो जायगा और जो तरह-तरह के झगड़े होते हैं वह खत्म हो जायेंगे। इलाहाबाद में जून में कोलाहल मचता है रिकग्नीशन के लिये।

[श्री मेघनाथसिंह शिशोदिया]

हर मनुष्य का अधिकार है कि उस को अच्छी तरह से सुना जाय, लेकिन किसी स्कूल को मान्यता देते समय पता नहीं चल पाता, जल्दी-जल्दी काम होता है नतीजा यह होता है कि बोर्ड के सदस्य एजेन्डा भी अच्छी तरह नहीं देख पाते हैं। जल्दी-जल्दी निर्णय लिये जाते हैं। हो सकता है कि डी० आई० ओ० या डी० डी० के दफ्तर से कोई कमी रह गई हो। ओरिजिनल एप्लीकेशन में कोई कमी है तो अन्त तक उसी पर ध्यान दिया जाता है और यह नहीं देखा जाता कि इस बीच में उस संस्था ने क्या उन्नति कर ली है। यदि संस्थाओं के लोगों को ५ मिनट का समय रिकग्नीशन कमेटी को संन्तुष्ट करने का समय दे दें जिससे वह बता सकें कि किस प्रकार कमियों को दूर कर रहे हैं तो उससे संस्था के लोगों को संतोष हो जायगा और कमेटी को भी संतोष हो जायगा कि उसने सही निर्णय किया। प्रत्येक रीजन के केसेज उस रीजन में तय कर लिये जायं तो ज्यादा अच्छा हो।

अब मुझे बोर्ड के कांस्टीट्यूशन के बारे में कहना है। इंटरमीडियेट बोर्ड १९२१ में उस समय बना था जब कि शिक्षा संस्थाओं की संख्या अबसे कहीं अधिक कम थी। तबसे उनकी संख्या ४० गुनी हो गयी है। उस समय दो प्रिन्सिपल्स गवर्नमेन्ट कालेजेज के होते थे, १ हेडमास्टर ४ प्रिन्सिपल इन्टर कालेजेज के और २ प्राइवेट स्कूलों के हेड मास्टर उसके मेम्बर होते थे। बाकी ऐसे सदस्य ३३, ३४ होते थे जिनका कोई सम्बन्ध इंटरमीडियेट बोर्ड से नहीं होता था। वही ढांचा करीब-करीब आज भी चला आ रहा है। आज एक टीचर को अगर प्रिन्सिपल्स का रिप्रेजेन्टेशन करना है, चुनाव लड़ना है तो सारे प्रिन्सिपल्स के पास जाना पड़ेगा जो उसके लिये असम्भव है। इसलिये बोर्ड का कांस्टीट्यूशन बिलकुल बदलना चाहिये और इसके अन्दर रिप्रेजेन्टेशन होना चाहिये। बड़ा आश्चर्य है कि इसका सम्बन्ध संस्थाओं से होता है, परीक्षाओं में अध्यापकों से होता है, लेकिन अध्यापकों का रिप्रजेन्टेशन बिलकुल नहीं है, मैनेजमेंट का रिप्रजेन्टेशन नहीं है। इसमें शिक्षा संस्थाओं के मैनेजमेंट का रिप्रेजेन्टेशन होना चाहिये। प्रिन्सिपल्स के साथ टीचर्स का भी रिप्रेजेन्टेशन होना चाहिये और रीजनल बेसिस पर इसका निर्माण हो तथा रीजनल बेसिस पर कमेटी बने और चुनाव क्षेत्र अलग-अलग निर्धारित हो जाने चाहिये। यही एक संस्था है जिसमें सारे सूबे में चुनाव लड़ना पड़ता है।

अब मैं सामान्य प्रशासन के बारे में कहना चाहता हूं। हमारी शिक्षा रिसर्च का विषय बन गई है। कभी मिनिस्टर और डायरेक्टर के सम्बन्ध खराब होते हैं तो फौरन ऐडीशनल डायरेक्टर नियुक्त हो जाता है। सम्बन्ध ठीक हुए तो एडीशनल डायरेक्टर को हटाओ और उस की जगह ज्वाइंट डायरेक्टर बनाओ। इससे ऐडमिनिस्ट्रेशन खराब होता है। मैं किसी विशेष व्यक्ति के बारे में नहीं कहता, लेकिन शिक्षा में डायरेक्टर का काफी महत्वपूर्ण पद है अतः मेरा सुझाव है कि ४ साल से ज्यादा किसी डायरेक्टर को नहीं रहना चाहिये। एडीशनल डायरेक्टर की नियुक्ति शिक्षा विभाग के लिये बड़ी शर्मनाक बात है कि एजूकेशन का आदमी न रख कर आई० ए० एस० को रखा जाता है। मुझे किसी आई० ए० एस० से चिढ़ नहीं है, लेकिन एडीशनल डायरेक्टर अगर बनाना ही है तो शिक्षा विभाग में से ही आदमी लेना चाहिये था। किसको बनाया ? एक जो एडीशनल डायरेक्टर एग्रीकल्चर के रहे।

चूंकि इंटरमीडिएट बोर्ड का हेडक्वार्टर इलाहाबाद में है और ऐडीशनल डायरेक्टर भी वहीं हैं इसलिये वही बोर्ड के चेयरमैन होने चाहिये। हमारी शिक्षा बहुत सेन्ट्रेलाइज्ड हो गई है जिसकी वजह से डी० आई० ओ० आफिस से जो कागज चलता है तो रीजनल डिप्टी डायरेक्टर केवल पोस्टमैन का काम करते हैं। बाज-बाज कर्मचारी के पास इतना काम रहता है कि काम से लदे रहते हैं। इसलिये रीजनल बेसिस पर काम होना चाहिये। मेन्टेनेन्स ग्रान्ट रीजनल आफिस में तय हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि इलाहाबाद में ही हो।

मुझे ताज्जुब हुआ डिप्टी डायरेक्टर्स को जीप नहीं दी गई और उनको कह दिया गया कि तुमको दौरा नहीं करना है। प्राइमरी ऐजूकेशन पर उनका कोई होल्ड नहीं है। मुझे याद है मैं जब पढ़ता था तो उस समय जो डायरेक्टर थे वह छोटे-छोटे प्राइमरी स्कूलों का इंस्पेक्शन

करते थे, लेकिन डिप्टी डायरेक्टर को भी अब मना कर दिया गया है और शायद डायरेक्टर महोदय ने तो अपने जीवन में किसी प्राइमरी स्कूल का निरीक्षण नहीं किया होगा। अगर दौरे हों तो लोगों को डर रहे। इसलिये डिप्टी डायरेक्टर के पद को महत्वपूर्ण बनाया जा सकता है, मेन्टेनेन्स ग्रान्ट्स वह दे सकते हैं, रीजनल बेसिस पर हाई स्कूल की परीक्षायें हो सकती हैं। जब जूनियर हाई स्कूल की परीक्षायें जिला स्तर पर होती हैं तो हाई स्कूल की परीक्षा भी रीजनल बेसिस पर हो सकती है। केवल इंटर की परीक्षा बोर्ड में रहे।

*श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट (जिला बरेली)––

उपाध्यक्ष महोदय, एक कल्याणकारी राज्य में सर्वतोमुखी विकास की आवश्यकता होती है। अतः एक तरह से तो सभी अंगों का विकास आवश्यक है लेकिन फिर भी हमें प्राथमिकता निश्चित करनी पड़ेगी और यह प्रश्न दृष्टिकोण से सम्बन्ध रखता है कि किस अंग को हम ज्यादा महत्व देते हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि यदि हमें जनतंत्र की जड़ें सींचना है, उसको खतरे से बचाना है तो शिक्षा को सब से ऊंची प्राथमिकता देना अनिवार्य है। पिछले वर्ष जब हमारे यहां संकटकलीन अवस्था आयी तो सब से पहले संकट आया शिक्षा विभाग पर और उसमें सब से ज्यादा प्राथमिकता शिक्षा विभाग को एक्स (axe) करने के लिए, उसमें कटौती करने के लिये दी है। मैं ऐसा समझता हूं कि आज अगर जनतंत्र को सफल बनाना है तो शिक्षा को हायस्ट प्रायोरिटी देनी पड़ेगी और शिक्षा के ऊपर अवश्य ही हमें अपने साधनों को देखते हुए अधिक से अधिक व्यय करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश खास तौर से, जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने, जो कि एक व्यवहारिक व्यक्ति हैं और जिनकी शिक्षा से लगन है, स्वीकार किया है कि सब प्रदेशों में सबसे पीछे हैं। तो जब हम और प्रदेशों से पीछे हैं और उस दिशा में आगे बढ़ना है तो और भी अधिक प्रायोरिटी शिक्षा को देनी पड़ेगी और अगर हम इस प्रायोरिटी को देने में असमर्थ रहे तो मैं यह कहने में संकोच नहीं करता कि विभिन्न दिशाओं में तो प्रगति की कल्पना है उसमें विडम्बना मिलेगी। इस दिशा से हम देखें तो १३.५ करोड़ से १४.३ करोड़ तक जो हम एक वर्ष में आ पाये हैं यह असंतोष जनक दिखती है, और अगर हम इसको कुल व्यय के अनुपात से देखें तो भी असंतोषजनक देखते हैं। अतः इस ओर सामूहिक रूप से सरकार को ध्यान देना होगा।

दूसरा प्रश्न आता है शिक्षा के ढांचे का। थोड़े समय में कुछ निवेदन करना असम्भव है, लेकिन मैं इतना ही साँकेतिक रूप में कहूंगा कि हर साल शिक्षा समारोह होते हैं। उनमें राष्ट्रपति से लेकर कदाचित् पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज तक दीक्षांत भाषण करते हैं और ऐसा लगता है कि शिक्षा में आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है, नया मोड़ देने की जरूरत है। पर आप देखें कि वहीं आदि और अन्त होता है। उसके बाद कोई वास्तविक मोड़ दिखायी नहीं पड़ता है तो यह भी चिन्ता का विषय है, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि अगर हम इन महानुभावों के उन विशिष्ट नेताओं और कर्णधारों के विचारों का लाभ उठावें तो हमें कदाचित् किसी मोड़ की आवश्यकता है। मैं तो यह कहूंगा कि शिक्षा के ४ भेद हैं (१) प्री प्राइमरी शिक्षा, (२) प्रायमरी (३) सेकेन्ड्री और हायर हो सकती है। प्री प्रायमरी शिक्षा का जहां तक सम्बन्ध है उसमें अपने साधनों की कमी के कारण कोई प्रगति विशेष नहीं कर सके हैं। हर्ष का विषय है कि पिछले १–२ वर्षों में इस ओर जोर दिया जाने लगा है। इस समय हमारे प्री-प्रायमरी में १५० नरसरी स्कूल्स हैं जिनको मान्यता प्राप्त है और ८५० ऐसे हैं जिनको सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन प्रश्न यह है कि अगर प्री-प्राइमरी एजूकेशन के मत को स्वीकार करते हैं, जैसा कि इस रिपोर्ट में भी कहा गया है और जैसा कि पिछले माननीय शिक्षा मंत्री भी स्वीकार करते थे तो उसके बाद कोई योजना भी तैयार करनी चाहिये। ७ करोड हमारी जनसंख्या है। अगर हम मोटे तौर पर यह मान लें कि ७ आदमी के पीछे एक शिशु हो तो भी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट]

एक करोड़ प्री-प्राथमरी ऐज के शिशु हमारे सामने हो सकते हैं। उनकी शिक्षा के लिए एक योजना बनानी पड़ेगी। इतनी बड़ी संख्या को शिक्षित करने के लिए मेरा सुझाव यह है कि हम प्राइवेट सहायता के लिए आह्वान करें। सहायता के लिए भी एक निश्चित योजना बनावें, एक निश्चित दिशा में कोई कॉमन पैटर्न इवाल्व करें। इन नरसरी संस्थाओं को ट्रेडिंग सेन्टर न बनावें, एक व्यवहारिक केन्द्र न बनावें। उसका एक राज्य सरकार की ओर से एक पैटर्न निर्धारित हो और उन संस्थाओं के लिए अनिवार्य हो कि राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त अध्यापक ही इसमें शिक्षा दें। तो इतनी दिशा देने से जनता के सहयोग से इस स्तर के शिशुओं की शिक्षा का हम प्राविधान कर सकते हैं। मैंने बजट में देखा कि एक नर्सरी शिक्षा ट्रेनिंग स्कूल और खुल रहा है और उसमें हम ३० प्रशिक्षित अध्यापिकाओं को तैयार कर सकेंगे, लेकिन इतनी बड़ी संख्या को प्रशिक्षण देने के लिये इससे काम नहीं चल सकता। उस दिशा में हम को सोचना पड़ेगा और प्राइवेट एजेंसीज का सहयोग, आस्था तथा विश्वास के साथ लेना पड़ेगा।

इसके बाद मैं बहुत संक्षेप में कुछ प्राइमरी एजूकेशन के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। प्राइमरी एजूकेशन में ६ से ११ तक की एज के बच्चे विशेष रूप से आते हैं और इस पर विचार करते समय कांस्टीट्यूशन की उस धारा का ध्यान रखें जिसमें हमने यह कमिटमेंट किया है कि इस दिशा में हम निःशुल्क शिक्षा देंगे। इसके लिये हमें इससे पूर्व ही प्राविधान करना आवश्यक था। कुछ पड़ौसी प्रदेश हमसे बहुत आगे बढ़ चुके हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना तक इस ऐज ग्रुप के बालकों को ६५ परसेंट और बालिकाओं को केवल ११ परसेंट शिक्षा दे पाये। इससे प्रत्यक्ष है कि अपने लक्ष्य से और कानूनी दायित्व से संविधान ने जो जिम्मेदारी हम पर डाली है उससे हम बहुत पीछे हैं और तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो हमारा टार्गेट है उसमें भी ८२ परसेन्ट तथा ४३ परसेंट बालक तथा बालिकाओं के लिये क्रमशः प्राइमरी शिक्षा देने की आकांक्षा हम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो हमारा नैतिक कर्तव्य है उसको ध्यान में रखते हुये हमें अपनी गति को तीव्र करना होगा। साधन सीमित हैं और निकट भविष्य में विस्तृत होते दिखाई नहीं देते तो मैं समझता हूं कि जब सब से अच्छी बात नहीं हो सकती तो सैकिंड बेस्ट जो होती है उसका सहयोग लेना पड़ता है। माननीय शिक्षा मंत्री कदाचित् इस पर विचार करेंगे कि गांव और शहरों में हम डबल शिफ्ट सिस्टम शुरू करें। उसका मतलब यह होगा कि बिना खर्च को दूना किये हुए शिक्षा को दूना करीब-करीब कर सकते हैं।

प्राइमरी शिक्षा के क्षेत्र में १४ हजार प्रशिक्षित अध्यपकों की कमी थी उनके ट्रेनिंग स्कूल्स को भी बहुत तेजी से हमको बढ़ाना होगा और इसके लिये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन्स हमारे प्रदेश में बहुत अच्छे स्तर पर चल रहे हैं उन पर हम जोर डाल सकते हैं।

सेकेन्डरी एजूकेशन में हमने एक ऐज ग्रुप तक शिक्षा निःशुल्क की थी और उसके लिये पहला कदम यह उठाया कि ६ठें दर्जे की फीस माफ कर दी, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि मजबूती से वहां रुक गये और निकट भविष्य में आगे बढ़ने की कोई संभावना नहीं दिखाई देती जिससे हम कानूनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं। मेरा सुझाव है कि आय के आधार पर आगे हम शिक्षा को निःशुल्क करें कि १०० रुपये से कम पाने वाले को १०वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा दी जायगी और साधन जुटने पर उसे आगे बढ़ाते जायेंगे और उस दिन की प्रतीक्षा करेंगे जब पूर्ण शिक्षा निःशुल्क कर सकने में हम समर्थ हो सकेंगे। आज छठे दर्जे तक पूरी शिक्षा माफ न करके ५०० रुपये से कम आमदनी वालों की माफ करते तो हम ६, ७ तथा ८ तीन दर्जों की फीस माफ कर सकते थे। गरीब लोगों को इससे फायदा पहुंच सकता था।

दूसरी बात यह है कि सेकन्डरी एजूकेशन का प्रसार कैसे हो? हमारे साधन बहुत ही सीमित हैं। मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स और म्युनिसिपल बोर्ड्स के ऊपर सैकेन्डरी एजूकेशन का दायित्व डाला जाय। अभी तक जो उसकी ड्यूटीज हैं उनमें सेकेन्डरी एजूकेशन पर खर्च करना परमीसिबिल नहीं है। उनको विशेष

अनुमति दे दी जाय तो और बात है। अगर हम उनके द्वारा सैकेन्डरी एजुकेशन को सहायता पहुंचायें तो मान्यवर, हम इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। आज कल जो एडेड स्कूल हैं उनके खिलाफ भी अविश्वास का वातावरण दुर्भाग्य से पैदा हो गया है जिसका परिणाम यह हुआ है कि जो इनसे सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति थे वे भविष्य में इस दिशा में आगे बढ़ने के लिये संकोच करते हैं। मैं मानता हूं कि ऐसे स्कूल हैं जिनका स्तर चिंताजनक है, लेकिन हम उनका वर्गीकरण कर लें। जो राजकीय स्कूलों के साक्षात आ सकते हों उनको ही लें। उनको नापने के लिये हमारे पास एक माप होना चाहिये और बाकी के लिये दूसरा होना चाहिये।

श्रीमन्, समय बहुत कम है इसलिये हायर सेकेन्डरी एजूकेशन के बारे में केवल एक ही बात कहूंगा कि हमारे देश में माननीय श्रीप्रकाश जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जिसमें नैतिक शिक्षा देने के ऊपर विचार हुआ था। उसको आधार मान कर इंटरमीडियेट तक किसी न किसी अंश में पूरा करने का प्रयत्न किया है, लेकिन डिग्री कालेज में उसका कार्यान्वयन होना बाकी है। मैं समझता हूं कि अगर इसकी रिपोर्ट को मान सकें तो यूनिवर्सिटीज में अनुशासन के बढ़ने में मदद हो सकेगी और नैतिक शिक्षा के प्रसार करने में भी सहायक होगी।

आखिरी बात यह है कि आगरा यूनिवर्सिटी बहुत अनवील्डी यूनिवर्सिटी हो गई है। मैं समझता हूं कि इसके बजाय कोई रीजनल यूनिवर्सिटीज बनाई जायं तो अच्छा है। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के लिये दोनों सदनों में मांग की जा चुकी है। यहां पर यूनिवर्सिटी का होना अत्यन्त आवश्यक है। वहां के लोगों की मांग के प्रति बहुत दिनों तक उदासीन रहना ठीक नहीं होगा। मेरठ और कई अन्य जगहों पर यूनिवर्सिटी की मांग की जा रही है।

अन्त में मैं मान्यता कमेटी और इंटरमीडियेट बोर्ड के बारे में कहना चाहता हूं। इस समय वहां तरीका यह है कि सारी प्रार्थनायें रीजनल लेविल पर स्क्रीन होकर डिप्टी डायरेक्टर के माध्यम से आती हैं तो हर इंस्टीट्यूशन अपनी पूरी बात बता सकता है कि उसका केस कांफ्रीमेटिव है। इसके बाद मान्यता कमेटी के फाइनल स्क्रीनिंग होकर निश्चय हो जाता है कि उनके सुझाव के प्रकाश में वह असुविधाएं कम हों लेकिन वह असुविधायें कम हो सकती हैं अगर उनके सम्बन्ध में जो इन्स्ट्रक्शंस और नियम बताये गये हैं उनका पालन किया जा सके, तब समय से प्रार्थनापत्र आ सकते हैं और समय से प्रगति आ सकती है। फिर नियम तो यह भी है कि अगर लेट हो जाता है कोई इस्टीट्यूशन तो कुछ विलम्ब से बाद को वह अपनी प्रगति दे सकता है। मान्यवर, इन शब्दों के साथ में इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपने प्रदेश और देश में शिक्षा का क्या लक्ष्य होना चाहिये, क्या ध्येय होना चाहिये मैं समझता हूं कि शिक्षा विशारद अभी इसको निश्चय नहीं कर पाये हैं और इसीलिए समाजवादी समाज की रचना करने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उस लक्ष्य की पूर्ति में काफी रुकावटें हैं और रुकावटें ही नहीं हैं, बल्कि उनके पूरे होने में सम्भिग्धता है। श्रीमन्, नर्सरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाईस्कूल, हायर सेकेन्डरी स्कूल और विश्वविद्यालय ये वह स्तम्भ हैं जिनमें नर्सरी स्कूल के प्रति जो सरकार का दृष्टिकोण है वह हास्यास्पद है। जहां अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य देशों में डेढ़ वर्ष, दो वर्ष और ढाई वर्ष के लड़कों को शिक्षा देने की पद्धति है, अपने प्रदेश में वह नगण्य सी है। प्राइमरी स्कूलों में तो श्रीमन्, हालत यह है जैसा कि माननीय शिक्षा मन्त्री ने बताया कि हम हर वर्ष इतने प्राइमरी स्कूल खोलते हैं और अप्रशिक्षित अध्यापकों को नियुक्त करते हैं और प्रशिक्षण की सुविधा अध्यापकों को प्रदान करते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि प्राइमरी स्कूलों की दशा बड़ी ही दयनीय है। श्रीमन्, जहां पुराने स्कूल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के हैं उनकी दशा चिन्तनीय है। उनकी ७५ फीसदी इमारतें बराशायी हैं। लड़कों और मास्टरों के बैठने तक की जगह नहीं है, कोई सफाई नहीं है, कोई नक्शा नहीं है, कोई चीज नहीं है जिससे कि प्राइमरी स्कूल के अध्यापक अच्छी

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

तरह से विद्यार्थियों को पढ़ा सकें। जो नये स्कूल खोल रहे हैं उनके लिये प्राविधान करते हैं कि उनकी इमारत बनायी जाय। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस बजट में मैंने देखा कि कहीं भी ऐसा प्राविधान नहीं किया गया है कि जो पुराने प्राइमरी स्कूल हैं उनका भवन, उनकी साज सज्जा आदि को व्यवस्थित और ठीक करने के लिये कोई रुपया रखा गया हो। जहां इन स्कूलों की हालत दयनीय है, वहीं अध्यापकों की हालत भी अन्य प्रदेशों के मुकाबिले में बड़ी दयनीय है। प्राइमरी स्कूलों का अध्यापक हर वर्ष मांग करता है कि और प्रदेशों के मुकाबिले में हमारा वेतन भी बढ़ाया जाय, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती।

मैं थोड़ा सा उदाहरण दे दूं। मद्रास में मिडिल पास अन्ट्रेन्ड अध्यापक की तनख्वाह १४० रुपये है और मिडिल पास ट्रेन्ड की तनख्वाह १७० रुपये है। आसाम में अनट्रेन्ड की ११२ और ट्रेन्ड की १२५ है। गुजरात में उसकी तनख्वाह १४० है और मध्य प्रदेश में १४० है अनट्रेन्ड की तथा ट्रेन्ड की १७० है। लेकिन अपने प्रदेश में ट्रेन्ड अध्यापक की तनख्वाह ६९ रुपये है कुल, मंहगाई वगैरह को लेकर। तो मानी हुई बात है कि प्राइमरी स्कूल का अध्यापक जो हमारी शिक्षा का रीढ है उसका कार्य अगर ठीक न हुआ तो सारी शिक्षा चकनाचूर हो जाती है। उनके वेतन की तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। बजट में मैंने देखा कि प्राइमरी स्कूलों की अध्यापिकाओं की आवास व्यवस्था के लिये ढाई हजार रूपया कुछ चुने हुये स्कूलों को दिया जाता है, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि इसको देखने से कि सरकार की ओर से इसके बारे में कि कितनी कन्या पाठशालाओं में वह आवास की व्यवस्था कितने सालों में पूरी होगी इसके लिये कोई योजना नहीं है। जो योजना है उसके मुताबिक तो लगता है कि कई सौ वर्ष इसमें लगेंगे तब अध्यापिकाओं के निवास की व्यवस्था हो पायेगी।

दूसरी बात प्राइमरी स्कूलों में दर्जा तीन से पांच तक अंग्रेजी पढ़ने की फीस सरकार लेती है। मैं समझता हूं कि बहुत से स्थानों पर अध्यापकों और विद्यार्थियों ने इसमें असहयोग किया है। बहुत से लड़के जो होनहार हैं और पढ़ सकते हैं वह पैसे के अभाव में अंग्रेजी पढ़ना बन्द कर देते हैं और सरकार का जो उद्देश्य है कि निःशुल्क प्राइमरी शिक्षा वह करेगी, उसके यह विपरीत है, उसका उल्लंघन हो रहा है और प्राइमरी स्कूलों में जो अंग्रेजी पढ़ना चाहता है उससे सरकार को फीस नहीं लेनी चाहिए और इसको बन्द कर देना चाहिए।

श्रीमन्, आप यह भी देखेंगे कि जूनियर हाई स्कूल खोलने और हायर सेकेन्डरी स्कूल खोलने की सरकार की कोई निश्चित योजना नहीं है। जहां पर डिस्ट्रक्ट बोर्ड के जूनियर हाई स्कूल हैं वहां कोई गैर सरकारी हायर सेकेन्डरी स्कूल भी होता है। हमने देखा है वहां राजकीय जूनियर हाई स्कूल भी खोला जा रहा है। हमारे यहां मुहम्मदाबाद में इन्टर मीडियेट कालेज है और वहां पर डिस्ट्रक्ट बोर्ड का पुराना जूनियर हाई स्कूल भी है। वहां पर सरकार की ओर से राजकीय जूनियर हाई स्कूल भी खोला जाने वाला है। मैं नहीं समझता हूं कि इसमें सरकार का क्या दृष्टिकोण है। जो क्षेत्र पीछे हैं उनको ऊंचे उठाने के लिये वहां सब को शिक्षा सुलभ हो सके वहीं सरकार को स्कूल खोलना चाहिये। जो क्षेत्र अच्छे हैं और जहां हर प्रकार की सुविधा है वहां पर सरकार की ओर से स्कूल खोलना कोई अच्छी योजना नहीं कही जा सकती।

दूसरी बात यह है कि सरकार ने लड़कियों के लिये जो आठवें में देहाती क्षेत्र में पढ़ती हैं उनके लिये निःशुल्क शिक्षा की है। आठवें तक निःशुल्क शिक्षा बहुत कम है। लड़कियों के लिये कम से कम १० वें तक शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए..... (लाल बत्ती होने पर) मुझे बोलते हुये कितना समय हुआ है...

श्री उपाध्यक्ष—

आपको बोलते हुये ८ मिनट हो गये हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय––

मुझे बोलते हुये अभी ८ मिनट नहीं हुये हैं। कुछ समय और दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष––

आपको २ मिनट का समय और दिया जा सकता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय––

अगर आप इतना कम समय देंगे तो मैं बैठ जाता हूं और अधिक बोलना नहीं चाहता।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)––

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने शिक्षा का जो अनुदान सदन में पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये यहां खड़ी हूं। यों तो कोई नई बात माननीय मन्त्री जी ने अपने बजट भाषण में नहीं कही। कुछ थोड़ी सी ऐसी योजनायें जिनको हम शिक्षा विभाग का रुटिन वर्क कह सकते हैं उसकी ओर माननीय मन्त्री जी ने संकेत मात्र किया। अपने बजट भाषण में माननीय मन्त्री जी ने शिक्षा समस्या को तीन हिस्सों में बांट कर प्राइमरी शिक्षा, सेकेन्डरी एजूकेशन और यूनिवर्सिटी एजूकेशन की बात कही। मैं यह समझती हूं कि जहां प्राइमरी शिक्षा के महत्व को हम समझते हैं और हम इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश काफी पीछे है। प्रायः हिन्दुस्तान के हर प्रदेश से पीछे है वहां पर इस बात को मानना चाहिये कि जो कदम उठाये गये हैं उसका पूरा निदान नहीं है। प्राइमरी शिक्षा संस्थाओं में जो अध्यापक कार्य करते हैं उनके लिये हमारे यहां तीन प्रकार की ट्रेनिंग प्रचलित है जो एच० टी० सी०, जे० टी० सी० और जे० बी० टी० सी० के नाम से है। उन शिक्षा संस्थाओं में पहले दर्जे से लेकर आठवें तक शिक्षा दी जाती है। यह जो तीन प्रकार की ट्रेनिंग है इनको अलग-अलग न रख कर एक कर दिया जाय। जिस प्रकार से बी० ए० के बाद एल० टी० की ट्रेनिंग का प्राविधान है। उसी तरह से प्राइमरी शिक्षा और जूनियर हाई स्कूल के क्षेत्र में शिक्षक की जो योग्यता है वह एक हाई स्कूल और इन्टर तक मांगते हैं तो उसके बाद जो ट्रेनिंग दी जाती है वह ३ प्रकार की ट्रेनिंग न देकर, जब मिली जुली है, उसको एक करके एक ही तरह की दी जाय। इससे एकोनामी भी होगी और साथ-साथ शक्ति का दुरुपयोग भी न होगा। इस तरह हम शिक्षा का अधिक विस्तार कर सकेंगे और हम इतने ही पैसे में ज्यादा आदमियों को ट्रेनिंग दे पायेंगे।

इसके साथ ही माननीय मंत्री जी को कम से कम प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों के पे स्केल में परिवर्तन की घोषणा करनी चाहिये थी। हाई स्कूल के बाद वे दो साल का प्रशिक्षण पाते हैं और फिर उनका ग्रेड ५० रुपये से होता है जबकि उसी स्कूल के लिपिक का वेतन क्रम ६० रुपये से शुरू होता है। जो मास्टर उस लिपिक से कार्य लेता है उसका वेतन उस लिपिक से कम हो, यह उचित नहीं लगता। मेरा सुझाव है कि हमारे पास सीमित साधन होते हुए भी उन का पे स्केल रिवाइज करना उत्तम होगा। अन्य प्रदेशों में उनका वेतन क्रम अधिक है। पंजाब में ६० से १२०, और मंहगाई ५० रुपये, राजस्थान में ७० से १७० रुपये, महंगाई ४० रुपये और मध्य प्रदेश में ६० से १७० जबकि मंहगाई १० रुपये है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चों का वह समय बड़ा नाजुक होता है और जो व्यक्ति उनको शिक्षा देते हैं उनके व्यक्तित्व का असर बच्चों के जीवन पर पड़ता है। यदि हम उनका शिक्षा स्तर अच्छा बनाना चाहते हैं तो कम से कम अध्यापकों को सम्मान का न सही, संतोष का जीवन बिताने लायक वेतन तो हमको देना ही चाहिये ताकि वे अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि बालिकायें शिक्षा में बालकों से पीछे हैं। इसके लिये आंकड़े भी प्रस्तुत किये गये। मेरा सुझाव है कि जूनियर हाई स्कूल के स्टेज पर अध्या-

[डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी]

पिकाओं को आवास का विशेष प्रबंध किया जाय। देहात के लिये अध्यापिकायें न मिलने का एक मुख्य कारण यही है। हमारे शिक्षा बजट में इसका उचित प्रबन्ध होना चाहिये। जो स्कूल मातायें बनायी गयी हैं उससे समस्या का हल नहीं हो सकता। हमारी बालिकाओं की शिक्षा बढ़ाने के लिये, जैसा अभी हाल ही में मद्रास और आन्ध्र आदि में किया गया है कि हाई स्कूल तक की शिक्षा उनके लिये निःशुल्क कर दी गयी है, वैसा ही यहां उत्तर प्रदेश में भी हो जाना चाहिये। कोई न कोई बोल्ड स्टेप हमें उठाना ही पड़ेगा जिससे हम इस दिशा में प्रगति कर सकें क्योंकि जिस तरह से हम अभी चल रहे है उसमें हम थर्ड फाइव इयर प्लान का जो शिक्षा का लक्ष्य है वह भी पूरा नहीं कर सकेंगे और बरसों लग जायंगे जबकि हम यह रोना रोते रहेंगे कि हम शिक्षा में बहुत पीछे हैं। जब हम स्थिति की गम्भीरता को समझते हैं तो उसको ठीक करने के लिए वैसा ही कदम उठाने की आवश्यकता है। माननीय शिक्षा मंत्री ने जोर दिया कि सेकेंडरी स्कूल्स में साइंस अध्यापकों की कमी है और उसके लिए वह कंडेन्स कोर्स की व्यवस्था करने जा रहे हैं। यह कोर्स बी० एस० सी० (आनर्स) के स्टेन्डर्ड का होगा। जो एम० एस-सी० प्रीवियस पास अध्यापक हायर सेकेंडरी इंटरमीजिएट कालिजों में पढ़ा रहे हैं जिनकी योग्यता बी० ए० आनर्स के बराबर है और जो वर्षों से उन शिक्षा संस्थाओं में पढ़ा रहे हैं उनको भी यह मान्यता प्रदान कर दी जाय जिससे यह अध्यापकों की कमी दूर हो जाय। मैं आशा करती हूं कि इस सुझाव पर अविलम्ब विचार किया जायगा।

आज शिक्षा के बजट पर विचार हो रहा है तो मैं आडिट रिपोर्ट १९६३--६४ के पृष्ठों की ओर ध्यान दिलाना चाहती हूं जिनमें शिक्षा की अनुदान से संबंधित टिप्पणियां की हुई हैं...।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हो रहा है।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी--

मैं यह कहना चाहती हूं कि जो नान-रेकरिंग ग्रांट्स जूनियर हाई स्कूल के कापट के लिए दी गयी थीं उनका उचित उपयोग नहीं किया जा सका। पृष्ठ २०५ पर लिखा है कि ५.८० लाख का सेंक्शन किया गया था जिसमें से ४.९ लाख अनयूटिलाइज्ड रहा। तो इतनी महत्वपूर्ण योजना के लिए इतनी बड़ी रकम अनयूटिलाइज्ड रह गयी शिक्षा विभाग के द्वारा यह इस बात का द्योतक है कि शिक्षा विभाग किस तरह से कार्य करता है।

अन्त में मैं थ्री लैंग्वेज फारमूला के संबंध में इतना ही कहना चाहती हूं कि हमारे प्रदेश में एक हिन्दी, एक अंग्रेजी और एक साउथ की भी कोई भाषा रहनी चाहिये जबकि हम नैशनल इंटिग्रेशन की बात कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका समय समाप्त।

श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर)--

उपाध्यक्ष महोदय, हमें शिक्षा के प्रति अपना दृष्टिकोण पूर्ण रूप से बदलने की आवश्यकता है। वास्तव में जो वर्तमान शिक्षा है वह शिक्षात्मक न होकर केवल सूचनात्मक है और जब तक यह दोष दूर नहीं होगा, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य हम प्राप्त नहीं कर सकेंगे। किसी भी योजना की प्रगति को बहुधा हम इस बात से मापते हैं कि हमने उस पर कितना रुपया व्यय किया, किन्तु हमें देखना यह चाहिये कि किसी भी योजना का लक्ष्य हमने क्या रखा था और उसमें हमें कहां तक प्राप्ति हुई। उस लक्ष्य को प्राप्त करने में हम कहां तक सफल हुये। यह सही

है कि आज की विकासमान स्थिति में, देश की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप हम शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। एक तरफ शिक्षित लोगों की बेकारी है, दूसरी तरफ प्रशिक्षित व्यक्ति नहीं मिल रहे हैं। सरकारी रिपोर्टों से यह पता चलता है कि हमारी अमुक योजना इसलिये सफल नहीं हुई उसके लिये क्योंकि हमें प्रशिक्षित व्यक्ति नहीं मिल पाये। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि इसका क्या कारण है कि एक तरफ शिक्षिक व्यक्ति बेकार पड़े हैं और दूसरी ओर प्रशिक्षित व्यक्ति नहीं मिलते ? आज यह बहुत आवश्यक है कि जिस योजना के लिये जिस प्रकार के प्रशिक्षित व्यक्तियों की हमें आवश्यकता है वह शिक्षा हमारे यहां दी जाय।

श्रीमन्, जिस प्रकार विकास कार्यों को पूरा करने के लिये प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता है, उसी प्रकार आज शिक्षा के दृष्टिकोण को भी बदलने की आवश्यकता है। हमारी शिक्षा का दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिये जिससे कि हम मानव गुणों का सद्विकास कर सकें, अगर हम अपनी शिक्षा के दृष्टिकोण को नहीं बदलते, तो हमारी योजनायें सफल नहीं हो सकतीं। अगर हम चाहते हैं कि हम ऐसा समाज बनायें जिसमें समता हो, समानता हो, शोषण न हो, तो हमको उसी के अनुरूप शिक्षा देना होगा और व्यक्तियों के विचारों को उसी के अनुरूप बदलना होगा। उनके विचारों को बदलने का एक मात्र उपाय शिक्षा ही है। जिन लोगों के हाथों में योजनाओं का भार दे रखा है, अगर वे पुराने दकियानूसी खयालात के हैं तो वे शिक्षा के साथ खिलवाड़ करेंगे, उनसे इस क्षेत्र में उन्नति सम्भव नहीं है।

इसके अलावा 'मान्यवर' आज यह भी आवश्यक है कि प्राइमरी शिक्षा से लेकर ऊपर तक यूनिवर्सिटी शिक्षा तक हम शिक्षा का उद्देश्य स्थापित करें। हमारी शिक्षा का कोई आधार होना चाहिये। महात्मा गांधी बेसिक शिक्षा पर बहुत जोर दिया करते थे। आज हमने इस शिक्षा को उन हाथों में दे दिया है जिन्होंने उसको खिलवाड़ बना दिया है। प्राइमरी शिक्षा का उद्देश्य मन, आंख और हाथ की दक्षता प्राप्त होना चाहिये।

प्राइमरी शिक्षा के अध्यापकों का वेतन एक चपरासी के वेतन से भी कम है। जिस स्तर के लोग आज उस शिक्षा को देते हैं, उनसे उससे अच्छी शिक्षा देने की आशा नहीं की जा सकती। इस लिये आज आवश्यकता है कि हम प्राइमरी शिक्षा पर जो शिक्षा की बुनियाद है, अधिक बल दें। प्राइमरी शिक्षकों को सम्मानपूर्ण जीवन बिताने के लिये कम से कम १०० रुपया मासिक वेतन मिलना चाहिये।

इसके अतिरिक्त पूर्व माध्यमिक शिक्षा में साइंस को कम्पलसरी बना देना चाहिये। अगर हम विचारों में प्रगति चाहते हैं, आज के विचारों से लाभ उठाना चाहते हैं तो आवश्यक है कि हम प्रत्येक व्यक्ति को विज्ञान की शिक्षा दें और इस स्टेज पर विज्ञान को टेक्नीकल न बनायें। ह्यूमेनिटीज को हमें डिवाइड नहीं करना है उसको एक विषय की भांति रखना है, जो भी इस प्रकार का ज्ञान है उसको हमें एक स्थान पर संकलित करना है लेकिन अब हम उत्तर माध्यमिक में जायं तो विज्ञान की शिक्षा को टेक्नीकल बना देना चाहिये जिससे बच्चा किसी प्रोफेशन में जाने की तैयारी कर सके।

जहां तक यूनिवर्सिटी की शिक्षा का संबंध है, आज कल हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटीज मशरूमग्रोथ हो रही हैं और इससे बेकारी और बेरोजगारी की स्थिति पैदा हो रही है। यूनिवर्सिटी शिक्षा का उद्देश्य तो यह होना चाहिये कि जो व्यक्ति विद्वान बनना चाहते हों, अनुसंधान कार्य करना चाहते हों, उन्हीं को यूनिवर्सिटी में स्थान दिया जाय। शिक्षा का उद्देश्य है सुशिक्षित, सुसंस्कृत और कल्चर्ड बनाना और उससे माइंड में फ्लेक्सीबिलटी उत्पन्न करना। यूनिवर्सिटी शिक्षा के बारे में हमें फिर से विचार इस दृष्टिकोण से करना है।

एक बात और कहना चाहता हूं वह यह कि शिक्षा का स्तर तब तक नहीं उठ सकता जब तक कि हम शिक्षकों को सम्मान न देते। आज भी हम अपने विचारों में कोई तब्दीली नहीं

[श्री बसन्तसिंह]

ला पाये हैं। हमारी मेंटेलिटी अभी वही बनी हुई है जो अंग्रेजों के जमाने में थी। कितने ही प्रयत्नों के बावजूद भी हम उसका रिओरियेन्टेशन नहीं कर पा रहे हैं। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति यह अनुभव कर रहा है कि उसमें परिवर्तन होने की आवश्यकता है। अंग्रेज ने क्लर्क पैदा करने के लिये इस प्रकार की शिक्षा को बनाया था लेकिन आज हम इस शिक्षा के द्वारा अच्छे क्लर्क भी पैदा नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिये मैं कहता हूं कि शिक्षकों का सम्मानपूर्ण जीवन होना चाहिये। हमारे यहां गवर्नमेंट और प्राइवेट हायर सेकेन्डरी स्कूल के वेतन-क्रमों में अंतर है। समान काम के लिये समान वेतन होना चाहिये। दोनों के एक ग्रेड होने चाहिये। आज राष्ट्रीयकरण की मांग हर ओर से सुनी जा रही है लेकिन अगर यह मांग और बढ़ी तो इससे जनतंत्र टिक नहीं सकता। जब आर्थिक और राजनैतिक शक्ति एक हाथ में केन्द्रित होने लगती है तो वह जनतंत्र की जड़ों को हिला डालती है जब चाहे वह हाथ सरकारी हो या प्राइवेट। वह जनतंत्र के लिये भयावह स्थिति का द्योतक है।

श्री केशभान (जिला गोरखपुर)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के संबंध में कुछ भ्रम है आज मैं उस भ्रम को दूर करने का प्रयास करूंगा। शिक्षा का लक्ष्य बताया जाता है योग्य नागरिकों को पैदा करना, बस आज यही भूत हो जाता है। क्या अपनी शिक्षा संस्थाओं के द्वारा हम योग्य नागरिक पैदा कर सकने में सक्षम हैं, इस संबंध में मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। मनुष्य तन, मन और आत्मा का एक सुन्दर समन्वय है। एक तन का भूख होती है, एक मन का भूख होती है और एक आत्मा की भूख होती है। इन भूखों को शान्त करने की क्षमता पैदा करना ही शिक्षा का उद्देश्य होता है। तन का भूख हम तब शान्त कर पाते हैं। जब हम अपने प्राणों की रक्षा कर पाते हैं और अपने वंश की रक्षा कर पाते हैं। वर्तमान में अपने शरीर की रक्षा करते हैं और भविष्य में अपने वंश की रक्षा करते हैं। हमें इस संसार में अपने और अपने बच्चों के लिये सारे काम करने पड़ते हैं और कुछ वस्तुयें पैदा करनी पड़ती हैं। इन वस्तुओं को पैदा करने के लिये हमारे नागरिकों में उत्पादक होने की क्षमता होना चाहिये। यह क्षमता कहां से आ सकती है। नागरिकों में दो प्रकार के ज्ञान हों, पहला ज्ञान तो यह है कि नये पदार्थों की जानकारी हो और दूसरा ज्ञान यह है कि मनुष्य-मनुष्य के बीच में परस्पर क्या सम्बन्ध है। जब मनुष्य को इन दोनों के सम्बन्ध में जानकारी होगी तभी वह सही ढंग का उत्पादक हो सकता है। पहले प्रकार के ज्ञान से हम वैज्ञानिक पैदा कर रहे हैं और वैज्ञानिकों के द्वारा हम परस्पर के सम्बन्ध को जान कर कुशल उत्पादक हो सकते हैं। मन की भूख को इस तरह से हम शान्त कर सकते हैं जब कि हम मनुष्य मनुष्य के बीच के संबंध को जान सकें कि परस्पर हमारा क्या सम्बन्ध है और उस सम्बन्ध को किस तरह से स्थापित किया जा सकता है। वर्तमान युग में इस प्रकार का एक तथ्य नये रूप में रखा गया है जिसका नाम लोकतंत्र या डेमोक्रेसी है। मनुष्य मनुष्य के बीच में अपने जीवन को व्यतीत करने का एक ढंग होता है और तभी वह अपने तन की भूख शान्त करता है। जब तन और मन की भूख शान्त हो जाती है तब आत्मा की भूख को शान्त करने की भी प्रबल इच्छा होती जाती है। जब हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं तब हमारे हृदय में स्वयं इच्छा पैदा होती है कि हम अपने आस-पास रहने वाले लोगों के भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करें। उनकी पूर्ति करने में हमें डेमोक्रेसी को अपनाना पड़ता है।

डेमोक्रेसी के शिक्षक-विज्ञान के शिक्षक या हमारी जो सरकारी संस्थायें हैं, चाहे सरकार द्वारा नियंत्रित जितने स्कूल, कालेज हैं चाहे यूनिवर्सिटी हैं, ये नहीं हो सकती हैं। ये विज्ञान का शिक्षा दे सकते हैं, वस्तुओं को पैदा करने की क्षमता कैसे आवे, इसकी शिक्षा दे सकते हैं लेकिन ये कैरेक्टर के निर्माण की, मनुष्य मनुष्य के बीच सम्बन्ध स्थापित करने की, डेमोक्रेसी के स्थापित करने की शिक्षा नहीं दे सकते हैं। इसकी शिक्षा तो वही दे सकते हैं जिनके कंधों पर डेमोक्रेसी का बोझ आ चुका है। जिनके हाथ में डेमोक्रेसी के संचालन का उत्तरदायित्व आ चुका है। इसके शिक्षक तो हम और आप हैं जो यहां पर बैठे हुए हैं। मैं आपको

बतला दूं कि जो शिक्षा हम यहां देते हैं वही शिक्षा डेमोक्रेसी को लाइफ होती है और वही यूनिवर्सिटीज में भी जाती है, गांव की पंचायतों में जाती है और दूसरी जगह भी जाती है। जो डेमोक्रेसी की वे आफ लाइफ है, हम आशा करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हर नागरिक के बीच में इस अंश तक चरित्र का निर्माण हो तो हमें इस सरकार के स्कूल कालेजों तथा सरकार द्वारा नियंत्रित इंस्टीट्यूशंस पर से अपनी आशा को हटाना होगा। क्योंकि जिन गुणों की आवश्यकता होती है उन गुणों के नाते उन लोगों की नियुक्ति वहां पर नहीं होती है। उनका मापदंड होता है कि क्या यह मेथमेटिक्स, साइन्स, भूगोल जानते हैं, क्या यह यह टेकनीशियन है और इसी नाते उन की नियुक्ति होती है और इसी नाते हम उनसे जबाव तलब कर सकते हैं कि क्या उन विद्यार्थियों के शिक्षक ने विद्यार्थियों में उन-उन विषयों की जानकारी पैदा की है, यह विषय और उन का ज्ञान वर्द्धन हो उन टीचर्स का एक आबजेक्टिव मेजर हो सकता है लेकिन जो छात्र पढ़ते है उनके भीतर उस के साथ साथ एक डेमोक्रेटिक या नान-डेमोक्रेटिक, सोशलिस्टिक या नान-सोशलिस्टिक वे आफ लाइफ का भी प्रभाव पड़ता है लेकिन इस पक्ष की जिम्मेदारी हमारे उन शिक्षकों पर नहीं है जो स्कूल कालेजों में पढ़ाते है उसका उत्तर दायित्व उन पर है जो समाज के गण्यमान्य, प्रतिष्ठित लोग है जिनका कि समाज आदर करता है और जो आज डेमोक्रेटिक लाइफ के पिलर्स है, उनके कंधों पर सारा बोझ है। हम और आप इस सारी जिम्मेदारी को समझें और अपने कर्त्तव्यों का पालन करें और हमें इस उत्तरदायित्व को न लेकर दूसरों की ओर उंगली उठाने की जरूरत नहीं है।

मेरा विश्वास है कि दूसरों की कमियां बताना और सब की निन्दा करना और किसी की प्रशंसा करना अवांछनीय बात हो सकती है, लेकिन झूठी प्रशंसा करना सच्ची निन्दा की अपेक्षा प्रेक्टिकल प्वाइंट आफ व्यू से कहीं उपयोगी हो सकता है। यदि हम किसी की निन्दा करते हैं तो जिस विषय की निन्दा करते हैं उसके प्रति हित होता है और जिसकी झूठी प्रशंसा करते है उसका अहित होता है। यदि हम इस स्थान पर बैठ कर अपने समाज की चरित्रहीनता की बात करते हैं और बराबर कहते हैं कि शिक्षा संस्था से निकल कर लोगों में चरित्र की कमी है तो इससे हम स चरित्रहीनता को और बढ़ावा ही देते है। हमें तो अपनी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य में विश्वास होना चाहिये जिससे हम आगे बढ़ सकें और अगर हमारा ऐसा विश्वास होगा तो निश्चय ही हमें तीसरे प्रकार की भूख के विषय में सफलता मिलेगी।

तीसरी भूख आत्मा की भूख है जैसा कि मैंने आरम्भ में कहा था, जब हम तन की भूख पूरी कर लेते है तब मन की भूख पैदा होती है और जब हम मन की और तन की दोनों की भूख पूरी कर लेते है तो आत्मा की भूख पैदा होती है, लेकिन जब मन की भूख पैदा होती है और उसको पूरा नहीं करते हैं और उस को तन की भूख में अनुवादित कर लेते है तभी सारी गड़बड़ होती है। जीवन में जिन लोगों ने सफलता प्राप्त की है उन्होंने अपने मन की भूख को पूरा कर लिया है लेकिन वह भूल जाते है कि आत्मा की भूख जो हमारे बीच में, हमारे समाज में असन्तोष फैला चुकी है और यह जो चरित्रहीनता, भ्रष्टाचार दिखाई देता है वह इसी लिये कि आज ५०-६० वर्ष की अवस्था होने पर भी हम उस आत्मा की भूख को हाथ में लिये है और जिसकी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है और तभी समाज से यह बुराईयां नहीं रहेगी। यही जो हमारे अन्दर की भूख है वह आत्मा की भूख को पैदा नहीं होने देती, लेकिन इसका उपाय क्या है? इसका उपाय मानव के हाथ में नहीं है। तन और मन की भूख को तो सब जानते है, लेकिन आत्मा की भूख को फील करने की क्षमता हर एक में नहीं होती। वह राष्ट्र की आत्मा में होती है, उसमें जब वह भूख प्रबल हो जाती है तो उसको जिन्दा रखने के लिये महा पुरुष अवतार लेते है। महात्मा गांधी पैदा हुये, उन्होंने हमारे राष्ट्र की आत्मा की भूख को पैदा नहीं किया बल्कि राष्ट्र के अन्दर एक स्वतंत्रता की भूख पहले सामने आई और राष्ट्र ने उस भूख को लेकर महात्मा गांधी को अपना सरदार बनाया। उन्होंने महसूस किया कि आज देश की आत्मा में वह शक्ति है वह भूख है जो स्वराज्य दिला सकती है। मेरा विश्वास है कि जब तक चारों ओर

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

उपाध्यक्ष महोदय, बजट के भाषण का और उनके इस उपदेश का क्या सम्बन्ध है ? यह क्या क्लास में व्याख्यान हो रहा है या कि यह जगद्गुरु शंकराचार्य का भाषण है ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें ।

श्री केशभान—

मैंने बताया निश्चय ही हमारे बीच में जो असंतोष या अंधकार है वह अंधकार नहीं है, वह हमारी जो आत्मा की भूख है उसको पूरा न करने के नाते इनर सफरिंग है । सरकार साधन सम्पन्न हो या न हो लेकिन हमारे बच्चों की जो भूख है उसको कोई रोक नहीं सकते, वह राष्ट्रीय भूख है । चाहे साधन सम्पन्न रहें या न रहें। जनता उसको पूरा करके रहेगी, जैसे हम देखते हैं माध्यमिक शिक्षायें सरकार के बल पर नहीं चलतीं, बल्कि जनता चलाती है । जनता की जो भूख है वह क्वालिटेटिव है जिसको पूरा करने के बाद शिक्षा के उद्देश्य में शिक्षा के गुणात्मक विकास की ओर भी हमारी आत्मा ही उन्मुख होगी और हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। इसलिये सरकार द्वारा नियंत्रित शिक्षा संस्थाओं से वही चीज सोचें जो आदेश देकर नियमों द्वारा धारा सकते हैं। उससे अधिक आशा रखना बंध्या पुत्र का स्वप्न देखना है ।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । चाहे अन्य अनुदानों के अवसर पर कटौती की मांग विभाग की आलोचना करने के सम्बन्ध में प्रतीक रूप में भले ही होती हों, पर आज के अनुदान की मांग के अवसर पर कटौती का प्रस्ताव सचमुच में कटौती के नायक है और इसके समर्थन में मुझे अपने दिल दिमाग को भुलावा नहीं देना पड़ेगा । संयोग की बात है कि मूल प्रस्तावक ने प्रस्ताव रखा है कि सारी धनराशि घटा कर १ रु० कर दी जाय और उसके साथ २८ अन्य प्रस्तावों ने भी १ रु० करने का प्रस्ताव किया है और ठीक प्रस्ताव किया है । मैं शिक्षा विभाग के सम्बन्ध में अनुदानों की मांग की धांधली की जो राम कहानी कहने जा रहा हूं उसको सुनने के बाद जो आज देखने में मालूम पड़ रहा है कि सारी धनराशि घटाकर १ रु० कर देना मजाक-सा लगता है, वह सच मालूम पड़ेगा और माननीय सदस्य अनुभव करेंगे कि वाकई में ऐसे विवेकहीन अधिकारियों के समक्ष इतनी बड़ी धनराशि नहीं रखनी चाहिये । १ रु० काफी है जिससे शिक्षा के कार्यालयों में दिया बत्ती हो सके । १९६३–६४ के अनुदान में प्रारम्भिक विद्यालयों, विशेष विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों, व्यावसायिक महाविद्यालयों और कला महाविद्यालयों में जितने अशासकीय विद्यालय हैं उनके लिये ४ करोड़ ५० लाख ६८ हजार रु० के विभिन्न अनुदान निर्धारित किये गये थे और सामान्यतः शिक्षा विभाग के मंत्री के स्वविवेक पर वितरित होने को था । श्रीमन्, इसके अतिरिक्त जो छोटे बड़े विद्यालयों में छात्रों और छात्राओं को छात्रवृत्ति और पुस्तक सहायता आदि के लिये ३१,५३,७०० रुपया दिया जाने को था । यह भी हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी के स्वविवेक पर वितरित होने को था । इस प्रकार मंत्री जी के स्वविवेक पर लगभग ४,८२ लाख वितरित होने को था । इतनी बड़ी धनराशि किस प्रकार से वितरित हुई होगी उसका अन्दाजा लगाने के लिये मैं माननीय सदस्यों के समक्ष शिक्षा मंत्री द्वारा अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के अनुदानों को वितरित करने की ही बात रखना चाहता हूं कि किस आधार पर स्कूलों और डिग्री कालेजों को विभिन्न अनुदान और इसके साथ-साथ छात्रों और छात्राओं को छात्रवृत्ति देने की ओर धांधली, स्थानीय और व्यक्तिगत प्रेशर हुआ होगा, इसका अन्दाजा आप स्वयं भी कर सकते हैं ।

माननीय, यहां जिन अनुदानों की चर्चा मैं करने जा रहा हूं । हमारे बजट साहित्य में यह अनुदान संकेत संख्या ६१,२०३,२०९,२१०,२१७,२१८, २२१ और २२२ के सम्बन्ध में है ।

उन पर दिसम्बर, १९६३ में अनुपूरक मांग में भी १०,१०० रु० लिया गया था । कुल २३,७८,-८०० रु० की धनराशि अनेक संस्थाओं में वितरित होने को थी और विद्यालयों में विज्ञान अध्ययन के लिए, छात्रों की अतिरिक्त संख्या हो जाय तो उनके लिये फरनीचर की व्यवस्था करने के लिये, भवन निर्माण, पुस्तकों की खरीद और, प्ले-ग्राउन्ड सुधारने के लिये, सह शिक्षा के लिये, बालिकाओं की विशेष सुविधा के लिये, गृह निर्माण के लिये इन विभिन्न मदों मे २३,७८,८०० रु० की मांग थी। अब इस धनराशि का वितरण कैसे हुआ ? इसको सदन के सामने मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। समय थोड़ा है। एक एक अनुदान को लेकर, एक एक तिथि के निर्णय को लेकर आप देखें कि किसी भूखंड विशेष, किसी मंडल और जिला विशेष के साथ कैसा पक्षपात हुआ है और कुछेक मंडलों और जिलों की बराबर उपेक्षा हुई है। मेरठ मंडल ऐसा है जिसको बराबर चौथाई के लगभग मिलता रहा है। मेरे पास समय नहीं है कि मैं विवरण में जाऊं। हमारे भूतपूर्व शिक्षा मंत्री के समय में २ सितम्बर, १९६३ को विज्ञान अध्ययन के विकास और सह शिक्षा संस्थाओं में छात्राओं की सुविधा के लिए २३ अनुदान में ८६,००० रु० दिया गया जिसमें उन्होंने आगरा मंडल को ४० हजार और शेष ४६ हजार उन्होंने बाकी ७ मंडलों को बांटा। उसके बाद फिर मंत्री मंडल बदला और नये शिक्षा मंत्री के आने से मेरठ का भाग्य जागा। २३ अक्तूबर और १३ नवम्बर को ७० अनुदान दिये गये, विज्ञान के अध्ययन के विकास, भवन निर्माण तथा क्रीड़ा क्षेत्र की व्यवस्था के लिए उसमें ४,४५,५०० रु० दिये गये जिसमें मेरठ मंडल को चौथाई से अधिक १,११,५०० रु० दिया गया। उसके बाद श्रीमन्, २० व २५ फरवरी को फिर निर्णय हुआ। क्रीड़ा क्षेत्र की व्यवस्था और सहशिक्षा संस्थाओं में बालिकाओं की सुविधा के लिए ३९ अनुदान दिये गये १ लाख ७७ हजार के। इसमें इलाहाबाद मंडल को ३७ हजार मिला, लखनऊ मंडल को ३३ हजार और मेरठ मंडल को ३१ हजार मिला, यहां मेरठ मंडल नई और पुरानी राजधानियों के मंडल से कुछ पिछड़ा है।

अन्य मंडलों की चर्चा करने का वक्त नहीं है। १३ और २६ फरवरी को फिर एक निर्णय लिया गया और उसमें विज्ञान के विकास तथा अध्ययन के लिये छात्रों की संख्या अधिक हो गई हो। तो कालेजों में सज्जा और फर्नीचर तथा पुस्तकालय सुधार तथा नये भवनों के निर्माण के लिये २९५ अनुदान दिये गये १३ लाख ५० हजार ८७५ रुपये के। उसमें मेरठ मंडल को कुल का एक चौथाई से अधिक रुपया दिया गया। उसके बाद लखनऊ, इलाहाबाद, गोरखपुर, आगरा, वाराणसी और बरेली का नम्बर है। इन चार तारीखो के अन्तर्गत विभिन्न मंडलों को जो टोटल अनुदान मिले हैं वे २०,५९,३७५ रुपये के हैं, शासकीय माध्यमिक विद्यालयों को उनकी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये। उसमें मेरठ मंडल को २६,३४४ रुपया अगर अधिक दे दिया गया होता तो आठों मंडलों को मिलने वाले रुपये का एक चौथाई हिस्सा हो गया होता। वाराणसी इसमें सबसे पिछड़ा हुआ है।

अब जिले के हिसाब से आप देखें तो इन चार तारीखों के अन्तर्गत मेरठ मंडल के मेरठ जिले को सबसे अधिक अनुदान ३३ अनुदानों में १,७५,५०० रुपये का मिला। मेरठ मंडल के मुजफ्फरनगर को १८ अनुदानों में १,०१,६२५ रुपये, सहारनपुर को १८ अनुदानों में ९३,८७५ रुपये, बुलन्दशहर को १९ अनुदानों में ९१,५०० रुपये मिले। कानपुर का भाग्य था कि वह मेरठ के बाद दूसरे नम्बर पर किसी तरह आ गया। अब आप उन जिलों की बात सुनिये जो १० हजार रुपये से कम पाये हैं। रामपुर को ५ अनुदानों में १० हजार मिला, झांसी को १ अनुदान में १० हजार और फैजाबाद को २ अनुदानों में ७,५०० रुपये मिले और बाराबंकी को २ अनुदानों में ३,७५० रुपये मिले। अगर मेरठ और बाराबंकी को हम लें तो मेरठ में बाराबंकी जिले से ४७ गुने में ७५० रुपये कम पाये। लखनऊ, बाराबंकी पास हैं लेकिन लखनऊ ने बाराबंकी से ५१ गुने में २५० रुपये कम पाये। पता नहीं कि इन जिलों का क्षेत्रफल भी बाराबंकी से ४७ गुना और ५१ गुना है क्या ?

[श्री रघुनाथ सिंह]

सहायता न पाने वाले मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की कोड संख्या ६१२८१ के अन्तर्गत १८ लाख ६६ हजार रुपये मिले और उसमें मेरठ को चौथाई से अधिक मिला जोकि बनारस का तिगुना था। केन्द्रीय सरकार ने पटेल आयोग की स्थापना की पूर्वी जिलों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये लेकिन इस आयोग के काम एक तरफ और इस प्रदेश के शिक्षा विभाग की धांधली दूसरी तरफ अगर सदन के सामने रखी जाय तो पूर्वी जिलों के साथ जो व्यवहार किया गया वह सब बराबर हो गया।

श्री कुंवरसिंह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से समय का विभाजन होना चाहिये जिससे सबको अवसर मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष—

मेरी समझ में नहीं आता है कि आप ४/५ बार बोल चुके हैं और जो एक भी दफा नहीं बोले हैं उनको मौका नहीं देना चाहते हैं।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न यह है कि यहां पर हर पार्टी के व्हिप मौजूद हैं और वे आपको लिखकर पर्चा देते हैं। या तो आप उन पर अमल नहीं करते या वे ठीक ढंग से नहीं देते हैं। इसी से फजीहत होती है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। यह तो मेरे ऊपर है कि मैं किस को बुलाऊं। सचेतक जो पर्चा देते हैं उस पर ध्यान रखा जाता है।

श्रीमती सियादुलारी (जिला बांदा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किये गये अनुदान का समर्थन करने के लिये मैं खड़ी हुई हूं। आज शिक्षा के बजट पर विचार हो रहा है। राष्ट्र के विकास के लिये शिक्षा एक मेरुदंड के समान है। जिस प्रकार कि किसी व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी कमजोर हो तो उसका सारा शरीर कुबड़ा हो जाता है, इसी प्रकार से यदि हमारे समाज में यदि शिक्षा कमजोर है तो हमारा समाज ठीक से विकसित नहीं हो सकता है।

आजकल इमर्जेन्सी का समय है। शिक्षा मंत्री जी ने बताया है कि प्रति व्यक्ति ३.७८ रुपया शिक्षा पर व्यय हो रहा है और हमारी शिक्षा आगे बढ़ रही है। वैसे तो मंत्री जी ने कहा है कि सामान्य शिक्षा के बजट से टेक्नीकल शिक्षा का सम्बन्ध नहीं है, फिर भी सामान्य शिक्षा में टैक्नीकल शिक्षा उसकी पृष्ठभूमि होती है। मैं सब से पहले अपने मंत्री जी का ध्यान प्राइमरी शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय की शिक्षा की ओर ले जाना चाहती हूं। इनके बीच में एक बहुत बड़ा अन्तर है। जो बीच में खाई है उसमें समन्वय लाने के लिये आवश्यकता है कि शिक्षाविदों का एक स्थायी कमीशन बनाया जाय जो सुझाव दे कि किस तरह से यह खाई पूरी की जा सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इंटरमीडियेट बोर्ड के बारे में कहना चाहती हूं। इसमें साढ़े चार लाख विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और इंतजाम की दृष्टि से तमाम पहलुओं को देखते हुये इस बात की आवश्यकता है कि इंटरमीडियट बोर्ड को जोन्स में बदल दिया जाय, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाय कि कहीं ऐसी स्थिति न हो जाय जैसे जूनियर हाई स्कूल की परीक्षाओं की हो गई है। अगर जोन्स न बन सकते हों तो ऐसी चीज जिला स्तर पर या कुछ जिलों को मिलाकर कर दें कि परीक्षा में अनुचित साधन प्रयोग सम्बन्धी तथा मान्यता सम्बन्धी बातें वहीं निश्चित हो जायं, क्योंकि जो स्कूल चलाने वाले हैं उनको बड़ी दिक्कत होती है। जिन स्कूलों में अनुचित साधन

प्रयोग के मामले होते हैं उनके तय होने में बहुत देर लग जाती है। इसलिये इसको भी जिला स्तर पर कर देना उचित होगा ।

मान्यवर, बेसिक एजूकेशन के बारे में पहले सरकार यह सोचे कि उसकी आस्था इसके प्रति है या नहीं ? जो बेसिक शिक्षा के लिये अनुदान दिया जाता है उसका उचित उपयोग नहीं होता और कंटिजेंसी में करोड़ों रुपया बर्बाद होता है। उसको देखें कि बेसिक एजूकेशन को चलाना है या नहीं ?

इस सम्बन्ध में भी मेरा निवेदन यह है कि इस पर पुनर्विचार होना चाहिये। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करना चाहती हूं कि पर्वतीय जिलों के स्तर पर बुन्देलखंड के लिये भी विचार होना चाहिये क्योंकि मुगल साम्राज्य से आजतक का इतिहास उठाकर देखा जाय तो पता चलेगा कि बुन्देलखंड हमेशा से कुचला गया है, हमेशा पिछड़ा रहा है, हमेशा बैकवर्ड रहा है। अंग्रेजों के जमाने में भी बुन्देलखंड हमेशा विद्रोह करता रहा और आजादी की लड़ाई लड़ता रहा । उसके कारण वह कभी प्रगति की तरफ नहीं बढ़ पाया। अंग्रेजों ने भी उसे पूरी तरह कुचलने की कोशिश की। जब अपनी सरकार आयी तो वहां के निवासी यह चाहते हैं कि कम से कम अपनी सरकार तो हमें आगे बढ़ने का मौका देगी क्योंकि किसी भी आदमी को इस बात के लिए नहीं रोका जा सकता कि उसकी प्रगति के दरवाजे बन्द कर दिये जायं। आज जो कमजोर है, जो अपने सहारे पर नहीं खड़ा हो सकता है वह सरकार का सहारा चाहता है और सरकार का कर्त्तव्य है कि उनके ऊपर विशेष रूप से कृपा करे। पर्वतीय जिलों में सरकार अपने खर्च से डिग्री कालेज चलाती है और साइंस की शिक्षा की सुविधा देती है। लेकिन बुन्देलखंड में बांदा जिले की हालत यह है कि वहां यू० पी० गवर्नमेन्ट का एक इंटरमीडियेट कालेज है जिसमें लेक्चरर आज तक नहीं पहुंचा, लाइब्रेरी के लिए कोई सामान नहीं है और भी किसी चीज का कोई इंतजाम नहीं है। लड़कियों की शिक्षा का भी यह हाल है कि केवल एक ही उनका इंटरमीडियेट कालेज है जिसमें भी साइंस की शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं है। उनको भी आज यह सुविधा दी जानी चाहिये ।

हमारा यह बजट समाजवाद का प्रतीक है। अभी मंहगाई के कारण सभी राजकीय कर्मचारियों को भत्ता मिला। तो क्या कारण है कि माध्यमिक शिक्षा के जो टीचर हैं उनको यह भत्ता नहीं मिला, जबकि समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत सरकार मान चुकी है और ५९ से यह लागू भी किया जा चुका है ? एक चीज और कहना चाहती हूं कि टीचर्स के लिए मेडिकल सुविधा की बात कई वर्षों से चल रही है, लेकिन आज तक माध्यमिक शिक्षकों को यह सुविधा नहीं मिली है। उनको यह सुविधा जरूर मिलनी चाहिये।

ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस की बात मैं कहना चाहती हूं। ट्रेन्ड अध्यापकों की कमी की बात को माननीय शिक्षा मंत्री जी मानते हैं। मेरा ऐसा खयाल है कि उसके लिये कुछ स्कूलों को बढ़ा कर और सचल शिक्षा का संचालन करके यह काम कुछ हद तक किया जा सकता है। मेरा एक यह भी सुझाव है कि एच० टी सी० और जे० टी सी० आदि के क्लासेज बजाय दो साल के एक साल कर दिये जायं तो ज्यादा अच्छा हो, क्योंकि इससे पहले भी वह एक साल के ही होते थे। सबसे बड़ी ट्रेनिंग बी० टी और एल० टी० की जो कहलाती है उसमें छुट्टी को काट दिया जाय तो वह ९ महीने की ही रह जाती है। दूसरी बात यह है कि एच० टी० सी और जे० टी० सी० के लिए अब जो लड़के लिये जाते हैं वह हाई स्कूल और इंटरमीडियट पास होते हैं। पहले तो वह मिडिल पास ही होते थे। तो अब वह ट्रेनिंग एक साल की हो सकती है और इस तरह से अगर आप कर दें तो यह कमी बहुत हद तक दूर हो सकती है।

अन्त में एक बात मुझे लड़कियों की शिक्षा के बारे में कहनी है कि प्राइमरी तक तो आप उनको लड़कों के साथ सम्बद्ध कर देते हैं। किसी तरह जूनियर हाई स्कूल तक की शिक्षा उनकी हो

[श्रीमती रियाबुलारी]

जाती है। लेकिन हाई स्कूल के लिए वह क्या करें? कोई प्रबंध नहीं है। इसलिए मेहरबानी करके कम से कम जिले में एक दो स्कूल ऐसे उनके लिये खोल दिये जायं जहां से वह हाई स्कूल पास कर सकें। देहातों में आज उनके लिए कोई प्रबंध नहीं है कि वह आगे पढ़ सकें।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आजादी के बाद हमारे देश की शिक्षा पद्धति और प्रणाली में एक आमूल परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की गई और सही बात थी कि जो शिक्षा पद्धति और प्रणाली हमें विरासत में मिली थी वह हमने अपने देश के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किये थे जिस व्यवस्था के ऊपर हमको चलना था जिस आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचों का आदर्श हमने अपने आगे रखा, उसके अनुकूल अंग्रेजी काल की शिक्षा पद्धति नहीं थी। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि १६ साल के बाद भी जो आवश्यक परिवर्तन शिक्षा की नीति में होना चाहिये था वह अब तक नहीं हुए और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, अभी तीन चार-दिन पहले हमारे केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने इसे स्वीकार किया है कि शिक्षा की मौजूदा प्रणाली और पद्धति में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। १६,१७ साल तक यह विभाग सोता रहा। इस विभाग के ऊपर जिसकी जिम्मेदारी है उसके अनुरूप यह कदम नहीं उठा सका मैं समझता हूं यह दुर्भाग्य की बात है। इसका अन्त जरूर होना चाहिये। आजादी के बाद शिक्षा के सम्बन्ध में जो हमको करना चाहिये था वह नहीं किया। निरक्षरता के सम्बन्ध में इस प्रदेश में हमने कुछ नहीं किया। आज भी इस देश के अन्दर ८८ फीसदी लोग निरक्षर हैं। जब हमने आजादी हासिल की, तब इसके लिये कोई लक्ष्य नहीं बनाया। निरक्षरता प्रजातंत्र का सबसे खतरनाक दुश्मन है। जब तक इस बात को दूर नहीं कर लेते हैं तो अपने देश में प्रजातंत्र मजबूत नहीं हो सकता है। जब तक जनता शिक्षित न हो तो वह इस बात का चयन नहीं कर सकती है कि कौन पार्टी चुनना है किस नीति को पसन्द करना है, और कैसे प्रजातंत्र मजबूत होता है। इसलिये जनता का पढ़ा-लिखा होना जरूरी है। हमारे देश में ३० करोड़ आदमी निरक्षर हैं और इस प्रदेश के अन्दर ६ करोड़ आदमी निरक्षर हैं। यह हमारे लिये शर्म की बात है। सरकार को जितना महत्व इस निरक्षरता को दूर करने के लिये देना चाहिये था वह उसने नहीं दिया। शिक्षा विभाग को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिये। पिछले १६,१७ साल में हमने उस नीति को नहीं अपनाया है जिस नीति का पालन करने के लिये हमने कहा था। लड़कों की संख्या बढ़ी और स्कूलों की संख्या भी बढ़ी, लेकिन इससे हमको संतोष नहीं कर लेना है। हमको अपने देश के अन्दर टेक्नीकल योग्यता के आदमियों को बढ़ाना है। अपने देश के अन्दर माईनिंग, एग्रीकल्चर, स्टील को बढ़ाना है और साइंस को बढ़ाना है। इसी दृष्टिकोण से हमारी शिक्षा की संस्थाओं का आधार होना चाहिये।

हम चाहते हैं कि टेक्नीकल और मैकेनीकल एजूकेशन ही हमारी शिक्षा का आधार बने जो इम्प्लायमेन्ट में जाकर लगे। आज क्या हालत है? आज जनरल शिक्षा बढ़ती चली जा रही है लड़कों की तादाद बढ़ती चली जा रही है और स्कूलों की संख्या भी बढ़ती चली जा रही है, लेकिन हमको टेक्नीकल ट्रेन्ड्स नहीं मिलते हैं। यह हमारी शिक्षा की सबसे बड़ी कमजोरी है। बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। लगभग २।। लाख लड़के हाई स्कूल में बैठ रहे हैं। पिछले ३ साल के अनुभव के आधार पर मालूम होता है कि ४४ फीसदी उसमें पास होते हैं और ५६ फीसदी फेल हो जाते हैं। इतनी बड़ी संख्या में लड़के हमारे यहां फेल होते हैं। जो प्रायः बेकार हो जाते हैं। इन बातों को हमें दूर करना चाहिये। यह हमारी शिक्षा संस्थाओं के लिये बड़ा भारी खतरा है। योग्य अध्यापक उनको नहीं मिलते हैं और ट्रेन्ड अध्यापक नहीं मिलते हैं। सज्जा की कमी है, लायब्रेरी उनकी अच्छी नहीं है। पाठ्यक्रम इस क्रम से बनाया जाता है कि हर २,३ साल के बाद उसकी दिशा बदल जाती है। शिक्षा विभाग के अन्दर जो इस प्रकार की दशा है इसको दूर होना चाहिये। शिक्षा सोची दिशा की ओर हमारे सूबे में चलना चाहिये।

श्रीमन्, यह भी निवेदन करूंगा कि हमारे यहां प्राइमरी शिक्षा का जो टारगेट रखा गया था उसको पूरा नहीं किया गया है। ५२ हजार ही प्राइमरी स्कूल खुले हैं जबकि ५७।। हजार हमको खोलना चाहिये था। ६ से ११ वर्ष तक के बच्चों को २२ फीसदी ही हम भेज पाये हैं जबकि उनको ६२ फीसदी भेजना था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो प्राइमरी स्कूल खोले गये हैं वह भी अलग अलग खोले गये हैं। लड़कियों के लिये अलग, लड़कों के लिये अलग। इससे बदतर हालत-हमारी और क्या हो सकती है कि हरिजनों के लिये हरिजन बस्ती में अलग स्कूल खोले गये हैं। वे भी अलग ही खुले हैं। यह भी दुर्भाग्य की बात है कि प्राइमरी शिक्षा संस्थाओं में से लड़के और लड़कियां एक साथ बैठकर नहीं पढ़ सकते। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसको बन्द होना चाहिये। जिस चीज को हम गलत समझते हैं उसको इम्प्लीमेंट करना सब से बड़ी कमजोरी है। इसको समाप्त होना चाहिये। आज प्रशिक्षित अध्यापकों की बहुत कमी है लेकिन दूसरी तरफ नार्मल स्कूलों में आपने उनके प्रशिक्षण का एक साल का कोर्स दो साल का कर दिया है। यह ठीक है कि आपने जो सहूलियत दी है कि तीन साल से अधिक पढ़ाने वाले अध्यापकों को कुछ ट्रेनिंग दे कर आप उन्हें ट्रेंड मान लेंगे, लेकिन यही व्यवस्था हरिजन अध्यापकों के लिये भी होनी चाहिये। यह भी सही बातें हैं कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन्स ने काफी सेवायें की है लेकिन आज उनका काम केवल व्यापार करना रह गया है। लड़कों की फीस ले कर वह बंगलिंग कर रहे हैं और उनमें बड़ा मिसमैनेजमेंट है। आपके अफसरों का सारा समय मैनेजमेंट और अध्यापकों के झगड़े समाप्त करने में ही जाता है, वे शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दे पाते और इसीलिये अध्यापक मांग करते हैं कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये। मैं उस मांग का समर्थन करता हूं कि इन संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण किया जाय।

मैं इसका एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक अध्यापक हैं ओम प्रकाश आर्य, महात्मा गांधी हायर सेकेंडरी स्कूल, हल्दवानी के। ५५ महीने से उनका वेतन नहीं मिला। उनका डिस्मिसल गलत किया गया और १४ महीने से डाइरेक्टर के आदेश हैं कि उनको रिइंस्टेट कर दिया जाय और उनका वेतन दिया जाय। वह नहीं हो पा रहा है। यह विभाग उसकी सर्विस उसको पुनः दिला नहीं सकता, वेतन दिला नहीं सकता, अपने शिक्षा संचालक तक का आदेश पालन नहीं कर सकता। यह विडम्बना है। और इसलिये मैं कहता हूं कि ये प्राइवेट संस्थायें अध्यापकों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ कर रही हैं।

इसके अतिरिक्त पाठ्य पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये और सस्ती पाठ्य पुस्तकें बच्चों को उपलब्ध होनी चाहिये।

अध्यापकों की रिटायरमेंट एज भी बढ़नी चाहिये। दुनिया के आठ-दस देशों में वह ६५ साल है। मैं समझता हूं कि यह इस देश में भी ६५ वर्ष होनी चाहिये। रिटायर्ड अध्यापकों को शिक्षा के विस्तार कार्य में लगाना चाहिये।

हमारे प्रदेश में नर्सरी स्कूलों की दयनीय स्थिति है। यह बुनियाद है हमारी शिक्षा की और उनकी तरफ कोई तवज्जह नहीं है। आज सरकार को उनके लिये ज्यादा से ज्यादा अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिये। कम से कम १५, २० ट्रेनिंग स्कूल इसके लिये खुलने चाहिये ताकि उनको ट्रेन्ड अध्यापक मिल सकें।

इसके अतिरिक्त मेरा सुझाव है कि देश भर के लिये एक स्क्रिप्ट होनी चाहिये, उसके माध्यम से बच्चों को तीन भाषायें पढ़ायी जायं। तीन भाषाओं का फारमूला देश भर में लागू होना चाहिये और हर स्कूल में इस बात की व्यवस्था होनी चाहिये कि सब बच्चे उसको पढ़ सकें। हिन्दी के बारे में प्रगति बहुत असंतोषजनक है। दुनिया में जर्मन, फ्रेंच, रशियन आदि की सी क्षमता वाली भाषा हिन्दी है, लेकिन सरकार उसके लिये कोई तवज्जह नहीं दे रही है। पब्लिक सर्विस कमीशन के सारे इम्तहान हिन्दी में होने चाहिये और सरकार को उसके लिये मुस्तैदी से कदम उठाने चाहिये।

श्री जगदीशनारायण सिनहा (जिला सहारनपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत मांग में, जो ६ करोड़ की वृद्धि इस वर्ष है और एक प्रतिशत जो बजट में बढ़ोत्तरी है उसके लिये उन्हें बधाई देता हूं। यद्यपि यह थोड़ी रकम है पर इस संकट काल में इतनी धनराशि का बढ़ा देना निश्चय ही हमारी शिक्षा के लिए एक लाभदायक बात हुई है। मैं प्राथमिक शिक्षा के बारे में ३-४ बातें आपके द्वारा मंत्री महोदय के समक्ष रखता हूं। यद्यपि हम बहुत बड़ी तादाद में नये स्कूल गांवों में खोलते जा रहे हैं पर एक बड़ी तादाद पुराने स्कूलों की बड़ी खराब दशा में है। उनके रिपेयर्स के लिये कोई धन नहीं दिया जा रहा है। मुझे यह भी मालूम हुआ है कि जो छोटी-सी रकम रिपेयर्स के लिए रखी गयी थी वह भी मुनासिब ढंग से नहीं बांटी गयी है। मेरा नम्र निवेदन है कि एक अच्छी रकम गिरे हुये पुराने स्कूलों के रिपेयर के लिये दी जाय।

मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि हमने अभी ११ हजार और अध्यापक रखे हैं और इतने जब स्कूल और बढ़ेंगे उनमें भी संख्या अनट्रेन्ड टीचर्स की बढ़ेगी और जो एच० टी० सी० की ट्रेनिंग देने वाले कालिज हैं वह जाने उस कमी को कितने दिनों में पूरी कर पायेंगे ? मेरा निवेदन है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो आज अच्छे विद्यालय चल रहे हैं विशेषकर उनको आज्ञा दी जानी चाहिये कि इन अनट्रेन्ड टीचर्स की ट्रेनिंग देने का प्रबंध कर सकें। क्योंकि इन अध्यापकों को ट्रेनिंग लेने के बाद गांवों में काम करना है, इसलिये ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों को यह कार्य सौंपा जाय।

ऐसा देखने में आया है कि कोर्स की पुस्तकें बहुत जल्दी-जल्दी बदल दी जाती हैं। एक बहुत बड़ा बोझ लाद कर अपनी उम्र के लिहाज ज्यादा वह बच्चे स्कूल ले जाते हैं। बच्चों की एक नाजुक दशा होती है। यह बोझ ऐसी उनकी प्रवृत्तियों की तरक्की में बाधा डालती है। हर साल या हर दूसरे साल पुस्तकों का बदल जाना बहुत खराब बात है और यह प्रथा बंद होनी चाहिये।

ब्लाक में जो अध्यापक काम करते हैं, अब ब्लाक प्रमुख को अधिकार हो गया है कि वह उनका ट्रांसफर कर सके बहुत ठीक है। बहुत समझ बूझ कर डेमोक्रेसी में यह कदम उठाया गया है, लेकिन असर इसका यह हो रहा है कि एक जुलाहे की फिरकी की तरह से कभी इस गांव से कभी दूसरे गांव में ट्रांसफर उनके होते रहते हैं। कभी-कभी तो ५०-६० ट्रांसफर्स एक-एक ब्लाक में कर दिये जाते हैं। उससे शिक्षा पर बुरा असर पड़ रहा है। जहां यह बात है, अध्यापकों ने भी यह नीति अख्तियार कर ली है कि वह प्रमुख महोदय या उसके आस-पास रहने वाले लोगों के पास रात-दिन घूमते हैं ताकि उनकी मरजी के मुताबिक ट्रांसफर हो जाय। इसलिये ऐसा कोई रास्ता निकाला जाय जिससे जिस काम के लिये अध्यापकों को रखा गया है उसको पूर्णरूप से न करें, तो एक बड़े अंश में तो कर ही दें।

इस वर्ष मंत्री महोदय ने एक स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन लागू किये जाने पर बल दिया है। जिन विद्यालयों ने अपनी Scheme of Administration सबमिट नहीं की। उनकी नान-रेकरिंग ग्रांट नहीं दी गयी। इससे पहले अध्यापकों और मैनेजमेंट में बड़ा संघर्ष रहता था। मेरा निवेदन है कि अगले वर्ष मेंटेनेन्स ग्रान्ट्स के लिये भी सख्ती से कदम उठाया जाय ताकि यह स्कीम पूर्ण रूप से लागू हो सके।

लाइफ मैनेजर्स और ट्रस्ट्स जो बने हुये हैं उनके संबंध में भी मैं अपना एक सुझाव देना चाहता हूं। यह ४-५ लोग जिन्दगी भर स्कूलों पर काबिज रहते हैं। इस प्रथा में बहुत सी बुराइयां हैं। आप ऐसे कदम उठाइये जिससे यह प्रथा समाप्त हो जाय।

कम्युनल और सैक्टेरियन बेसिस पर जो मान्यता स्कूलों को दी जाती है, वह भी समाप्त होनी चाहिये। ऐसी बातों वाले जो भी स्कूल, कालिज हों उनको मान्यता नहीं देनी चाहिये।

आज देखा जा रहा है कि बी० टी० के क्लासेज खोलने की इजाजत बहुत अधिक दी जा रही है। इसका परिणाम यह हुआ है कि इतने ज्यादा बी० टी० वाले मार्केट में हो गये हैं कि

मैनेजमेंट उनको बहुत कम वेतन पर नियुक्त कर लेते हैं और उनसे रसीद पूरे वेतन की ले लिया करते हैं। इसलिये आगे बी० टी० खोलने की इजाजत न दी जाय, जब तक उसकी आवश्यकता न हो।

साइन्स की तरफ बहुत जोर है और हम इस ओर विशेष ध्यान देना चाहते हैं। आज हालत यह है कि जो हमारे सरकारी स्कूल और कालेज हैं उनमें एम० एस-सी० और बी० एस-सी० अवेलेबिल नहीं होते। ग्रामीण क्षेत्रों में तो कोई भी साइन्स टीचर जाना पसन्द नहीं करता। इसका कारण यह है कि जितना वेतन सरकार इनको देती है, उससे कहीं ज्यादा वेतन उनको दूसरी नौकरियों में मिल जाता है। इसलिये मेरा सुझाव है कि इनका ग्रेड बढ़ाया जाय तथा २/३ वेतन पर अन्ट्रेन्ड रखने की जो शर्त है उसको भी समाप्त किया जाय।

डिसिप्लिन की बात कही गयी, उसके लिये मेरे दो सुझाव हैं। पहला यह है कि खेल के मैदानों की तरफ सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये। इस ओर सरकार को बड़े पैमाने पर कदम उठाना चाहिये। प्रत्येक विद्यालय को Play ground के लिये ग्रान्ट दी जाय।

दूसरी चीज यह है कि हमारे एग्जामिनेशन का जो सिस्टम है उसमें तब्दीली होना चाहिये। डेली वर्क की बेसिस पर उनका प्रमोशन होना चाहिये। अगर यह कर दिया जाय तो इस क्षेत्र में काफी सुधार हो सकता है।

ट्रिपिल बेनीफिट स्कीम की जो बात सदन में माननीय मंत्री जी ने कही थी वह अध्यापकों के लिये बहुत ही लाभदायक बात होगी। इस ओर विभागीय अधिकारियों को शीघ्रातिशीघ्र कदम उठाना चाहिये।

माननीय चन्द्रजीत जी ने जो नेशनलाइजेशन की बात कही है, अगर इस ओर फौरन कदम न उठाया जा सके तो मैं यह सुझाव दूंगा कि जिले के अन्दर जिला कमेटी बनायी जाय जिसमें शिक्षा के एक्सपर्ट व Philanthrophists लोग रखे जायं जिनका उस तरफ रुझान हो। उनका एक बोर्ड बना दिया जाय और जिले के सारे विद्यालयों को चलाने का अधिकार उनको दिया जाय।

*श्री रामायणराय (जिला देवरिया)--

मान्यवर, जहां एक ओर माननीय सदस्यों ने मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाया कि अन्य राज्यों की अपेक्षा हमारे यहां शिक्षा का बजट पूरे बजट में कम है, १३ प्रतिशत है, मैं वहीं पर उन से यह भी आग्रह करूंगा कि जो पैसा हम विभिन्न योजनाओं के लिये देते हैं वह खर्च नहीं हो पाता है। हम बिहार और उड़ीसा से भी पिछड़े हुये हैं। मैं कुछ आंकड़े ग्रान्टस-इन-ऐड के संबंध में पेश करना चाहता हूं। सन् ५७–५८ में २६ करोड़ रुपया ग्रान्टस-इन ऐड्स का बिना खर्च किया हुआ बच रहा। ५८–५९ में ५.३१ और ५९–६० में यह १.४९ हुआ और फिर बढ़कर २.४५ करोड़ हो गया। यही नहीं, इस विभाग के लोगों के पास जो अनुदान भेजा जाता है उसे ये खर्च तो कर ही नहीं पाते लेकिन जहां खर्च करते भी हैं उसका मैं एक उदाहरण देता हूं। इनकी एक आडो विजुअल स्कीम है। उसमें दूसरी योजना में कुछ फिल्मों का निर्माण हुआ और विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से कैसे हजारों रुपया नष्ट हुआ है, यदि समय होता तो मैं सदन के समक्ष प्रस्तुत करता। ऐसे ही सचल पुस्तकालय के लिये एक गहरी रकम योजना में रखी जिसे वह खर्च नहीं कर सके। पाठ्य पुस्तकें जो कि प्राइमरी स्कूलों के बच्चों के लिये आवश्यक जुलाई में स्कूल खुलते हैं और पुस्तकें मिलती हैं दिसम्बर में। दिसम्बर तक बच्चे पुस्तकों लिये भटकते रहते हैं। अध्यापकों के वेतन और उनकी ट्रेनिंग की बात जाने दीजिये। जिन कों से विद्यार्थी अपना ज्ञान बढ़ाना चाहता है उनकी क्या हकीकत है? माननीय संचालक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामाश्रय राय]

महोदय की अध्यक्षता में कुछ विशेष विद्वान लोग जो अपने को विद्वता शास्त्री समझते हैं, वे उन किताबों की रचना करते हैं। मैंने मंत्री जी को बतलाया कि पुस्तकों में अनर्थक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। यह प्रवेशिका है, जिसे बच्चा पढ़ता है। प्रत्येक शिक्षा शास्त्री का यह मत है कि अनर्थक और अनावश्यक शब्द बच्चों के सामने न बोले जावें। इसमें शब्द है पी० टी०, सी० टी०, लाटी। इनका अर्थ क्या होता है? जब तक यह विभाग ऐसे अधिकारियों को दंडित करने का साहस नहीं करता है तब तक, मैं समझता हूं, इस विभाग में नव-जीवन का संचार नहीं हो सकता है। मैंने सन् ६३ में सुना कि सरकार की ओर से एक शासकीय आदेश जी० ओ० हुआ कि कोई भी विभाग ५ वर्ष से अधिक एक संचालक को लेकर नहीं चल सकता है। जो मौजूदा संचालक हैं, क्या उनसे योग्य व्यक्ति शिक्षा का, इस महत्वपूर्ण कार्य को चलाने के लिये नहीं हैं? तुलसी और सूर के इस राज्य में अज्ञान का इतना अधिक अन्धकार छाया हुआ है, प्रत्येक दिशा में इस तरह से प्रसन्तोष व्यक्त किया जा रहा है, और क्या अपने ही आदेश के अनुसार माननीय मंत्री जी शिक्षा के अधिकारियों का संगठन कर रहे हैं? राजनीति हो रही है। अध्यापकों के मामले कैसे देखे जायेंगे? विद्यार्थियों में अनुशासन हीनता बढ़ रही है क्योंकि उनमें इस शिक्षा के प्रति कोई दिलचस्पी नहीं है। माननीय जगदीश शरणजी अग्रवाल ने बहुत फिकासोफिकल ढंग से कहा कि एमरजेंसी पीरियड में शिक्षा की बहुत सी योजनाओं को नहीं काटा जाना चाहिये था। एक योजना के तहत में माननीय सदस्यों को भी पाठ्य-पुस्तकों के देखने का अधिकार था, वह समाप्त हो गई। एक योजना थी जिसके तहत में विभिन्न सम्प्रदाय के लोगों के लिये किस प्रकार की पाठ्य-पुस्तकें और साहित्य बनाये जाने चाहिये, वह योजना समाप्त हो गई।

कुल बजट का महज ४ प्रतिशत सैनिक शिक्षा पर खर्च करने जा रहे हैं। केवल २० नये पैसे विद्यार्थियों के जलपान के लिये रखे गये हैं, प्रति विद्यार्थी के हिसाब से। आजकल के जमाने में इसमें क्या होगा? प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों की दुर्गति में क्या बताऊं? नये जिला परिषद् ऐक्ट में ब्लाक प्रमुख को अधिकार है कि अध्यापकों को जहां चाहे बदल दे प्राइमरी के अध्यापक जिला परिषद् के शिकार और माध्यमिक स्कूलों के अध्यापक मैनेजमेंट के शिकार, जैसा मंत्री जी स्वयं भी स्वीकार करते हैं। फिर यह लाचारी क्यों है? अगर माध्यमिक शिक्षक संघ आपसे मांग कर रहा है कि उनका राष्ट्रीयकरण होना चाहिये, तो उसकी वस्तुस्थिति को छानबीन करके कोई निश्चित नीति तो होनी चाहिये। केवल कान्फ्रेन्स बुलाने से ही इस समस्या का हल नहीं हो सकता है।

जहां तक यूनिवर्सिटी शिक्षा का सवाल है, उसमें आटोनामी की बात तो जरूर कही जाती है लेकिन विजीटेशन का राइट अपने हाथ में सुरक्षित रखा गया है। संस्कृत शिक्षा की हमारे प्रदेश में कितनी उपेक्षा है, मैं माननीय राजा साहेब, आपके जिले का ही एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक भोलानाथ संस्कृत विद्यालय है। पिछले साल इत्तिफाक से यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमेटी का सदस्य होने का मुझे भी मौका मिल गया। भोलानाथ संस्कृत विद्यालय जो पोस्ट-ग्रेजुएशन की शिक्षा देता है, आचार्य और मध्यमा का परीक्षण दिलाता है, उसे जहां ८०० रुपये वार्षिक अनुदान मिला करता था, जमींदारी अबालोशन के नाम पर खत्म कर दिया गया और इस समय महज २५ रुपये उसे दिये जा रहे हैं।

विज्ञान की शिक्षा को, सभी जानते हैं कि कितनी अधिक आवश्यकता है। मैं और जिले की जानता हूं। पिछले साल मैंने बहुत आग्रह किया, बड़ी गहरी रकम केन्द्रीय सरकार साइंस शिक्षा के लिये रखी है। यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन ने कहा कि अगर तुम पिछड़े भूभाग को उठाना चाहते हो तो इंजीनियर्स और डाक्टर्स को पैदा करने के लिये एक योजना

बनाओ, तुम एरियाज का सर्वे तो कराओ। सुबह से बड़ी चर्चा हुई प्री प्राइमरी एजूकेशन की। इस एजूकेशन में कुछ लोग तो स्कूल व्यवसाय के लिये चला रहें हैं। कुछ खास मत वाले लोग साम्प्रदायिकता के आधार पर स्कूलों को चला रहें हैं, राज्य सरकार की आंखों के सामने प्री प्राइमरी ऐजूकेशन में यह अनाचार हो रहा है, लेकिन सरकार उनको रोक नहीं पा रही है। पिछले दिनों सरकार ने बड़े-बड़े आयोगों और कमेटियों की स्थापना की। बड़े-बड़े विद्वानों के सुझाव भी आये लेकिन एक भी सुझाव को अमल में नहीं लाया गया। अगर लाया गया होता तो यह दुर्गति न होती जो आज हो रही है। दुर्गति का चित्र यह है कि प्राइवेट स्कूल में इन्टरमीडियेट में १७५–२५० रु० का ग्रेड दिया जाता है, जब कि सरकारी अंग्रेजी स्कूलों में २२० से शुरू किया जाता है। एक ओर साइकोलोजिस्ट को १२० रुपये का ग्रेड दिया जाता है और वह सलाह देने जाता है १७५ रुपया पाने वाले अध्यापक को। विभिन्न काम करने वालों के पुरस्कार में समता नहीं है। इन सभी बातों पर विभाग कुछ कर नहीं पाया है और विभाग में सब ओर पक्षपात अधिकारियों में भरा हुआ है। मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि उनके विभाग में जो सुस्ती और पक्षपात है, उसको दूर करने के लिये एक बार जरा विभाग को झकझोर तो दें, जिससे यह सोता हुआ विभाग जरा सोचने, विचारने और कुछ करने के लिये उठ तो खड़ा हो।

श्रीमती रामरती (जिला फैजाबाद)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा मानव विकास की जड़ है। किसी भी राज्य में जितने ही योग्य और सुशिक्षित नागरिक होंगे, वह राज्य उतना ही अधिक समृद्धशाली बन सकेगा। मान्यवर, आजतक हमारे देश में जितनी भी शासन व्यवस्थायें स्थापित रहीं, उन सभी ने स्त्री समाज का शोषण किया किन्तु जबसे हमारे देश में स्वराज्य हुआ, तब से हमारी सरकार ने स्त्रियों की इस दशा को देखकर उनके लिये ऐसा प्रयत्न किया कि न्याय उनको मिल सके और उनको बराबरी का स्थान मिले। मान्यवर, इस चीज को हमारी सरकार ने कार्यरूप में परिणत किया, जिसका नतीजा यह हुआ कि आज हम धारा सभाओं में और शासन के प्रत्येक विभाग में स्त्रियों को देख रहें हैं।

मान्यवर, मैं लड़कियों की शिक्षा के संबंध में कुछ कहना चाहती हूं। मेरा एक सुझाव यह है कि आजकल गांवों में अधिक से अधिक कन्या पाठशालायें खोली जा रहीं हैं लेकिन मेरे विचार से उनकी उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी कि बालिकाओं के लिये जूनियर हाई स्कूलों की। क्योंकि गृह विज्ञान का विषय बालिकाओं के जीवन के लिये बहुत आवश्यक है। उसके अभाव में लड़कियों को लड़कों के स्कूल में जाना पड़ता है जहां गृह विज्ञान का विषय नहीं होता, और लड़कियां गृह विज्ञान की कला भी सीख नहीं पाती हैं। लेकिन जब वे हाईस्कूल या इन्टरमिडियेट में जाती हैं तो उनको अनिवार्य रूप से इस विषय को लेना होता है, इसमें उनको बड़ी असुविधा होती है। इस तरह से माननीय मंत्री जी के सामने मेरा यह सुझाव है कि यह कला स्त्रियों के लिये बहुत उपयोगी है इसलिये उनको आगे बढ़ाने के लिये सहायता के रूप में माननीय मंत्री जी अधिक से अधिक मात्रा में जूनियर हाई स्कूलों की स्थापना करें।

दूसरा सुझाव मेरा यह है कि जब आज स्वराज्य है तो देश के प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिये। इस संबंध में आपका ध्यान में उच्च वर्ग द्वारा शोषण किये हुये लोगों की बालिकाओं की तरफ ले जाना चाहती हूं। मेरा तात्पर्य हरिजन बालिकाओं से है। हरिजन बालिकायें जो पढ़ना लिखना चाहती हैं, और जो आगे सफलता प्राप्त कर सकती हैं, उनके संबंध में मेरा सुझाव है कि राज्य सरकार की तरफ से उनके लिये पूरे खर्च की व्यवस्था होनी चाहिये। यों तो इस समय भी राज्य सरकार की तरफ से उनके लिये वजीफे आदि का प्रबन्ध है लेकिन उसमें उनको उतनी सफलता नहीं मिलती, जितनी कि पूरा खर्च देने से मिल सकती है।

[श्रीमती सावित्री]

तीसरा सुझाव मैं अपने क्षेत्र के बारे में देना चाहती हूं । मेरा क्षेत्र अकबरपुर है जो फैजाबाद की सबसे बड़ी तहसील है । तहसील ही नहीं बल्कि वह एक बहुत बड़े कस्बे के रूप में भी है, जहां एक जूनियर हाई स्कूल चल रहा है । यह स्थान जो कस्बे के रूप में है, जहां एक मुन्सिफ भी है तथा रेलवे स्टेशन भी है और जहां गांधी आश्रम यू० पी० में दूसरे नम्बर का है, इन सारी बातों को देखते हुये मैं माननीय मंत्री जी से मांग करती हूं कि यहां पर एक हाईस्कूल की व्यवस्था अवश्य करें । इसी जूनियर हाई स्कूल के लिये जो कि यहां चल रहा है, पारसाल गोरखपुर की हमारी निरीक्षक महोदया ने अपने निरीक्षण के समय में यहां पर एक हाई स्कूल चालू करने का आश्वासन दिया था और उधर बं० डी० सी० ने भी एक प्रस्ताव इस संबंध में पास कर लिया है । इसलिये मुझे पूर्ण आशा है कि माननीय मंत्री इस पर अवश्य ध्यान देंगे ।

माननीय मंत्री जी से मेरा यह भी सुझाव है कि ऐसे माध्यमिक विद्यालय जिनको सरकार द्वारा सहायता प्राप्त है, वहां के अध्यापक तथा अध्यापिकाओं को हमारी सरकार महंगाई भत्ता और तनख्वाह सरकार के निर्धारित स्केल के अनुसार ही देती है, लेकिन जो सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं और जो विशिष्ट वर्ग के हैं इसमें लिपिक वर्ग को इस लाभ से हमारी सरकार वंचित रखती है । इसलिये सरकार से मेरा सुझाव है कि वह इस वर्ग भेद को मिटा कर सबको समान अवसर प्रदान करे ।

चौथा सुझाव यह है कि आज हमारे प्रदेश में जो प्राइवेट मांटेसरी स्कूल्स चल रहे हैं उनको तो सरकार ने सहर्ष मान्यता प्रदान कर दी है, लेकिन उनके जो ट्रेनिंग कालेज चल रहे हैं उनको अभी तक मान्यता प्राप्त नहीं हो सकी है । जब हमारी सरकार यह चाहती है कि हमारे देश के बालक जो राष्ट्र के भावी कर्णधार हैं । वे सुशिक्षित और सुयोग्य बन सकें । तो माननीय मंत्री जी को इस ओर अवश्य ध्यान देना पड़ेगा कि इनके टीचरों की ट्रेनिंग के लिये जो पाठशालायें चल रही हैं उनको भी अवश्य मान्यता दें ।

इन शब्दों के साथ, अपनी बातों को समाप्त करते हुये माननीय मंत्री जी से पुनः मेरा निवेदन है कि अपने क्षेत्र के लिये जो हाईस्कूल के लिये मैंने प्रार्थना की है, उसकी ओर वे अवश्य ध्यान दें ।

श्री रक्षपाल सिंह (जिला फतेहपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे थोड़ा-सा बोलने के लिये अवसर दिया । वैसे तो यहां दोनों ओर के भाषणों में अनेक प्रस्ताव और सुझाव सरकार के सामने आये हैं, उनको मैं नहीं दोहराऊंगा । सबसे पहले जो अध्यापकों की सर्विसेज के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न है उसके सम्बन्ध में दो शब्द कहना चाहता हूं ।

आज यह बात निश्चित रूप से सही है कि इन अध्यापकों का प्राइवेट प्रबन्ध में न तो वेतन समय से मिलता है और न वेतन जितने पर दस्तखत कराये जाते हैं उतना दिया जाता है और उनको छुट्टी भी नहीं दी जाती । इन कारणों से यह अध्यापक वर्ग बहुत परेशान है । आज अध्यापकों को ऐसा लगता होगा कि उनका मैनेजमेंट सरकार के हाथ में आने से उनकी कठिनाइयां दूर हो जायेंगी, लेकिन जिस सरकार को भ्रष्टाचार तथा अकर्मण्यता का सार्टिफिकेट कांग्रेस के ही लोग देते हैं, तो क्या उसके हाथ में लाखों अध्यापकों का प्रबन्ध आने से हालत सुधर जायगी ? मैं तो समझता हूं कि संभवतः हालत और खराब हो जायगी । इसलिये मेरा विचार है और जनसंघ का विचार है कि इन प्रबन्ध समितियों के विषय में सरकार को नया कानून लाना चाहिये और इस तरह की कमेटी बनाना चाहिये कि जिसमें अध्यापकों के प्रतिनिधि, गार्जियन्स के प्रतिनिधि, कुछ शिक्षा विशेषज्ञ हों और साथ में कुछ सरकार के प्रतिनिधि हों । इन चारों प्रकार के प्रतिनिधियों का एक मिला-जुला प्रबन्ध होना चाहिये । सरकार ने जो इन टीचर्स के प्रबन्ध समितियों में प्रतिनिधित्व के संबंध में स्कूलों को आदेश दिये थे उनको

किसी ने नहीं माना है। मैं चाहता हूं कि जिन स्कूलों ने सरकारी आदेशों को कार्यान्वित नहीं किया है उनकी मान्यता खत्म करना चाहिये और उनकी ग्रान्ट भी बन्द करना चाहिये।

कक्षा ३ से जो फिर अंग्रेजी की पढ़ाई आरम्भ कराई गई है उसका मैं घोर विरोध करता हूं। सरकार को इस अंग्रेजी की पढ़ाई को बन्द करना चाहिये। अंग्रेजी के नाम पर जो ४ आना और ८ आना सरकार ने स्कूलों में शुल्क के बढ़ाये हैं वह बहुत अनुचित बात है, यह शिशुओं के लिये बहुत घातक होगा। मैं स्वयं कक्षा ६ के बाद अंग्रेजी पढ़ा हूं, लेकिन मुझको संभवतः किसी से कम अंग्रेजी नहीं आती। इससे मातृभाषा हिन्दी का अनादर होता है और उसके प्रति अवहेलना का भाव होता है, इससे विद्यार्थियों में तरह-तरह की गलत फीलिंग पैदा होती है और ऊंच-नीच की भावना पैदा होती है। इसलिये ८ वें दर्जे तक अंग्रेजी पढ़ने के लिये सरकार को मजबूर नहीं करना चाहिये और ८वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा की घोषणा सरकार को करना चाहिये।

ग्रान्ट्स के बारे में भी मैं निवेदन करना चाहता हूं। जैसा कि डाक्टर साहब ने उल्लेख किया कि जिले-जिले के आधार पर कौन-कौन मेम्बर वहां के हैं, वहां से कांग्रेस के मेम्बर ज्यादा हैं इस आधार पर तो ग्रान्ट्स में अन्तर किया ही जाता है और यहां तक कि डिवीजन में ही १ और ५ का अन्तर दिखाई देता है। माननीय गंगा प्रसाद जो बैठे हैं, एक विद्यालय एटा में है जिस में ८-१० लड़की पढ़ती हैं, किन्तु उसे बहुत अधिक अनुदान दिया जाता है क्योंकि वह विद्यालय एक कांग्रेसी चलाते हैं जो एम० एस० सी० भी हैं। वह उसके प्रबन्धक हैं।

(इस समय ४ बजकर २५ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामायणराय, पीठासीन हुये।)

लखनऊ में ही सरकार के कोई खास आदमी हैं यह न मालूम कितने मांटेसरी स्कूल वहां चला रहे हैं और उनको बराबर किसी न किसी प्रकार की सहायता सरकार से मिलती रहती है, कोई गांधी जो कहलाते हैं, वह चला रहे हैं। प्रदेश में जो और शिशु संस्थायें चलती हैं उनकी ओर शासन की कोई नजर नहीं है और उनको कोई अनुदान नहीं दिया जाता। मैं चाहता हूं कि सब को एक नजर से देखना चाहिये और सरकार को सभी को अनुदान देना चाहिये, कोई डिसक्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिये।

बहुत से ऐसे प्रसार अध्यापक और कर्मचारी हैं कि जो दस-दस साल से नौकरी कर रहे हैं लेकिन वह अस्थायी हैं। उनको स्थायी करना चाहिये, उनको स्थायी ग्रेड दिया जाय और स्थायी किया जाय। इसके अलावा जो नीचे के छोटे कर्मचारी चपरासी आदि हैं उनका वेतन बहुत कम है, उनके लिये श्रमिकों का कानून लागू किया जाय और उन का वेतन बढ़ाया जाय।

(श्री काशीनाथ मिश्र का नाम पुकारे जाने पर)

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—

अधिष्ठाता महोदव, सदन का समय एक घंटे बढ़ा दिया जाय।

श्री काशीनाथ मिश्र—

अधिष्ठाता महोदव, शिक्षा मंत्री ने शिक्षा की प्रगति के संबंध में जो समीक्षा प्रस्तुत की है उसको देखने से ऐसा पता चलता है कि अगर यही योजना चलती रही तो सारे प्रदेश के लोगों को शिक्षित करने में तीन सौ बरस लगेंगे। अभी आपने देखा कि १९४७ में ९-१० सैकड़ा पढ़े व्यक्ति थे और अब १६ सैकड़ा हैं तो जब १६ साल में इतनी प्रगति हुई तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने दिन लगेंगे इस कार्य को पूरा करने में।

शिक्षा का उद्देश्य सारे लोगों को साक्षर करने का है। दूसरे यह भी देखा गया है कि कहीं पर मांटेसरी स्कूल चल रहे हैं, कहीं पब्लिक स्कूल चल रहे हैं, सेंट जोजफ स्कूल चल रहे हैं कहीं लौरेटो कन्वेन्ट चल रहे हैं और दूसरी जगहों पर कहीं पर नगरपालिकाओं के स्कूल चल रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के स्कूल्स हैं। इन स्कूलों में केवल गरीबों के बच्चे ही शिक्षा प्राप्त कर

[श्री काशीनाथ मिश्र]

सकते हैं। दूसरी तरफ उपरोक्त स्कूल बना रखे हैं। ये जितने स्कूल हैं सरकार के दलालों द्वारा चलाये जाते हैं जो बंगलों में खूब ठाठ-बाट से रहते हैं। मांटेसरी स्कूलों, जो यहां पर चल रहे हैं, उनमें भी लाखों रुपये अनुदान में मिलता है। इस प्रकार से प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन भ्रष्टाचार और करप्शन से भरे पड़े हैं। "Private Institutions are the sources of income to the private bodies and are centres of corruption." हर नेता एक न एक स्कूल चला रहा है।

श्री चन्द्रसिंह रावत---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्य ने यह कहा था कि जो अंग्रेजी में बोलते हैं वे अंग्रेज के बेटे हैं।

श्री अधिष्ठाता---

आप अपना स्थान ग्रहण करें। हर भारतीय जोश में आता है तो अंग्रेजी ही उसके मुंह से निकलती है।

श्री काशीनाथ मिश्र---

तो इस तरह से मंत्री जी देखें कि आपके जो प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन हैं उनमें भ्रष्टाचार न हो। जब तक हमारी शिक्षा में एकरूपता नहीं आयेगी हम उन्नति नहीं कर सकते हैं। जब तक आप विभिन्न संस्थाओं के टीचर्स के ग्रेड भी एक नहीं करेंगे तब तक उनमें शिक्षा के प्रसार की भावना नहीं आ सकती। अगर आप चाहते हैं तो शिक्षा का प्रचार देवनागरी के माध्यम से हो सकता है। अध्यिष्ठाता महोदय, हिन्दी के माध्यम से आप तामिल भाषा की शिक्षा दे सकते हैं, बंगला की शिक्षा दे सकते हैं। अतः जो आजकल देहातों में हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुयेट बेकार पड़े हुये हैं उनकी एक फौज बनाइये और उन्हें ट्रेंड कीजिये और एक शिक्षा सेवा में उन्हें भरती करें। जो १० हजार की साक्षर सेना निरक्षरता दूर करे जब तक यह उद्देश्य नहीं होगा निरक्षरता इस प्रान्त से दूर नहीं हो सकती।

दूसरी बात यह कि हिन्दी भाषा को आप माध्यम बनायें वर्ना अंग्रेजी को दर्जा ३ से पढ़ाने से शिक्षा का प्रसार नहीं हो सकेगा।

श्री चन्द्रसिंह रावत---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय १ घंटा बढ़ा दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता---

पार्लियामेंटरी ग्रुप की एक मीटिंग है, इसलिये हमारी मजबूरी है।

*श्री मेघनाथसिंह शिशोदिया---

अधिष्ठाता महोदय, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मेरा पहला सुझाव यह है कि जिला विद्यालय निरीक्षक और डिप्टी डायरेक्टर के आफिस के क्लर्कों के वेतन डायरेक्टर आफ एजूकेशन के आफिस के क्लर्कों के समान होने चाहिये और आपस में म्यूचुअल ट्रान्सफर होना चाहिये। हायर सेकेन्डरी स्कूलों और इंटरमीडिएट स्कूलों के हेड क्लर्क का वेतन बी० टी० ग्रेड में और हाई स्कूलों के हेड क्लर्क का वेतन सी० टी० ग्रेड में तथा अन्य क्लर्क का वेतन जे० टी० सी० ग्रेड में होना चाहिये और गवर्नमेंट स्कूलों में जो ग्रेड दिया जाता है वही ग्रेड प्राइवेट स्कूलों में भी दिया जाना चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पश्चिमी जिलों में खास कर मेरठ, बुलन्दशहर और अलीगढ़ में शिक्षा का प्रसार बहुत ज्यादा हुआ है और जूनियर एजूकेशन में जे० टी० सी० किसी तरह उपलब्ध नहीं होते। उनमें प्रत्येक जिले में सरकार कम से कम दो जे० टी० सी० इंस्टीट्यूशन्स खोले।

'ए' क्लास जो शहर हैं वहां 'ए' क्लास आफिसर्स भेजे जाते हैं, लेकिन वह पूरी तरह से सुपरवीजन नहीं कर पाते हैं, लिहाजा प्रत्येक जिले में एक असिस्टेंट डायरेक्टर आफ स्कूल्स रखा जाय और क्लेरिकल स्टाफ की वृद्धि की जाय।

संस्कृत का प्रसार हो रहा है। लिहाजा हेडक्वार्टर पर एक इंस्पेक्टर के बजाय डिप्टी डायरेक्टर आफ संस्कृत एजूकेशन रखा जाय और प्रत्येक रीजन में जहां एक असिस्टेंट इंस्पेक्टर रहता है वहां इंस्पेक्टर संस्कृत का रखा जाय जो सारे कार्य की देखभाल कर सके और बिलों को पास कर सके, क्योंकि इलाहाबाद में बिलों को पास कराने में बड़ी असुविधा होती है।

विज्ञान और एग्रीकल्चर की ओर बड़ा ध्यान दिया जा रहा है। स्टेट लेविल पर एक 'ए' क्लास आफिसर रखा जाय जो विज्ञान तथा एग्रीकल्चर के लिये इंचार्ज हो और सूबे भर में जो दौरा करे और स्कूलों की कठिनाइयों को दूर करे।

इंटरमीडियेट बोर्ड का रिजल्ट देर से निकलता है और डेढ़-दो वर्ष के बाद गजट प्रकाशित होता है और सनदें भी देर में मिलती हैं। इसलिये ऐसी व्यवस्था की जाय कि ६ महीने के अन्दर ये सुविधायें प्राप्त हो जाया करें।

एजूकेशन डिपार्टमेंट से जो आर्डर्स जिलों में जाते हैं वे कैरीआऊट नहीं होते। बहुत से अध्यापकों को उससे कठिनाई होती है। स्कूलों से वे निकाल दिये जाते हैं। अपील करने पर रिइंस्टेट कर दिये जाते हैं, लेकिन उन आर्डर्स को कैरीआऊट नहीं किया जाता। इसलिये मशीनरी सरकार की इतनी मजबूत होनी चाहिये जो इन आर्डर्स को इम्प्लीमेंट कर सके।

थर्ड डिवीजन को या तो घृणा की दृष्टि से देखा न जाय या उसे तोड़ दिया जाय। जिला बोर्ड में प्राइमरी स्कूल के टीचर पहले मिडिल पास रखे जाते थे, लेकिन अब सेकिंड या फर्स्ट क्लास हाई स्कूल रखे जाते हैं। यह थर्ड क्लास वालों के साथ अत्याचार है। थर्ड क्लास हाई स्कूल ही वहां रखे जायं। आप उनको हायर एजूकेशन से हटा कर उन स्कूलों में भेजें। आप थर्ड डिवीजन वालों को वहां पर नियुक्त करें जिससे कि थर्ड डिवीजन वालों का बोझ कुछ कम हो।

माननीय शिक्षा मंत्री ने इंग्लिश एजूकेशन के बारे में कहा था कि वह थर्ड क्लास से चलनी चाहिये। मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि गांधी जी के नाम लेवा इस देश के रहने वाले अंग्रेजियत से इस प्रकार प्रेम करते हैं। गुजरात प्राविन्स ने आठवीं कक्षा से अपने यहां अंग्रेजी पढ़ाने का निश्चय किया है, तो मेरी समझ में नहीं आता कि यू० पी० में क्या मुसीबत पैदा हो जायगी अगर वह यहां भी आठवीं कक्षा से अंग्रेजी शुरू की जाय। पहले जब मिडिल की शिक्षा होती थी तब उस के बाद अंग्रेजी लोग पढ़ते थे और उनकी अंग्रेजी किसी तरह थर्ड क्लास से अंग्रेजी पढ़ने वालों से कमजोर नहीं होती थी। तो आज भी आप सातवीं कक्षा तक हिन्दी और मैथमेंटिक्स की शिक्षा दीजिये और आठवीं से अंग्रेजी या दूसरी भाषाओं की शिक्षा आप दे सकते हैं।

दूसरी बात यह कि प्राइमरी स्कूल के बच्चे पर आपने एक बहुत बड़ा बोझ डाल दिया है। वह इतना बड़ा बस्ता लेकर चलता है जितना कि उसका खुद का वजन नहीं होता है। इसलिए प्राइमरी क्लासेज में आप लिखना-पढ़ना और हिसाब तक ही रखिए जैसा कि पहले था।

अगला सुझाव यह है कि आप शिक्षा में यदि सुधार चाहते हैं तो तीन बातों की तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक तो ग्रामीण क्षेत्रों में जब टीचर्स और साइंस टीचर्स की

[श्री मेघन सिंह सिसोदिया]

नियुक्ति की जाती है, तो वह वहां नहीं जाते, क्योंकि शहर में तो ट्यूशन का स्कोप रहता है और वहां वह बात नहीं होती है, इसलिए गांवों में आप हायर ग्रेड की व्यवस्था करें। उनको ग्रान्ट देते समय ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों का विशेष रूप से ध्यान रखें। दूसरी बात प्रिंसिपल का प्रोबेशन काल जब आपने दो साल रखा है तो टीचर का एक साल रखने की बात कुछ समझ में नहीं आती। एक साल तो टीचर भोगी बिल्ली बना रहता है, दूसरे साल अपना जौहर दिखलाता है। इसलिए उसका प्रोबेशन भी दो साल का रखिए। टीचर्स बीच साल में किसी भी समय छोड़ कर चले जाते हैं, उनको आप पूरी तरह से क्यों नहीं जांचते। मैनेजमेंट के ऊपर तो तमाम तरह का बन्धन है लेकिन टीचर के ऊपर भी आप बन्धन क्यों नहीं लगाते। साइंस का टीचर दिसम्बर में छोड़ कर चला जाता है, हमारे स्कूलों का सत्यानाश हो जाता है, हम उसको नहीं रोक सकते। अगर २० रुपये का भी प्रलोभन दूसरे इन्स्टीट्यूशन से पा जाता है तो चला जाता है। गवर्नमेंट की मशीनरी के पास कोई साधन नहीं है कि वह उसको रोक सके, लेकिन मैनेजमेंट पर पूरी पाबन्दी है। तो इस पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाय।

इसके अतिरिक्त साइंस और एग्रीकल्चर के बारे में जैसा आपने कहा था मेरा सुझाव है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर जितनी संस्थायें हैं उनमें साइंस और एग्रीकल्चर को मान्यता अधिक से अधिक प्रदान की जाय और ग्रान्ट देते वक्त भी इसका ध्यान रखा जाय। ट्रेनिंग के बारे में, मैं यह कहना चाहता हूं कि शिशु सदन और शिशु शिक्षा की ट्रेनिंग देने के लिये १५० इन्स्टीट्यूशंस को आपने रेकग्नाइज किया है, ८५० को नहीं किया है। उनको भी रेकग्नाइज करें, वहीं पर इसके टीचर्स तैयार किये जायं। इनको इसके लिए ग्रान्ट दी जाय और मान्यता प्रदान की जाय।

इसके अलावा कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं कि जहां की ग्रान्टज रोक ली गई है। गोरखपुर का गणेशशंकर विद्यार्थी इंटरमीडियेट कालेज भी ऐसा ही एक कालेज है जिसकी ग्रान्ट डी० आई० प्रो० एस० डिस्बर्स नहीं कर रहे हैं। जिसके कारण टीचर्स की तनख्वाह नहीं मिल रही है। हाई कोर्ट ने अपना फैसला भी दे दिया तो भी उसकी ग्राट क्यों नहीं चालू की जाती है

*श्री कैलाश प्रकाश—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्यों ने इस अनुदान पर जो सुझाव दिये मैंने उनको ध्यानपूर्वक सुना और मैं वास्तव में हृदय से आभारी हूं और अनुगृहीत हूं कि माननीय सदस्यों ने ऐसे सुझाव शिक्षा के सम्बन्ध में दिये। इस थोड़े से समय में जो यहां बातें उठायी गई हैं उन सबका उत्तर देना मेरे लिए सम्भव नहीं होगा। जो कुछ उनमें से विशेष बातें यहां कही गई हैं उनमें से कुछ पर जरूर अपनी सम्मति देने का प्रयास करूंगा। मेरे मित्र श्री झारखंडे राय जी ने यह पूछा था कि उर्दू के विषय में क्या नीति है। उस समय पूरा अवकाश न होने के कारण मैंने उसका उत्तर नहीं दिया था। श्रीमन्, उर्दू के सम्बन्ध में प्रदेश की नीति और प्रदेशीय शासन की नीति काफी दिनों से स्पष्ट है और इस सिलसिले में केन्द्रीय आधार पर भी और केन्द्रीय शासन ने भी बारबार विचार किया है। याद भी होगा चीफ मिनिस्टर्स कान्फ्रेन्स में एक बार यह प्रश्न आया था। चीन का आक्रमण होने के पूर्व भावात्मक समिति में भी यह प्रश्न आया था और एक कमीशन ने भी इस सम्बन्ध में जांच की थी। इस प्रदेश में भी आचार्य कृपालानी के नेतृत्व में एक कमेटी बैठी थी। मैं इन सब चीजों को बढ़ा कर और इतिहास में नहीं जाऊंगा समयाभाव के कारण, किन्तु जो नीति प्रदेशीय शासन ने इस सम्बन्ध में निर्धारित की है उसके विषय में यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक तो नीति

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह है कि जो बच्चा अपनी मातृभाषा उर्दू बताता है उसको उर्दू पढ़ने की सुविधा दी जाती है। यह सुविधा प्राथमिक स्तर पर दी जाती है। दूसरा निर्णय यह हुआ कि उर्दू भाषा के लिये पुस्तकों और शिक्षकों के शिक्षण का प्रबन्ध होना चाहिये। यह भी हो रहा है। जो बच्चे उर्दू भाषा में पढ़ना चाहते हैं उनके लिये पुस्तकें उपलब्ध हैं। तीसरा यह कि माध्यमिक स्तर पर भी उर्दू की सुविधा दी जाती है। प्राथमिक स्तर की बात मैं बता चुका हूं, लेकिन ६, ७ और ८ कक्षाओं में भी, माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि हमने इस प्रदेश में ३ भाषाओं का फार्मूला लागू किया है। छठी कक्षा में जैसा मैंने प्रातः काल निवेदन किया था विद्यार्थियों को ३ भाषाएं पढ़नी होंगी। एक भाषा इस प्रदेश की हिन्दी और दूसरी भाषा हिन्दी के अतिरिक्त जो हमारे संविधान में भारतीय भाषाओं के नाम दिये हैं, उनको परिशिष्ट में दे रखा है, उनमें से कोई एक भाषा ले सकते हैं। उन भाषाओं में उर्दू भी सम्मिलित है। दूसरी भाषा के रूप में विद्यार्थी चाहे तो उर्दू ले सकता है, संस्कृत ले सकता है अथवा और कोई भारतीय भाषा ले सकता है जो संविधान में निर्धारित की गई है। तीसरी भाषा अंग्रेजी अथवा और कोई विदेशी भाषा ले सकता है। इस तरीके से तीन भाषायें उसको पढ़ना है। ६, ७ और ८ वीं कक्षाओं में जो उर्दू पढ़ना चाहता है उसको उर्दू पढ़ने की सुविधा देते हैं और उर्दु पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ये उपलब्ध हैं। उनकी संख्या यदि ५ है और ५ विद्यार्थी यदि यह कहते हैं कि हम उर्दू पढ़ना चाहते हैं तो वहां पर उर्दू भाषा पढ़ाने के लिये शिक्षक का प्रबन्ध किया जाता है और दूसरी भारतीय भाषाओं के लिये भी प्रबन्ध किया जाता है। हाई स्कूल की परीक्षा में इस बात की छूट है कि चाहे उत्तर हिन्दी में लिये जायं अथवा उर्दू में और यही नीति है शिक्षा विभाग की उर्दू के लिये। जब से तीन भाषायें रखी गयीं तब से उनके शिक्षकों का भी प्रबन्ध किया गया और विभिन्न भाषाओं के लिये ३,२०० शिक्षक नियुक्त किये गये हैं जिनमें पंजाबी, गूजराती, मराठी, आदि के शिक्षक है।

यहां कई माननीय सदस्यों ने पूर्व माध्यमिक शिक्षा की चर्चा की। उसे लोग किंडर गार्टन, नर्सरी, मांटेसरी आदि नामों से पुकारते हैं। मैं भी सैद्धान्तिक तौर पर उसे आवश्यक मानता हूं, लेकिन जहां हमारी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती वहां हमें प्राथमिकता देनी होगी। यही नियोजन है। हमारे संविधान ने प्राथमिकता दी है ६ से ११ वर्ष के बालकों को शिक्षा देने की, फिर ११ से १४ वर्ष तक के बालकों को भी शिक्षा देना है। तो संविधान द्वारा इस बात का निर्णय हो जाने पर प्राथमिकता ६ से ११ वर्ष के बालकों की शिक्षा को दी गयी है और इसलिये पूर्व माध्यमिक शिक्षा को बजट के रूप में कोई बल नहीं दिया जा रहा है। यह सही है कि हमको उसका प्रबन्ध करना चाहिये, लेकिन स्थिति देखते हुए सोचना पड़ता है और माननीय सदस्य भी इस बात से सहमत होंगे कि उसके मुकाबले ६ से ११ वर्ष तक के बालकों को शिक्षा देना आवश्यक है। मैं एक मिसाल दूं। कहा जाता है कि स्वस्थ रखने के लिये दूध और फल खाना जरूरी है। निर्विवाद बात है। किन्तु यदि साधन न हों, साधन केवल अन्न से पेट भरने भर के हों तो क्या मुनासिब होगा कि कहीं तो दूध और फल का प्रबन्ध किया जाय और कहीं अन्न भी न दिया जाय। मैं समझता हूं कि कोई माननीय सदस्य इसको मुनासिब नहीं समझेगा। इसलिये जो हमारे साधन हैं, यह सही है कि शिक्षा के लिए और साधन उपलब्ध होने चाहिये और मैं स्वतः महसूस करता हूं कि जो धन इस प्रदेश को शिक्षा के लिए है वह कम है। जितना धन और साधन हैं उनके रहते हुये हमें प्राथमिकता इस प्रकार की देनी होगी। मैं जानता हूं कि बड़े-बड़े नगरों में शिशु विद्यालय चल रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे पूर्ण सहानुभूति है। जितना हो सकता है प्रोत्साहन देना चाहता हूं और संकट काल से पूर्व उस ओर ज्यादा ध्यान रखा जाता था और अधिक धन दिया जाता था, लेकिन अब उसमें कमी हो गयी। इसमें शक नहीं कि इस तरह की संस्थाओं से मेरी पूर्ण सहानुभूति है। उनकी आवश्यकता बच्चे के चरित्र के निर्माण में है, किन्तु जिस तरीके से किन्हीं संस्थाओं के सिलसिले में यह व्यापार का सिलसिला शुरू हुआ है, हमारे माननीय सदस्य नहीं चाहेंगे कि इन संस्थाओं में

[श्री कैलाश प्रकाश]

भी यह चीज आये। इसलिए जब तक इस बात का संतोष न हो जाय विभाग ने इस संबंध में कुछ नियम बनाये हैं और जब विभाग से स्वीकृति की बात आती है तो विभाग उसके आगे में संतुष्टि कर लेता है। वैसे हर एक को स्वतंत्रता है कि अपने बच्चों को कहीं पढ़ायें, चाहे वह नरसरी स्कूल हो, किन्डर गार्डन या बाल विद्यामंदिर हो, किसी को मनाही नहीं है। पूर्व प्राथमिक पाठशालाओं में शिक्षा अच्छी होनी चाहिये, हालांकि दिशा विपरीत बन रही है, और नीचे के बच्चे के साथ जो काम करता है उस अध्यापक को वेतन भी जरा नीचे सिरे पर रखा जाता है, किन्तु ऐसे बच्चों को शिक्षा देने का काम एक अच्छे अध्यापक के हाथ में होना चाहिये। जिस प्रकार कि प्राथमिक स्कूलों में, माध्यमिक स्कूलों, हाई स्कूलों और इंटरमीडियेट कालेजों में प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता है तो नरसरी में भी प्रशिक्षित अध्यापक होने चाहिए। माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा कि शासन की ओर से एक संस्था नरसरी ट्रेनिंग के प्रशिक्षण के लिए इलाहाबाद में खुली, एक लालबाग में है जिसको मान्यता दे रखी है। अब एक नरसरी ट्रेनिंग के लिए लखनऊ में भी खोलने का विचार है और जो भी संस्थाएं उत्साहपूर्ण ढंग से इस महत्वपूर्ण कार्य को चला सकें उनकी बात पर विभाग सोचता रहा है और सोचता रहेगा कि उनको मान्यता दी जाय।

प्रश्न आया अध्यापकों के संबंध में। इसमें संदेह नहीं और मैं जानता नहीं हूं कि यह संतोष की बात है या असंतोष की, कि विज्ञान के अध्यापकों की कमी है। यह मैंने इस वजह से कहा कि संतोष इस बात में हो सकता है कि जितने विद्यार्थी विज्ञान के पढ़ते हैं इतना विकास होता चला जाता है विज्ञान की ओर कि उनको दूसरी ओर स्थान मिलते चले जाते हैं, इधर नहीं आ पाते, लेकिन असन्तोष इस वजह से है कि यह शिक्षा का महत्वपूर्ण बुनियादी काम है जिसके द्वारा और वैज्ञानिक व विज्ञान के विद्यार्थी पैदा हो सकते हैं, उस कार्य के लिये भी अध्यापक मिलने चाहिये। इस कमी को दूर करने के लिये हमने कुछ कदम उठाये हैं सम्भवतः सदन में भी चर्चा आ चुकी है। एक तो यह कि इंटरमीडियेट कक्षा को पढ़ाने के लिये एम० एस-सी० की कठिनाई पड़ती है। एम० एस-सी० इन फिजिक्स और एम० एस-सी० इन केमिस्ट्री की भी। तो एक कोर्स प्रारम्भ किया गया है जिसके द्वारा ये जो बी० एस-सी० एल० टी० हैं उनको इलाहाबाद विश्वविद्यालय और लखनऊ विश्वविद्यालय में एक साल का कोर्स दिया जाय। प्रति वर्ष ३० विद्यार्थी केमिस्ट्री के और ३० विद्यार्थी फिजिक्स के लिये जाते हैं और एक साल का उनको कंडेंस्ड कोर्स दिया जाता है। जब वे उस कोर्स को पास कर लेते हैं तो उनको इंटरमीडियेट कक्षा पढ़ाने के लिये प्रशिक्षित मान लिया जाता है। अभी तक ये दो यूनिट्स थीं, एक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में और एक लखनऊ विश्वविद्यालय में। इस वर्ष क्योंकि यह योजना सफल हुई है--इस वर्ष ५ इसी तरह की इकाई खोलने की मंशा है जिससे विज्ञान के प्रशिक्षित अध्यापक संख्या में बढ़ सकें।

दूसरी चीज यह कि जो रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय लखनऊ का है, उसमें एक नया कोर्स शुरू हुआ है और जो बी० एस-सी० है, यहां शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् उनको बी० एस-सी० एल० टी० की उपाधि उनको मिलेगी और वे विज्ञान के प्रशिक्षित अध्यापक माने जायेंगे।

एक और भी कार्य किया गया है और वह यह है कि जो बी० एस-सी० अध्यापक हाई स्कूल के क्लास को पढ़ाते हैं और वे प्रशिक्षित नहीं हैं उनके लिये इन सर्विस ट्रेनिंग का इन्तजाम किया गया है कि एक वर्ष में उनको तीन महीने के लिये बुलाया जाय और ट्रेनिंग दी जाय और फिर अगले साल उनको तीन महीने के लिये बुलाया जाय और ट्रेनिंग दी जाय और इस तरह से ६ महीने की ट्रेनिंग के बाद उनको प्रशिक्षित माना जायगा। इस तरह से आज जो प्रशिक्षित ग्रेजुएट हैं उनको हम सुविधा देना चाहते हैं। इस सिलसिले में हम एक और कार्य कर रहे हैं कि ट्रेनिंग कालेजों में जो साइंस ग्रेजुएट्स हैं उनको स्कालरशिप देने का प्रयास किया जाय ताकि वे साइंस ग्रेजुएट की ट्रेनिंग पाने के लिये प्रोत्साहित हों।

इसके अतिरिक्त हम यह भी विचार कर रहे हैं कि आज जो वेतन क्रम निर्धारित है इंटरमीडिएट व हाई स्कूलों में, कोई भी विज्ञान का शिक्षक प्रारम्भिक वेतन में आने को तैयार नहीं होता है। इसलिये हम इस किस्म की योजना बनाना चाहते हैं कि उसी वेतन क्रम में उनको एडवांस इनक्रीमेंट देकर उनकी नियुक्ति कर ली जाय। इससे भी हमें यह आशा है कि विज्ञान के ग्रेजुएट और टीचर्स इसकी तरफ आकर्षित होंगे।

श्रीमन्, मेरे एक मित्र ने यह बात कही कि विभाग ने कुछ रिसर्च इन्सटीट्यूशन्स खोल रखे हैं और उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे उनकी यह बात सुन कर थोड़ा सा आश्चर्य हुआ आज के युग में भी कोई यह बात कहे कि हमारे यहां शोध की जरूरत नहीं है, तो ताज्जुब की बात तो है ही। जो चीजें हम कर रहे हैं उन चीजों के जांचने की आवश्यकता नहीं है, जो चीजें हम करना चाहते हैं उन चीजों के लिये कोई सुगम से सुगम रास्ता निकालने की आवश्यकता नहीं है, यह बात समझ में नहीं आती। हमारे विभाग में विशेषकर ऐसी २ संस्थायें हैं, एक तो हमारी मनोवैज्ञानिक संस्था है और दूसरी संस्था हमारा पेडीगाजीकल इन्सस्टीट्यूट है, वह देखता है कि जिस स्थिति में हम चल रहे हैं, जो भी हमारे पाठ्यक्रम है वह उनको देखता रहता है, उनका क्या प्रभाव विद्यार्थियों पर पड़ रहा है इसको भी वह जांचता रहता है, जो अध्यापक उन पाठ्यक्रमों को पढ़ाते है उनसे वह सम्पर्क स्थापित करता रहता है और उन की राय में अगर पाठ्यक्रम में किसी परिवर्तन की आवश्यकता होती है तो वह परिवर्तन भी करता है। वैसे तो आज शोध की आवश्यकता बहुत बढ़ गई है, रिसर्च की आवश्यकता प्रकृति के ज्ञानमें भी बहुत है, लेकिन प्रकृति के नियम जो पके हुये है, स्थूल है, एक जगह जो करो वैसा ही दूसरी जगह भी कर लो और गणित की सीमा से यह पूर्णतः निर्धारित होती है, किन्तु व्यक्ति गणित की उस सीमा में नहीं आता।

मेरे मित्र माननीय केशभान जी ने बताया अपने भाषण में कि शिक्षा किस प्रकार की व्यक्ति को सन्तुष्ट करने के लिये दी जानी चाहिये। उसमें केवल शारीरिक ही नहीं, बल्कि और भी चीजें उसमें हैं और यदि व्यक्ति की अपनी विशेषतायें है तो वैसे तो वह देश भी जो अपने दर्शनशास्त्र के अनुसार व्यक्ति को कोई विशेष महत्व नहीं देते और जिन की फिलासफी सामूहिक है वह देश भी रिसर्च की आवश्यकता को समझते है और अपनी शिक्षा संस्थाओं के लिये वह भी अनुसंधान कराते है कि शिक्षा संस्थाओं में किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली हो, कैसा पाठ्यक्रम हो, कौन सी पुस्तकें कोर्स में रखी जायं। इस सब की वे देश में आवश्यकता समझते है और हम लोग जो लोकतंत्र के मानने वाले है उसमें तो व्यक्ति का महत्व है और उसको पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिये कि उस का हर प्रकार से विकास हो सके।

इस व्यक्ति के सिद्धान्त को मानने वाले या इस दर्शनशास्त्र से प्रभावित होने वाले देश में संस्कृति में अवश्य ही शोध की आवश्यकता समझी जायगी। हमें देखना होगा कि क्या दूसरे लोग कर रहे हैं, क्या अनुभव हो रहे है, विद्वानों के द्वारा उनके अध्ययन के द्वारा, शिक्षाविदों के द्वारा जो चीजें हमें मिलें उन का हमें लाभ उठाना चाहिये। व्यक्ति के निर्माण के लिये, उस की भावनाओं को जागरूक बनाने के लिये सामाजिक क्षेत्र में और व्यक्तिगत क्षेत्र में शोध की आवश्यकता है और सम्भवतः हम तो समझते है कि हमने इसको अभी भी पूरा बल नहीं दिया है जितना देना चाहिये था। हमें हर क्वार्टर से सुनने को मिलता है कि हमारी शिक्षा प्रणाली में दोष है और यदि दोष है तो वह कैसे सुधरेंगे? वह कहने से तो नहीं सुधरते, उनको सुधारने के लिये अध्ययन और शोध की आवश्यकता है। किस स्टेज पर क्या हो रहा है वह देखने की आवश्यकता होगी, सम्पर्क की आवश्यकता होगी और यह काम इसी प्रकार की संस्था के द्वारा किया जा सकता है, यह कोई एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। इस लिये शोध का कार्य जो बताया गया है कि यह व्यर्थ है और धन का अपव्यय है और मेरे कहने के पश्चात् माननीय सदस्य इससे स मत होंगे।

एक रूरल इंस्टीट्यूट के बारे में कहा गया कि शिक्षा विभाग द्वारा न चल कर किसी दूसर विभाग द्वारा इसको चलाया जाय। यह इंस्टीट्यूशंस केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय से चलती हैं और

श्री कैलाश प्रकाश

इस प्रदेश में सौभाग्य से उनकी योजना के अनुसार एक रूरल इंस्टीट्यूट आगरा को मिली है। इसका प्रयोग सफल सिद्ध हुआ है। उसका मंशा यह है कि आजकल के जमाने में जो प्रगति हुई है उसको ग्रामीण क्षेत्र के वातावरण में रख कर उसका समन्वय किया जाय और शहरों तथा ग्रामों में जो एक खाई पैदा हो गयी है उसे दूर दिया किया जाय। इसका सम्बंध शिक्षा विभाग से ही है। वैसे तो शासन इसको चलाता है। बजट में पैसा इधर आये या उधर जाय पैसा प्रदेश को ही खर्च करना है और यह किस विभाग से प्रशासित हो यह जानने की सुविधा की बात है। सुविधा इसी में है कि शिक्षा विभाग से यह प्रशासित हो।

हाई स्कूल और इंटरमीडियेट बोर्ड के द्वारा जो कार्य सम्पादित होते हैं उनके विषय में माननीय सदस्यों ने कई सुझाव दिये हैं। एक सुझाव तो विकेन्द्रीकरण के रूप में पेश किया गया है और वह यह कि इसमें संख्या बढ़ती चली जाती है। अच्छी बात है वह जो हाई स्कूल और इंटरमीडियेट दोनों में और आगे भी बढ़ती जायगी। अब हम केवल ५० फीसदी पर पहुंचे हैं प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में और जब १०० फीसदी पर पहुंचेंगे और जितना अधिक शिक्षित होंगे तो ऊंचे चढ़ने में भी संख्या बढ़ेगी। आज यह संख्या ४ लाख है और यह प्रदेश करीब साढ़े ७ करोड़ की आबादी का है, तो इसका प्रबन्ध एक बोर्ड कर सकता है या नहीं? कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि जहां तक रिकगनीशन का संबंध है उसको विकेन्द्रित कर दिया जाय, परीक्षा लेने का संबंध है उसे विकेंद्रित कर दिया जाय और इसी तरह सब चीजों को विकेन्द्रित कर दिया जाय।

श्री जगदीश प्रसाद जी ने सुझाव दिया कि प्राथमिक पाठशालाओं के साधन सीमित हैं और हमको प्रतिशत संख्या बढ़ानी है इसलिये वहां पर दो पाली यानी शिफ्ट सिस्टम चालू कर दिया जाय। दो पाली वाली बात उन्होंने कही है। वह हमने चालू कर दिया है। पहले और दूसरी क्लास की पालियां लगती है। आधे समय पहली क्लास आधे समय दूसरी क्लास और इस योजना का हम अनुभव कर रहे हैं। यह योजना यदि सफल होगी, संख्या बढ़ेगी तो इस चीज को बढ़ाया जा सकता है उस अनुभव के आधार पर यह प्रयोग हो रहा है।

एक यह सुझाव दिया गया है कि यह जो शिक्षा के विभिन्न वर्ग हैं प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, माध्यमिक और फिर उच्चतर, इनमें कोई कोऋिलेशन नहीं है, इनके पाठ्यक्रमों में कोई कोरिलेशन नहीं है, कोई आपस में पारस्परिक संबंध नहीं है। मैं अभी निवेदन कर चुका हूं विस्तार के साथ कि हमारे यहां सेंट्रल पेडागाजिकल इंस्टीटयूट है और वह इन्हीं बातों को देखता रहता है कि प्राथमिक का क्या पाठ्यक्रम है, पूर्व माध्यमिक का क्या पाठ्यक्रम है और इन दोनों में क्या पारस्परिक संबंध है तथा उनमें क्या परिवर्त्तन करने की आवश्यकता है। अब आता है माध्यमिक क्षेत्र। उसमें जैसा माननीय सदस्य जानते हैं बोर्ड आफ हाई स्कूल एण्ड इंटरमीडिएट एजूकेशन के द्वारा वहां के पाठ्यक्रम निर्धारित होते हैं और उसमें जो शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित व्यक्ति हैं वह वहां रहते हैं। कमेटी में वह चीजें आती हैं। आपस में विचार-विनियम होता है। तब उसका पाठ्यक्रम वह निर्धारित करते हैं। इसलिये यह चीज कि उनमें कोई पारस्परिक संबंध नहीं है उस हद तक सही नहीं है। हां, विस्तार में फर्क हो सकता है, मतभेद हो सकता है और अगर कोई ऐसी चीजें हैं कि जिनसे दोनों के पाठ्यक्रमों में या किसी एक वर्ग से दूसरे वर्ग के पाठ्यक्रम में कोई अड़चन पैदा हो सकती है तो वह चीज सदा देखी जा सकती है और सदा उसको देखने की आवश्यकता होती है।

बेसिक एजूकेशन के संबंध में बातें कही गई। कि हम जो यह बेसिक एजूकेशन चला रहे है हमारी जितनी प्राथमिक पाठशालायें हैं, उस संबंध में विचार करने के लिये और जांच पड़ताल करने के लिये, विचार विनिमय करके निर्णय करने के लिये एक बोर्ड हमारे इस प्रदेश में बना हुआ है जो कि बेसिक बोर्ड के नाम से है। यह बेसिक बोर्ड बुनियादी शिक्षा

के प्रश्नों पर बिचार करता रहता है। एक प्रश्न यह उठाया गया था कि इन पाठशालाओं का नाम बेसिक रख दिया गया है और बेसिक पाठशालाओं में एक क्राफ्ट का होना आवश्यक है क्योंकि वह उसका एक केन्द्र है–क्राफ्ट। कहा यह जाता था कि इन पाठशालाओं के पास कोई साधन नहीं है कि वह इस तरीके के क्राफ्ट के साधन और सामग्री उससे खरीद सकें। अतः इस चीज को ध्यान में रखते हुए शासन की ओर से यह निर्णय किया गया कि प्रत्येक प्राथमिक पाठशाला का स्तर उठाने हेतु अनुदान दिया जाय। अतः प्रति वर्ष लगभग १०० रुपया प्रति पाठशाला यह अनुदान दिया जाता है जिससे आवश्यक सामग्री खरीदकर वह बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें।

श्रीमन्, बुन्देलखंड का चर्चा यहां आया कि वह कुछ पीछे है। मेरा भी बुन्देलखंड के क्षेत्र से कुछ परिचय है क्योंकि यदा कदा उस क्षेत्र में जाने का मौका मुझे मिला है। उच्च-स्तरीय शिक्षा के संबंध में...

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)––

मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर प्राइमरी स्कूलों के विद्यार्थियों को गांव में बैठने के लिये टाट भी पहुंच गया तो मैं आपके भाषण को सार्थक मानूंगा।

श्री कैलाशप्रकाश––

मैं प्राथमिक शिक्षा के संबंध में यह निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य उस संस्था के सदस्य हैं जो संस्था इन सब चीजों का प्रशासन करती है। मेरा तात्पर्य यह है कि यहां से अनुदान जिला परिषदों को जाता है और कोई भी माननीय सदस्य इस सदन का ऐसा नहीं है जो उस संस्था का सदस्य न हो। वह वहां पर इस प्रश्न को उठा सकते हैं। मैं चाहता हूं वह उठायें और मैं चाहता हूं वह देखें। इस प्रकार से यहां बात करने से कोई लाभ नहीं है। जैसे आप इस सदन के सदस्य हैं उसी प्रकार से उसके सदस्य है। वहां इस चीज को देख सकते हैं और देखना चाहिये ताकि वहां का प्रशासन ठीक तरीके से चले। दो बातें हो सकती हैं। एक तो यह कि जिला परिषद् को अपनी धनराशि से जो धन देना चाहिये वह नहीं देती है या जो धन जाता है उसका सही रूप से उपयोग नहीं है। दोनों चीजें आप देख सकते हैं। इस-लिये बहुत नम्र निवेदन उनसे है कि प्राइमरी शिक्षा का स्तर ऊंचा हो तो जिस क्षेत्र का वह काम है उसका ही यह उत्तरदायित्व है। इसीलिये एक अधिनियम यहां पास हुआ था। उसको देखने की आवश्यकता है।

बुन्देलखंड के विषय में मैं निवेदन कर रहा था। माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं की वहां पर अधिक आवश्यकता है, लेकिन जिस तरीके से माध्यमिक शिक्षा संस्थायें खुलती हैं य। उच्चस्तरीय शिक्षा संस्थायें खुलती हैं उससे माननीय सदस्य परिचित हैं। जब कभी इस तरीके की संस्थाओं को खुलने का उधर से प्रयास होगा या शिक्षा संस्थाओं के खुलने का प्रयास शिक्षा प्रेमियों के द्वारा होगा तो शासन का पूरा सहयोग उनको प्राप्त होगा। मेरे मित्र चन्द्रजीत जी यादव ने बहुत से सुझाव दिये हैं। उनकी सब बातों का जवाब देना कठिन है। उनके सुझाव बहुत अच्छे हैं। जो उन्होंने चिन्ता की बात कही वह वेस्टेज की बात है कि हमारे यहां ४४ फीसदी पास होते हैं और यह बात विचारने की है। वैसे तो यह बात किसी भी प्रदेश के लिये अच्छी नहीं है, किन्तु इस निर्धन प्रदेश के लिये तो बिलकुल अच्छी नहीं है जो पग-पग पर इस बात को महसूस करता है कि हमारे प्रदेश में वेस्टेज होना कोई अच्छी बात नहीं है। इसका क्या तरीका हो सकता है और किस तरीके से दूर किया जा सकता है? इसमें एक बात है। केवल एक आर्टिफिशियल प्रमाण देना ठीक नहीं है। उससे स्तर गिर जायगा। हाई स्कूल का प्रमाण-पत्र हो जाय और उनको कोई योग्यता न हो ऐसी बात अच्छी नहीं है। न यह बात प्रदेश के हित में है और न नवयुवकों के हित में होगी। उच्च स्तर रखते हुये यह वेस्टेज

श्री कैलाश प्रकाश|

फ्रम हो इस बात का विचार करते हुये माननीय सदस्यों की ओर से जो सुझाव आयेंगे मैं उनका स्वागत करूंगा, क्योंकि यह बात सबके हित की है।

नेशनलाइजेशन के बारे में कहना चाहता हूं कि मैं इस शब्द का प्रयोग एजुकेशन में समझ नहीं पाया। वैसे केशभान जी ने इस बात को बहुत अच्छे तरीके से कहा। उन्होंने राजकीयकरण और राष्ट्रीयकरण दोनों की बात कही। लेकिन राष्ट्रीयकरण से शायद क्या यह मतलब लगाया जा रहा है कि जो शिक्षा दी जा रही है वह राष्ट्रीय नहीं है? यदि यह बात नहीं है तो संभवतः इनका मतलब राजकीयकरण से होगा ताकि मास्टरों को राजकीय स्कूलों के अध्यापकों की तरह के वेतन मिल सकें। तो सही शब्द का प्रयोग करना चाहिये। राष्ट्रीयकरण तो आवेश में वैमनस्य के कारण होता है जैसे मिल मालिकों और मजदूरों में होता है और उसके कारण उस की मांग होती है। इस शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीयकरण की मांग नहीं आनी चाहिये।

श्री झारखण्डेराय---

क्या यह शब्द अपवित्र है?

श्री कैलाश प्रकाश---

यह शब्द इकानामिक क्षेत्र में पवित्र है, लेकिन शिक्षा का क्षेत्र ही भिन्न है। इन दोनों में बुनियादी फर्क है

अंत में मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि अनुदान देने के संबंध में एक चित्र ने आँकड़े दिये कि शायद उनकी समझ में मेरठ रीजन के साथ पक्षपात किया गया है। मैं इसे स्वीकार करने में असमर्थ हूं। इसका कारण मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि अनुदान देने के सम्बन्ध में कुछ मूल योग्यतायें लगायी हैं जिससे कोई संस्था अनुदान पाने के योग्य बन जाय। यदि किसी संस्था ने स्कीम आफ एडमिनिस्ट्रेशन पास नहीं कराई है तो चाहे वह बनारस की हो या मेरठ की, उसको अनुदान नहीं मिलेगा और मैं कहता हूं कि एक संस्था चाहे किसी जिले की हो जिसने स्कीम पास नहीं कराई उसको नान-रेकरिंग अनुदान दिया गया, भले ही अनुपालन अनुदान दिया जाता हो।

श्री रघुनाथ सिंह---

एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं।

श्री कैलाशप्रकाश---

मुझे तो स्पष्ट होने दीजिये पहले। कोई क्षेत्र ऐसे हैं इस प्रदेश में जिन में शिक्षा संस्थाएं व्यक्तिगत रूप से शुरू की हैं उनको भी अनुदान दिया जायगा और जो उस योग्य होंगी उनको दिया जायगा। छोटा स्कूल और बड़े स्कूल की बात मस्तिष्क से निकाल देनी चाहिए। मेरठ जिला जिसकी आबादी इस प्रदेश के जिलों में से इस अनुपात से है कि वहां से दो सदस्य आते हैं और छोटे छोटे जिलों से ४-५ सदस्य आते हैं। तो शिक्षा इकाई से नहीं दी जाती है वह तो नागरिकों के बच्चों को दी जाती है। इसलिए आवश्यक है कि जिस क्षेत्र की जन संख्या अधिक होगी वहां अधिक शिक्षा पर खर्च करना पड़ेगा।

अब जिन सुझावों पर मैं कह नहीं पाया हूं मैं निमंत्रित करता हूं कि वह बाद में मुझे दे दें, मैं उन पर विचार करूंगा।

श्री अधिष्ठाता---

जब तक मत ले रहा हूं तब तक के लिए समय बढ़ा दिया गया है।

अनुदान संख्या १७—शिक्षा

श्री अधिष्ठाता——

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १७——शिक्षा के अन्तर्गत मांग की राशि को घटाकर १ रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य——बिभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता——

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १७–शिक्षा के अन्तर्गत ३३, ७१, ३९, ४०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता——

मैं माननीय सदस्यों को सूचना देना चाहता हूं कि सदन उठते ही लेजिस्लेचर ग्रुप की मीटिंग है, तिलक हाल में। उसमें आप लोग शरीक होने की कृपा करें।

अब हम उठते हैं और कल १० १/२ बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३१ मिनट पर अगले दिन के १० १/२ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः
१७ मार्च, १९६४।

———

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५७ पर।)

तालिका

गोरखपुर तथा देवरिया जिले की चीनी मिलों में पेराई करने की अनुमानित अवधि।

चीनी मिल का नाम	पेराई की अनुमानित अवधि
जिला गोरखपुर---	
१--सरदार नगर	अप्रैल के मध्य तक
२--पिपराइच	अप्रैल के दूसरे सप्ताह में
३--घुघली	मार्च के तीसरे सप्ताह में
४--सिसवा बाजार	अप्रैल के प्रथम सप्ताह में
जिला देवरिया---	
५--बैतालपुर	मार्च के तीसरे सप्ताह में
६--गौरीबाजार	मार्च के दूसरे सप्ताह में
७--देवरिया	,, ,,
८--कैप्टेनगंज	,, ,,
९--खड्डा	मार्च के मध्य तक
१०--छितौनी	मार्च के अन्त तक
११--लक्ष्मीगंज	,, ,,
१२--रामकोला (पी)	मार्च के मध्य तक
१३--रामकोला (के)	मार्च के तीसरे सप्ताह तक
१४--पडरौना	मार्च के अन्त तक
१५--कठकुइयां	,, ,,
१६--सिवराही	,, ,,

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६० पर]

दुर्घटना का विवरण

दिनांक ८-१२-१९६२ को बस संख्या यू० एस० वी० ३०६० बलरामपुर से बहराइच जा रही थी। बस इकौन स्टेशन पर पहुंची तो कन्डक्टर निद्धप्रसाद बुकिंग करने के पश्चात् वेबिल को लाकर में रखने लगे। अचानक ड्राइवर ने गाड़ी चला दी। कन्डक्टर धक्का खाकर गिर गए और अगले पहिये के नीजे दब गए जिसके परिणाम स्वरूप उसको बहुत चोटें आई। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया जहां उनकी मृत्यु हो गयी।

नत्थी 'ग'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६३ पर]

बाढ़ क्षेत्र में नलकूप डीजल इन्जनों को नदियों के किनारे लगा कर सिंचाई की योजना को कार्यान्वित करने में निम्नलिखित दिक्कतें हैं :—

१—नलकूपों के डीजल इन्जन १५ से २२ हार्स पावर के हैं। इनसे पम्प द्वारा सिंचाई करने हेतु पम्प तथा अन्य दूसरी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी जिसके लिये काफी अतिरिक्त धन व्यय करना पड़ेगा।

२—पम्प द्वारा सिंचाई करने के लिये असानी से उचित स्थान नदियों पर प्राप्त नहीं हैं।

३—इन्जनों और पम्पों को हर बरसात में वहां से हटाना पड़ेगा।

४—इन्जनों और पम्पों को एक ही स्थानपर स्थाई रूप से नहीं रखा जा सकता क्योंकि नदी के पानी की सतह बराबर घटती बढ़ती रहती है।

यदि उपरोक्त दिक्कतों को अधिक व्यय कर के हल भी कर लिया जाय तो भी सिंचाई के लिये प्रति वर्ष गूलों का निर्माण करना पड़ेगा क्योंकि हर वर्ष बाढ़ में गूलें नष्ट हो जाया करेंगी। इस प्रकार प्रति वर्ष गूलों का निर्माण पर काफी व्यय पड़ेगा।

गिरधारीलाल,
सिंचाई मंत्री।

नत्थी 'घ'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६९ पर।]

क्रम-संख्या	ग्राम का नाम	परगना	प्रार्थना पत्रों की संख्या जो अक्तूबर, ६३ से १८ जनवरी, सन् ६४ तक प्राप्त हुए	कृषक-गण की संख्या जिनके हस्ताक्षर या निशानी अंगूठा हैं।
१	२	३	४	५
१	तिलकराम	रामपुर	१	१
२	मदनगढ़ बेलहा	,,	७	६७
३	बाजूमऊ	,,	१	२
४	रायपुर तियायी	,,	१	१
५	पुरवारा	,,	१	७
६	अमरही	,,	१	२५
७	पूरे केवल	,,	१	५
८	हिसामपुर	,,	१	११
९	नरई	,,	२	३
१०	जसमन्डा	,,	२	३
११	पूरेहरकिशुन	,,	५	३८
१२	अमारा	,,	१	१
१३	शीतलमऊ	,,	१	१
१४	भमौरा केशापुर बारमती ..	,,	१	२३
१५	खुजेरी	,,	२	२
१६	कामा पट्टी	,,	२	२
१७	मुहम्मदपुर चारपुर	,,	१	१
१८	धधुवागाजन	,,	२	३१
१९	सादास	,,	१	१
२०	वडनपुर	प्रतापगढ़	१	१९
२१	प्रतापगढ़ सिटी	,,	१	१
२२	तिना	,,	१	१
२३	गहरी भूपतिपुर	,,	१	१
२४	धनसारी	,,	२	२
२५	रामपुर मुस्ताकी	,,	१	१७
२६	वहलोलपुर	,,	१	१
२७	सारेसापुर	,,	१	८२
२८	सन्डवर	,,	१	२
२९	गजराही]	,,	१	१

क्रम-संख्या	ग्राम का नाम	परगना	प्रार्थना-पत्रों की संख्या जो अक्तूबर ६३ से १८ जनवरी, सन् ६४ तक प्राप्त हुए	कृषकगण की संख्या जिनके हस्ताक्षर या निशानी अंकित है ।
१	२	३	४	५
३०	चमरूपुर ..	.. प्रतापगढ़	२	२
३१	बीबीपुर ..	.. ,,	१	१
३२	आशापुर उमरपुर कल्हवी	.. ,,	१	३
३३	सुखवेपुर ..	.. ,,	२	३
३४	चितरा ..	.. ,,	१	१
३५	चन्दापुर ..	.. ,,	१	३
३६	पहाड़पुर ..	.. ,,	१	१
३७	रंगोली ..	.. ,,	१	१
३८	पतुलकी ..	.. ,,	१	१
३९	सराय नाहर राम ..	.. ,,	१	१
४०	धनीपुर सराय हरनारायन	.. ,,	२	४
४१	हुसेनपुर अमानत तजवापुर	.. ,,	३	५
४२	मोदीपुरनैन ..	.. विहार	२	५
४३	चकवड ..	.. ,,	३	४
४४	कारहा ..	.. ,,	१	१
४५	गरीबपुर ..	.. ,,	१	४
४६	अमरी काटिक ..	.. ,,	१	३
४७	शेखपुर चौराम ..	.. ,,	१	२
४८	मोसा गाडा ..	.. ,,	१	१
४९	अमरी बुजुर्ग ..	.. ,,	१	२
५०	सेधा ..	.. ,,	१	१०
५१	छतार ..	.. ढिगवश	१	०
५२	तिरछा ..	.. ,,	१	२
५३	उमरापट्टी ..	.. ,,	१	४
५४	बोरा ..	.. ,,	३	६
५५	गुजावर ..	.. ,,	३	७
५६	खुसहली मिकिमा मानिकपुर	.. ,,	१	१
५७	कादीपुर ..	.. पट्टी	१	२
५८	नगर ..	.. ,,	२	२
५९	पूरा ..	.. ,,	५	६
६०	ढिढुई ..	.. ,,	१	७
६१	फतेहपुर ..	.. ,,	२	१४
६२	मजेस्ता भवानीगढ़ ..	.. ,,	१	१
६३	गुतौली ..	.. ,,	२	४

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	परगना	प्रार्थना-पत्रों की संख्या जो अक्तूबर ६३ से १८ जनवरी, सन् ६४ तक प्राप्त हुए	कृषकगण की संख्या जिनके हस्ताक्षर या निशानी अंगूठा है।
१	२	३	४	५
६४	जेतीपुर	.. .. पट्टी	१	३
६५	दोहरी	.. .. ,,	५	३७
६६	सरसीडीह	.. .. ,,	३	१३
६७	ईशनपुर	.. .. ,,	२	३
६८	जोझेपुर	.. .. ,,	१	१
६९	कहेनिया	.. .. ,,	१	१
७०	परसनी	.. .. ,,	१	३३
७१	परसूपुर	.. .. ,,	१	१
७२	मिश्रौली	.. .. ,,	२	१
७३	साल्हीपुर	.. .. ,,	१	२
७४	डेहरी	.. .. ,,	१	२
७५	वनी	.. .. ,,	१	१
७६	वेलारामपुर	.. .. ,,	१	४७
		योग	११९	१०२१

नत्थी 'ङ'

[देखिए नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न २४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७७ पर]

ग्राम सिकन्दरपुर में जिन किसानों की जमीन ली गई है उनकी सूची

१—श्री महाबीर पुत्र श्रीराम, निवासी रुस्तमपुर अशफाबाद ।
२—श्री मलई पुत्र गुलाम, निवासी सिकन्दरपुर ।
३—श्री भरत पुत्र जगन, निवासी सिकन्दरपुर ।
४—श्री देवतादीन पुत्र रमेसर, निवासी सिकन्दरपुर ।
५—श्री वाहिद हुसैन पुत्र तजममुल हुसैन, निवासी रुस्तमपुर, अशफाबाद ।
६—श्री मुहम्मद इद्रीस पुत्र रमजान, निवासी सिकन्दरपुर ।
७—श्री रतई पुत्र अनुप ,, ,,
८—रज्जब पुत्र धूनक ,, ,,
९—जमील हुसैन पुत्र जाकिरअली ,, ,,
१०—श्री दुबरी पुत्र बेनीमाधो ,, ,,
११—श्री ताहिर खां पुत्र रहीम खां ,, ,,
१२—श्री निसार हुसैन पुत्र ऐजाज हुसैन ,, ,,
१३—श्री जाहिर पुत्र मनसब ,, ,,
१४—श्री अनवर पुत्र मुहम्मद अली ,, ,,
१५—श्री हसनजकी पुत्र अब्दुल हसन, निवासी सिकन्दरपुर ।
१६—श्री बचई पुत्र भोखा, निवासी सिकन्दरपुर ।

ग्राम संजर

१—श्री चन्द्रशेखर पुत्र भागीरथी, निवासी सिकन्दरपुर ।
२—श्री महबूब खां पुत्र छीतूखां, निवासी सिकन्दरपुर ।
३—श्री गुलाम मुस्तफा हुसैन पुत्र सिद्दीक खां, निवासी सिकन्दरपुर ।
४—श्री रामचरन पुत्र भोला, निवासी सिकन्दरपुर ।

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७६ पर)

प्रत्येक ग्राम में बन्ध के सिरे से घाघरा नदी के किनारे की दूरी निम्नलिखित है :—

१—मूसाडोही	(जगन्नाथ सिंह के टोला के सामने)	..	३ फर्लांग
२—चौहानपुर	.. ..	..	२ ३/४ फर्लांग
३—बरोहा	.. ..	..	३ १/२ फर्लांग

———

विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिए तारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८० पर)

क्रम-संख्या	मार्ग का नाम	विज्ञप्ति संख्या व तिथि
१	२	३
१	हरदोई-उन्नाव	संख्या १७८३/३०-२ (३) बी-६०, दिनांक ६-७-१९६०
२	हरदोई–मल्लावां	
३	उन्नाव–माधोगंज	संख्या ३८१६ आर० डब्लू १४७ आर० डब्लू-५८ । दिनांक २७-७-१९६३
४	उन्नाव–बेतनगंज वाया माधोगंज	" "
५	उन्नाव–नीमसार	" "
६	हरदोई–सीतापुर	संख्या ५७१५ आर० डब्लू ७० आर० डब्लू-६२ । दिनांक ६-९-१९६३
७	सीतापुर–मोहनमगंज	
८	सीतापुर–मल्लावां	
९	हरदोई–गोपामऊ	
१०	हरदोई–हरियावन–संडीला	
११	हरदोई–लखनऊ	
१२	हरदोई–शाहजहांपुर	
१३	हरदोई–पाली वाया शाहाबाद	
१४	लखनऊ–शाहाबाद वाया हरदोई	
१५	हरदोई–सांडी–दुर्गागंज	

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८० पर)

तालिका—ख

क्रम-संख्या	मार्ग का नाम	चलने वाली बसों की संख्या	परमानेन्ट परमिट पर चलने वाली बसों की संख्या	टेम्पोरेरी परमिट पर चलने वाली बसों की संख्या
१	२	३	४	५
१	हरदोई–शाहजहांपुर ..	२५	२३	२
२	हरदोई–सीतापुर ..	१२	९	३
३	हरदोई–संडीला वाया बेनीगंज ..	५	५	..
४	हरदोई–लखनऊ ..	३२	२४	८
५	हरदोई–उन्नाव ..	२२	१५	७
६	हरदोई–सांडी ..	७	६	१

परिशिष्ट 'अ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८१ पर)

क्रम-संख्या	अफसर का नाम तथा पद	योग्यता
१	२	३
१	श्री हरिनारायण माथुर, डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर (टेक्निकल)	ग्रेजुयेट आफ दि इन्सटीट्यूशन आफ आटोमोबाइल इन्जीनियर्स (लन्दन), ग्रेजुयेट आफ सिटी एन्ड गिल्डस (इंगलैन्ड), एसोसियेट मेम्बर आफ दि इन्टीट्यूशन आफ मोटर ट्रेडर्स (इंगलैन्ड)।
२	श्री केशवानन्द बाजपेई, टेक्निकल इन्स्पेक्टर।	हाई स्कूल, इलैक्ट्रिक और मैकेनिकल इन्जीनियरिंग में डिप्लोमा तथा मैकेनिकल इन्जीनियरिंग में विशेष योग्यता।
३	श्री चन्द्र किशोर श्रीवास्तव, टेक्निकल इन्स्पेक्टर।	इन्टरमीडिएट, मोटर वेहिकिल मैकेनिक वर्क, सिद्धान्त (Theory) केवल, प्रथम श्रेणी में सिटी एन्ड गिल्डस आफ लन्दन इन्स्टीट्यूट से सन् १९५३ में पास किया।

(स काम जो उपरोक्त अफसरों के सुपुर्द हैं :

श्री हरि नारायण माथुर, डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर (टेक्निकल)—

(१) राज्य भर में चलने वाली मोटर गाड़ियों की आकस्मिक (Surprise) तथा परीक्षण (Test) का उपयुक्तता की जांच।

(२) इन्फोर्समेंट शाखा द्वारा बिना उपयुक्तता के प्रमाण प्राप्त किये चलने वाली मोटर गाड़ियों संबंधी आख्याओं की जांच।

(३) मोटर वेहिकिल एक्ट और रूल्स का खंड ५ (Chapter V) के अन्तर्गत आने वाले मामलों का निस्तारण तथा उक्त खंड व उसके अन्तर्गत बने नियमों का स्पष्टीकरण।

(४) मोटर बसों में बैठने के स्थान के अभिन्यास (Layout) सम्बन्धी प्रतिनिधित्व (Representation) का निस्तारण।

(५) राज्य में किसी भी स्थान पर होने वाली भीषण मोटर दुर्घटना की जांच।

(६) सरकारी विभागों की मोटर गाड़ियों के रख-रखाव संबंधी अनुदेश भेजना।

(७) सरकारी विभागों की गाड़ियों की अर्द्धवार्षिक जांच तथा उक्त जांच के परिणाम संबंधी आख्या राज्य सरकार तथा संबंधित विभागों को भेजना और संबंधित मोटर गाड़ियों को भावी अनुपयोग्य घोषित करना।

(८) राज्य सरकार के समस्त विभागों की मोटर गाड़ियों की मरम्मत की व्यवस्था करना।

(९) राज्य सरकार के विभागों की मोटर गाड़ियों की मरम्मत संबंधी तखमीनों (Estimates) तथा बिलों की जांच ।

(१०) विभागीय मोटर गाड़ियों के लिये फुटकर कल पुर्जे, टायर, ट्यूब, बेटरी इत्यादि की व्यवस्था करना ।

(११) विभागों की अनुपयोग्य मोटर गाड़ियों तथा उसके सामान के नीलाम व उससे संबंधी समस्त पत्र व्यवहार ।

(१२) मोटर गाड़ियों के पे लोड (Payload) योग्यता प्रमाण-पत्र तथा टायरों की समाई (Capacity) संबंधी मामलों का निस्तारण ।

(१३) सरकारी गाड़ियों की मरम्मत के लिये मोटर गैरजों का अनुमोदन ।

(१४) रीजनल टेक्निकल इन्स्पेक्टरों द्वारा प्रेषित अन्वेषण आख्याओं (Analysis reports) की जांच ।

(१५) सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (इन्सफोर्समेंट) की स्टाफ गाड़ियों के रख रखाव संबंधी मामलों का निस्तारण ।

(१६) नव नियुक्त इन्स्पेक्टरों का क्रियात्मक प्रशिक्षण (Practical training)

(१७) प्राविधिक पदों के लिये अभ्यर्थियों की प्राविधिक परीक्षा (Trade Testing)

श्री केशवानन्द बाजपेई तथा श्री चन्द्र किशोर श्रीवास्तव, टेक्निकल इंस्पेक्टर—

(१) राज्य सरकार के विभागों की मोटर गाड़ियों की मरम्मत संबंधी तखमीनों (Estimates) तथा बिलों की जांच करना ।

(२) सरकारी गाड़ियों का निरीक्षण करना ।

(३) सरकारी विभागों को देने के पहले नयी चेसिस का निरीक्षण ।

(४) सरकारी विभागों द्वारा खरीदी हुयी नयी चेसिस पर बनी हुई निकाय (Body) का निरीक्षण करना तथा नयी चेसिस पर बने हुये निकाय (Body) की विशेषताओं (Specifications) की जांच करना ।

(५) कलकत्ता तथा बम्बई से नयी सरकारी गाड़ियों के कनवाय (convoy) को लाना ।

नत्थी 'अ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८९ पर)

सेवा में,

श्रीमान जिलाधीश महोदय, झांसी

विषय : मृत श्रीवृन्दावन टिकरया, मोंठ की बड़ी सम्पत्ति के फर्जी वारिस श्री कौशलकिशोर के कब्जे से निकाल कर सरकार को सौंपना ।

महोदय,

अपने इस प्रार्थना भरे सूचना पत्र द्वारा सार्वजनिक हित के लिये अपनी जान माल को खतरे में डालकर आपके समक्ष एक गंभीर रहस्योद्घाटन करने की आज्ञा चाहता हूं ।

सेठ वृन्दावन टिकरया मोंठ दिनांक २४-१-५२ को स्वर्गलोक पधार गये थे उनकी सम्पत्ति का कोई कानूनी वारिश व हकदार नहीं है । उनकी लाखों रुपयों की सम्पत्ति को सरकार की संरक्षण मिलनी चाहिये थी, लेकिन ऐसा न होकर श्री कौशलकिशोर तनय छोटेलाल अपने को उनका गोद लिया हुआ लड़का बताकर फर्जी वारिस व हकदार बनें बैठे है ।

श्री कौशलकिशोर का यह दावा बिल्कुल मिथ्या व निराधार है कि श्री वृन्दावन टिकरया ने उनको गोद लिया था । इससे अधिक ठोस प्रमाण और क्या हो सकता है कि श्री जी० सी० सजनानी, मुन्सिफ झांसी ने १९-८-५७ को अपने एक फैसले में बड़ी तर्कपूर्ण विवेचना करते हुये निर्भीकता के साथ घोषणा की है कि श्री कौशलकिशोर श्री वृन्दावन टिकरया के गोद लिये हुये लड़के कानूनी वारिस व हकदार किसी भी प्रकार नहीं माने जा सकते । फैसले के आवश्यक अंश की प्रतिलिपि संलग्न है ।

अतः आपसे निवेदन है कि इस सम्बन्ध में अविलम्ब ठोस कार्यवाही करने की कृपा करें । साथ ही कार्यवाही करते समय नीचे लिखी बातों का विशेष ध्यान रखें ।

१--श्री कौशलकिशोर का बहुत आतंक है । वह डकैत रहे । रेल की डकैती में उन्हें सजा भी भोगनी पड़ी ।

२--श्री कौशलकिशोर के रिस्तेदार मोंठ क्षेत्र के धनीमानी प्रतिष्ठित नामधारी कांग्रेसी हैं ।

३--दिनांक २३-१-६४ को श्री कौशलकिशोर के फर्जी कब्जे को १२ साल पूरे हो जायेंगे और इस प्रकार उनका नाजायाज कब्जा भी जायज हो जायगा । शीघ्रता तथा निष्तक्षता के लिये अग्रिम धन्यवाद ।

आपका विश्वासभाजन,

डा० शंकरलाल सिंहल,
मोठ, जिला झांसी ।

दिनांक, ५-११-६३

नत्थी 'ट'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६२ पर)

स्थाई व्यवस्था

१--अलीगढ़
२--एटा
३--शिकोहाबाद
४--मथुरा
५--राया
६--कोसी
७--दिल्ली
८--बरखाना
९--गोबर्धन
१०--वृन्दावन
११--फर्रा
१२--आगरा
१३--फतेहाबाद
१४--हाथरस
१५--खन्दोली
१६--इलाहाबाद
१७--मिर्जापुर
१८--जौनपुर
१९--वाराणसी
२०--बिजनौर
२१--मुरादाबाद
२२--बदायूं
२३--जलालाबाद
२४--गोला
२५--चंडौसी
२६--खतौमा
२७--नवाबगंज
२८--रुद्रपुर
२९--धामपुर
३०--सहारनपुर
३१--हरिद्वार
३२--देहरादून
३३--मेरठ
३४--नई दिल्ली
३५--गढ़
३६--खुरजा
३७--बुलन्दशहर
३८--मुजफ्फरनगर
३९--गाजीपुर
४०--बेल्थरा रोड
४१--आजमगढ़
४२--गोरखपुर
४३--बस्ती
४४--खलीलाबाद
४५--अकबरपुर
४६--देवरिया
४७--मऊ
४८--उजियारघाट
४९--बलरामपुर
५०--गोंडा
५१--फैजाबाद
५२--फर्रूखाबाद
५३--बेबर
५४--पुखरायां
५५--महोबा
५६--राठ
५७--रायबरेली
५८--उन्नाव
५९--सीतापुर
६०--चारबाग, लखनऊ ।

नत्थी 'ठ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९२ पर)

नत्थी की गई सूची

तहसील		जगहों के नाम
प्रथम पंचवर्षीय योजना—		
महराजगंज	..	१—सिस्वा बाजार
फरेन्दा	..	...
द्वितीय पंचवर्षीय योजना		
महराजगंज	..	...
फरेन्दा	..	१—फरेन्दा
तृतीय पंचवर्षीय योजना		
महराजगंज	..	१—बरतावल बाजार
		२—नौचलौल
		३—परसिया इन्दरपुर
		४—महुअवा
		५—कटरारी
फरेन्दा	..	१—पीपीगंज

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न २८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६५ पर)

माइनर का नाम	लम्बाई	
१	२	
	मील	फर्लांग
१—बुखरारी रजबहा एक्सटेन्शन	.. ४	२
२—जाव माइनर	.. १	५
३—विशम्भरा माइनर	.. ३	४
४—कमई माइनर	.. ११	४

संसद सदस्य

नत्थी 'ढ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ८४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९८ पर)

क्रम-संख्या	जिला	१९६३-६४ में ऊंचे किये जा रहे ग्रामों की संख्या	१९६३-६४ में बनाये जाने वाले बाढ़ शिविरों की संख्या	स्थान जहां बाढ़ शिविर बनाये जा रहे हैं
१	२	३	४	५
१—गोरखपुर	..	१४८	..	..
२—बहराइच	..	६४	..	..
३—बस्ती	..	६४	..	..
४—गोंडा	..	५८	..	..
५—देवरिया	..	४३	..	..
६—जौनपुर	..	११	..	..
७—आजमगढ़	..	१८	१	मोहम्मदपुर
८—इलाहाबाद	..	५	२	१—सराय जैराम १—डाभपुर
९—उन्नाव	..	१	..	..
१०—बलिया	..	७	..	..
योग	..	४१९	३	..

नत्थी 'ण'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ४५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६८ पर)

नाम विकास खण्ड	नाम राजकीय सिंचाई योजना	अधिकतम सिंचाई जो अब तक हुई है (एकड़ में)
१	२	३
बमनी ..	अरझट व टिकवारी बांध ..	ये दोनों बांध इसी वर्ष माल विभाग से सिंचाई विभाग को हस्तांतरित किये गये हैं। इसलिये वर्तमान सिंचाई शून्य है।
म्योरपुर ..	बरवा टोला, देधरी व छता करम	३७६
बुढ़ी ..	रजखड़, बौडरबुम्हान, पीपरडीह नगवां, खसरा, धरतीडोलवा, फलवार, कटोली, केनल, दीघुल लकरां।	१३२६
चोपन ..	कोटा, बरवा डीह ..	४६०

परिशिष्ट 'त'

(देखिये पीछे पृष्ठ २०४ पर)

विधान सभा के वर्तमान सत्र के दूसरे मंगलवार के लिये निर्धारित चौधरी रतीलाल द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४, ५ और ६ के उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
४—क्या राजस्व मंत्री कृपा करके यह बतायेंगे कि एस० डी० ओ०। बांसडीह के इजलास पर यू० (एस) १४१, सी-आर०पी० राधा मिशन सिंह बनाम सुन्दर अहिर आदि नामक मुकदमे में ग्राम खीरू छपरा नौबरार (अपने सम्पूर्ण क्षेत्रफल के साथ)। तहसील बांसडीह। जिला बलिया दिनांक ७ मार्च, १९६५ को ११,५०० रुपये में नीलाम किया गया था ?	४—जी हां।
५—क्या यह भी सही है कि उक्त नीलाम का रुपया एस० डी० ओ०। बांसडीह के बार-बार आर्डर देने के बावजूद भी अभी तक सरकारी कोष में नहीं जमा किया गया है ?	५—जी हां, जांच कराने पर पता चला कि उक्त नीलाम के रुपये में २,६०० रुपये जमा हो चुका है चूंकि संबंधित पत्रावली अभी तक मिल नहीं पाई है, अतः यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है शेष रुपया जमा करने के सम्बन्ध में एस० डी० ओ०, बांसडीह ने क्या आदेश दिया था।
६—यदि हां, तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है और वह रुपया कब तक सरकारी कोष में जमा हो जायगा ?	६—जिलाधीश बलिया ने कोर्ट क्लर्क (Court clerk) को जिम्मेदार करार दिया है। सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जा रही है। शेष रुपया जमा कराने हेतु कानूनी कार्यवाही की जा रही है। निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि शेष रुपया कब तक जमा हो जायगा।

सैयद अली जहीर,
न्याय मंत्री।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ६ एल० ए०—१९६४—८६०।